राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र १९६१ का प्रथम दिवस [संख्या १

शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के औचित्य प्रश्न सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जयचन्द्र मोहिल।

श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु०) : ३०।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Mr. Speaker, I want to draw your attention to Rule 94. The point of order is a point of Constitution, Sir.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : There can be no point of order during Question Hours.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : But the point of order relates to the validity of the sitting itself.

श्री अध्यक्ष : देखिये, बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : That can be challenged in the Court of Law.

श्री अर्जुनदास : The Court cannot interfere...

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना है तो वह क्वेश्चन आवर के बाद करें। आप सूचित कर दें लिख कर किस बात पर रेज़ करना चाहते हैं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, पंचायत, कृषि, गृह, विकास, पशुपालन, नियुक्ति, समाज कल्याण एवं सहकारी-विभाग]

उद्योग प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों में हरिजनों को प्रशिक्षण की सुविधायें

३०. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन—सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल उद्योग प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं और कहां कहां पर ? इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या क्या है और इनमें कितने प्रतिशत हरिजन हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इन केन्द्रों में हरिजनों के हित का पूर्ण ध्यान रखा गया था ? यदि हां, तो जनवरी १९५९ से अगस्त १९६० तक कितने हरिजनों को प्रशिक्षण की सुविधायें मिली हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : राजस्थान में कुल उद्योग प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र ५७७ हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उद्योग विभाग द्वारा चलाए गए १४ केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या १५१ है, बाकी प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या तथा हरिजनों का प्रतिशत सम्बन्धित पंचायत समितियों से मालूम किया गया है।

हरिजन तथा अन्य वर्ग के शिक्षणार्थियों के लिये समान अधिकार प्राप्त हैं। दाखले में कोई भेदभाव नहीं रखा गया। हरिजन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा मालूम की गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल : वह संख्या कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मालूम किया गया है। वह संख्या मालूम नहीं हुई है। पंचायत समितियों के पास से आने पर बतला सकता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्रशिक्षणार्थियों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन्स आवश्यक हैं जिनके आधार पर भर्ती किये जाते हैं ?

(विराम)

मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिला।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्वालिफिकेशन्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : प्रशिक्षण केन्द्र पंचायत समितियों की देख-रेख में चलते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्रामों में मकानों पर लगाये जानेवाले टीन के नम्बर

३१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) क्या ग्रामों में मकानों पर टीन के नम्बर लगाने का कार्य राज्य सरकार की आज्ञा से किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारी उक्त कार्य को कर रहे हैं अथवा किसी कम्पनी को ठेका दिया गया है ? यदि ठेका दिया गया है, तो किस कम्पनी को ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(ग) नम्बर लगाने में सरकार का क्या अभिप्राय है ? क्या नम्बर लगाते समय जनगणना के नम्बरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता ?

(घ) यदि उक्त कार्य राज्य सरकार की आज्ञा से नहीं किया जा रहा है, तो क्या यह भी सही है कि नम्बर लगानेवाली पार्टी के पास स्थानीय सरपंच, तहसीलदार एवं कलेक्टर के ऐसे पत्र थे जिनसे जनता से इनके कार्य में सहयोग की प्रार्थना की गई थी ?

(ङ) यदि हां, तो राज्याधिकारियों ने ऐसा क्यों किया ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पूरे डिटेल्स आने पर इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

स्कूलों व कॉलेजों में अनुशासन पद्धति की व्यवस्था

३२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों में अनुशासन बनाये रखने के लिये शिक्षा विभाग ने क्या क्या उपाय सोच रखे हैं और उनमें से किन किन को काम में ला रही है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कुछ कॉलेजों व स्कूलों में अनुशासन के अलग मार्क्स रखे जाते हैं और ये मार्क्स सालाना परीक्षाओं के परिणामों में जोड़े जाते हैं ? यदि हां, तो किन किन कॉलेजों व स्कूलों में ऐसा किया जाता है और यदि नहीं, तो क्या इस उपरोक्त पद्धति को सरकार सभी कॉलेजों व स्कूलों में लागू करना चाहती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) अनुशासन बनाये रखने के लिए केरीक्युलर एक्टीविटीज़ एन. सी. सी., ए. सी. सी. ट्रेनिंग, व्यायाम—शिक्षा, खेल—कूद व अन्य सांस्कृतिक एक्टीविटीज़ जैसे स्काउटिंग, स्टूडेंट्स यूनियन आदि का पूर्ण रूप से प्रबन्ध किया हुआ है, जिससे छात्र अनुशासन में बंधे रहते हैं और उनको अनुशासन भंग करने का समय न मिले। यदि कोई अनुशासन भंग करता है तो उसके साथ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त ट्यूटर गार्जियन स्कीम भी प्रारम्भ कर दी है जिसके अनुसार समय समय पर मीटिंगें होती हैं और विद्यार्थियों के उत्थान व अनुशासन पर यथोचित नियंत्रण रहता है।

(२) कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अनुशासन बनाये रखने के उपलक्ष में कोई मार्क्स वार्षिक परिक्षाओं में नहीं दिये जाते क्योंकि कॉलेजों की लगभग सभी परीक्षायें राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा ही ली जाती हैं और परीक्षार्थियों को मार्क्स राजस्थान विश्व विद्यालय अपने नियमों के अनुसार देता है। केवल तृतीय (ट्रेडीशनल) बी. ए. की होम परीक्षा रह गई है जो अगले साल से उठ जायगी। इसलिए अनुशासन के मार्क्स वार्षिक परीक्षा आदि में छात्रों के देने के लिए कोई स्थान राज्य की ओर से नहीं रह पाता। बहुद्देशीय व उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अभी क्युमुलेटिव

Page No.4

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

रेकॉर्ड रखा जाता है जिसमें अनुशासन का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : छात्रों की परीक्षा के समय में पांच—सात नम्बर अनुशासन के लिये रखे जाते हैं कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : अनुशासन को बनाये रखने के लिये जो एक्टीविटीज़ रखी गई हैं, इसकी सुविधा समस्त स्कूलों में है या कुछ स्कूलों में ही ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सुविधा करीब करीब सभी स्कूलों में दी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या प्राइमरी स्कूलों में भी इस तरह की सुविधाएं दी हुई हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्राइमरी स्कूलों में कई प्रकार की एक्टीविटीज़ लागू नहीं होती हैं; जैसे एन० सी०सी०, ए० सी० सी० कब्स हो सकते हैं, खेल—कूद के लिये भी आयोजन रहता है।

श्री मूलचन्द डागा : इस बात की सुविधा है कि नहीं कि स्पेशल शिक्षक खेल-कूद के हों, साधन हों ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, साधन हैं, खेल—कूद के लिये मैदान हैं, खेल का सामान दिया जाता है, कब्स की एक्टीविटीज़ चलती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इस सिद्धान्त को शिक्षण विभाग मानता है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पृथ्वीराज।

पंचायत समिति नादौती, मुख्यालय बामनवास द्वारा तकावी की धन-राशि का दुरुपयोग

३३. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर—सु०) : क्या पंचायत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति नादौती, मुख्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा जो तकावी की धनराशि गवर्नमेंट से स्वीकृत की गई है वह कृषकों को न देकर धनाढ्यों को दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? तकावी की राशि व नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवायेगी ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं। जिन व्यक्तियों को तकावी दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रश्न ही नहीं उटता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या तकावी के नियमों में ऐसे नियम हैं कि जिनके अनुसार किन्हीं को प्राथमिकता दी जा सकती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तकावी के नियमों के अनुसार तकावी दी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसे नियम हैं कि नहीं कि जिनके अनुसार किसी को प्राथमिकता दी जा सकती हो?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी पूरी जानकारी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : तकावी के लिये बहुत सारी दरख्वास्तें आती हैं तो किस आधार पर लोगों को तकावी दी जाती है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो जानकार हैं, जिनके हाथ में तकावी देने की सत्ता है वे लोग देख कर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तकावी के रूल्स किस एक्ट के तहत बनाये गये हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लैंड रेवेन्यू में भी तकावी है और एग्रीकल्चर में भी तकावी दी जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लैंड रेवेन्यू में कोई तकावी नहीं दी जाती। मेरा प्रश्न यह है कि किस एक्ट के तहत तकावी के रूल्स बनाये गये हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कृषि कानून के मातहत।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या तकावी के ऐसे नियम हैं कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको तकावी नहीं दी जाती?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो नियम हैं उन्हें देख लीजिये।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : कृषि कानून कब पास हुआ है, यह पता नहीं?

श्री पृथ्वीराज : क्या यह सच है कि तकावी गरीबों को नहीं दी जाकर धनाढ्यों को दी गई है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप कोई उदाहरण बतायें। जो सूची दी गई है उसमें देख कर बतायें कि इन इन धनाढ्यों को दी गई है, तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ।

श्री पृथ्वीराज : यह सूची बांचने में नहीं आती है, अक्षर साफ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

भादरा में स्पेशल टाइप थर्ड क्लास लोक-अप का निर्माण कार्य

३४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भादरा, जिला गंगानगर में स्पेशल टाइप थर्ड क्लास लोक-अप निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो फिर अभी तक भवन निर्माण का कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां। भादरा, जिला गंगानगर में स्पेशल टाइप तृतीय श्रेणी लोक-अप भवन निर्माण

(श्री रामकिशोर व्यास)

किये जाने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है और अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मण्डी डिविज़न, हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा उक्त कार्य के लिये १२-१२-६० को टेन्डर आमन्त्रित किये गये हैं। आशा है कि शीघ्र ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व यह निर्माण कार्य शुरू हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

ग्राम गंडाल (सवाई माधोपुर) के स्कूल भवन का निर्माण

३५. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर—सु०) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि ग्राम गंडाल, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में जनता ने ३,००० रु० का चन्दा जमा करके स्कूल भवन के २ कमरे पूरे और ३ कमरे अधूरे बना लिये हैं, परन्तु पंचायत समिति से बार बार मांग करने पर भी सहायता नहीं दी गई है ? क्या सरकार उन कमरों को पूरा करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): जी हां, ग्राम गंडाल की जनता ने स्कूल भवन की इमारत के लिए २ कमरे पूरे २ और कमरे अधूरे बनाये हैं और एक कमरे की नींव डाली है। पंचायत समिति ने इस कार्य के लिये सहायता बजट में रकम की कमी होने से नहीं दी। सरकार इन कमरों को पूरा कराने की व्यवस्था नहीं कर सकती क्योंकि अब जो सहायता दी जाती है वह पंचायत समिति की मार्फत ही दी जाती है।

श्री पृथ्वीराज : इनमें कोई रुपया सहायता का नहीं दिया गया है, एक साल हो गया जनता ने चन्दा करके ३,००० रुपया जमा किया, फिर भी तीन कमरे अधूरे पड़े हुए हैं। सरकार और पंचायत समिति की तरफ से पैसा नहीं दिया गया है। बच्चे मन्दिर में पड़ रहे हैं और तकलीफ पा रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं सुन नहीं पाया आपका प्रश्न।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो काम पंचायत समितियां बनने से पहले का अधूरा पड़ा हुआ था उसको पूरा कराने के लिये क्या सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंचायत समिति कर सकती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पंचायत समितियां बनने से पहले के जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिये क्या सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रति वर्ष जो दी जाती है, उससे एक्स्ट्रा कोई रकम स्वीकार नहीं हुई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सांकर) : क्या यह सही है कि यह ग्राम सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध था, इस कारण विकास के कार्यों में इसे रुपया नहीं दिया गया ?

Page No.7

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक पंचायत समिति में जनता ने भवन बनाया तो ५० प्रतिशत पंचायत समिति सहायता देती है, उसके बाद जनता और बनाती है तो पंचायत समिति ५० प्रतिशत और मदद क्यों नहीं देती ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंचायत समिति के अधिकारों की सीमा है उसी के अन्दर पंचायत समिति काम करेगी न।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

धौलपुर क्षेत्रान्तर्गत पार्वती नदी का मछली पकड़ने का ठेका

३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि धौलपुर क्षेत्र में पार्वती नदी का मछली पकड़ने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो कब, किसको और किन शर्तों पर ? कृपया ऐसे एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) मछली पकड़ने का ठेका देने के सम्बन्ध में किन नियमों का पालन किया जाता है ? कृपया इन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

पशु पालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) राजस्थान फिशरीज़ एक्ट, सन् १९५३ के अन्तर्गत फिशरीज रूल से सन् १९५८ से ठेकों के नियम का पालन किया जाता है। प्रतिलिपि सदन की मेज पर है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

राजकीय कन्या उच्च विद्यालय धौलपुर में अध्यापिकाओं का अभाव

३७. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, धौलपुर में कितनी अध्यापिकाओं की आवश्यकता है ?

(२) क्या उक्त आवश्यकतानुसार वहां अध्यापिकाएं मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ति होने की संभावना है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, धौलपुर में अध्यापिकाओं की संख्या पर्याप्त है।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ३८

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

महाराजा कॉलेज, जयपुर में कैमिस्ट्री के लैक्चरार श्री बी.सी. बैराठी की नियुक्ति

३६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Education Minister be pleased to state:-

1. Is it a fact that the Director of Education had appointed temporary Lecturers in August, 1959 in order of merit out of the applicants ?

2. Is it also a fact that in November, 1959 the Director made subsequent appointments on such posts on different basis and persons obtaining less percentage of marks were appointed ?

3. Is it also a fact that while appointing Lecturers in December, 1959 the Director changed the criteria for appointment barring the confirmed Senior Teachers without consulting the Additional Director of Education ?

4. It is alo a fact that Mr. B. C. Bairathi was appointed as Lecturer in Chemistry in Maharaja's College, Jaipur, without previous consultation with the Additional Director of Education ?

5. Is it also a fact that the Additional Diretor of Education wrote a letter to Inspector of Schools, Jaipur-East, not to relieve Mr. Bairathi in the middle of the session ; Even then was he appointed ? If so, why ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) जी हां।

(२) जी हां, किन्तु नियुक्तियां पूर्ण योग्यता के आधार पर की गई थीं।

(३) जी हां, किन्तु इसके लिए अतिरिक्त शिक्षा संचालक से परामर्श कर लिया गया था।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What were the qualifications laid down for this post ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : At least Second Class M. A.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is it a fact that the qualifications were changed ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I have replied, "जी हां"।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why, Sir ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Because besides the percentage of marks, the entire academic career of the candidate was looked into and it was found that the other secured 1% marks more......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Were they given a chance ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : They were never debarred. They could have been appointed if they had the required qualifications under the rules.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Bairathi was not relieved by the Inspector of Schools as directed by the Additional Director ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No, no. He was relieved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is it a fact that such alteration was made...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Hon'ble Member has not heard. It was according to the prescribed qualifications. The question refers to the percentage of marks only.

पंचायत मोटेर, तहसील नोहर द्वारा विभाग में बजट पेश नहीं किया जाना

४०. श्री **रामकिशन** (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील नोहर की पंचायत मोटेर ने सन् ५५ से लेकर अब तक कोई बजट विभाग में पेश किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी सामग्री मिली नहीं है इसलिये अगले टर्न पर इसे लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या ? सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर तैयार नहीं है।

प्रश्न संख्या ४१

श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

समाज कल्याण विभाग में आदिवासी एवं हरिजन जाति के नियुक्त किये गये व्यक्ति

४२. श्री **भैंरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा—सु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) समाज कल्याण विभाग में कुल कितने कर्मचारी तथा अधिकारी हैं ? इनमें से आदिवासी एवं हरिजन जाति के कितने कितने व्यक्ति राज्य-सेवा में सन् १९५७ से १९६० तक नियुक्त किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इस विभाग में सरकारी नीति के आधार पर आदिवासियों तथा हरिजनों को प्रमोशन दिया गया है ?,

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सरकारी नियमों में आदिवासी तथा हरिजनों के लिये प्रमोशन में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No.10

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो क्या यह साढ़े बारह प्रतिशत का नियम गलत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो भर्ती करने के बारे में १२।। प्रतिशत का प्रोविज़न है ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : इनीशियल ग्रेड में आपने बताया । इन्टरमीजियेट ग्रेड में हायर ग्रेड में जो वेकेन्सीज़ होती हैं उनमें क्या रिज़र्वेशन रहता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि १२।। प्रतिशत ।

श्री पी. के. चौधरी : आपने कहा वह तो इनीशियल ग्रेड के लिये है । इन्टरमीजियेट व हायर ग्रेड्स के लिये क्या रिज़र्वेशन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चतुर्थ श्रेणी के लिये १२।। प्रतिशत है ।

श्री पी. के. चौधरी : आप मेरे प्रश्न का सीधा जवाब दीजिये: Whether in the initial grades any posts are reserved for Scheduled caste or not ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिज़र्वेशन कोई ग्रेड वाइज़ नहीं है । तमाम ग्रेडों के लिये १२।। प्रतिशत है ।

श्री पी. के. चौधरी : Does it mean that in that case you can give them 12½% posts in the lowest posts and debar them...

श्री नाथूराम मिर्धा : डिबार करने का प्रश्न नहीं है । ४ पोस्ट्स एडवर्टाइज़ होती हैं, तो उसमें से एक उनको मिल सकती है; अगर चार पोस्ट्स एक साथ एडवर्टाइज़ हों । जितनी भर्ती के नोटिफिकेशन्स निकले उनके लिये शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के होने चाहिये उनके लिये रिज़र्वेशन होता है ।

श्री पी. के. चौधरी : I want a direct reply, whether any reserve posts exist for this caste ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब मैं दे चुका हूँ ।

श्री पी. के. चौधरी : आपने जवाब जो दिया है वह इनीशियल ग्रेड के लिये दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आपका इन्टरमीजियेट ग्रेड से क्या मतलब है ?

श्री पी. के. चौधरी : There are certain grades for L.D. CS. and other certain posts are called the selection posts...

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्ट रीक्रूटमेंट हर ग्रेड में होता है ।

श्री पी. के. चौधरी : No. There are certain posts which are called Selection Posts.

श्री अध्यक्ष : I don't think so.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सीधा जवाब दिया है कि जिन पोस्टों पर भर्ती होती है उन पोस्टों में रीक्रूटमेंट के समय १२।। प्रतिशत

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रिज़र्वेशन रहता है। प्रोमोशन के लिये कोई रिज़र्वेशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

हाई स्कूल की गृह विज्ञान व्यवहारिक परीक्षा

४३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पिछले वर्ष (१९६० में) जयपुर शहर में हाई स्कूल (कक्षा १०) की गृह विज्ञान प्रेक्टिकल परीक्षा किन किन तारीखों में हुई ? परीक्षा के केन्द्र कहां कहां थे ?

(ख) गृह विज्ञान प्रेक्टिकल परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सच है कि पाठ्यक्रम के अनुसार सब विषयों से सम्बन्धित सामान छात्राओं को अपने आप खुद का लाना पड़ता है ? यदि नहीं, तो क्या क्या सामान परीक्षा केन्द्र से मिलता है और क्या क्या छात्राओं को लाना पड़ता है ? कृपया सूची दें।

(घ) इस वर्ष जयपुर शहर के विभिन्न केन्द्रों पर कितनी प्राइवेट छात्रायें परीक्षा में बैठीं ? क्या इनमें ऐसी छात्रायें भी हैं जो शहर के अलावा बाहर से आई थीं ?

(ङ) इन सब छात्राओं को गृह विज्ञान प्रेक्टिकल की परीक्षा की सूचना कब दी गई ? क्या परीक्षा के लिये आवश्यक सामान की सूची इसके साथ भेजी गई ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(च) क्या यह सच है कि परीक्षा की जो तिथि सूचित की जाती है उस दिन परीक्षा न होना दूसरे दिन के लिये बदल दी जाती है ? क्या भविष्य में निश्चित सूचना के अनुसार ही परीक्षा की व्यवस्था करने की सरकार कृपा करेगी ?

(छ) गृह विज्ञान प्रेक्टिकल परीक्षा के लिये आवश्यक सब सामानों की व्यवस्था परीक्षा केन्द्र की ओर से ही क्यों न की जाये या फिर गृह विज्ञान प्रेक्टिकल परीक्षा के केन्द्र ऐसे स्थान पर रखे जायं जहां पर उक्त विषय पढ़ाया जाता हो और वहां पर इन सामानों की व्यवस्था हो ?

(ज) क्या सरकार को मालूम है कि अन्य प्रान्तों में गृह विज्ञान प्रेक्टिकल परीक्षा के लिये समस्त सामान की व्यवस्था केन्द्र की ओर से होती है ?

(झ) क्या आगे से यहां भी परीक्षा के लिये आवश्यक सामान की व्यवस्था केन्द्र की ओर से की जा सकेगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) तारीख १९ फरवरी, १९६० से २८ फरवरी, १९६० को गृह विज्ञान की प्रेक्टिकल परीक्षा हुई। महाराजा मल्टीपर्पज़ हायर सेकेन्डरी स्कूल (लड़कियों का), जयपुर तथा महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, जयपुर इन परीक्षाओं के केन्द्र थे।

(२) प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.12

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) प्राइवेट छात्राओं के लिए प्रायः सामान केन्द्र द्वारा हो दिया जाता है।

(४) महाराजा मल्टीपर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल (लड़कियों का), जयपुर में १६४ तथा महारानी गर्ल्स हाई स्कूल में १३३ छात्रायें परीक्षा में बैठीं; जिनमें से क्रमशः १७ और ६ जयपुर के बाहर की थीं।

(५) महाराजा मल्टीपर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल की छात्राओं को ता: १५ फरवरी को व महारानी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं को १६ फरवरी को सूचित किया गया था। बोर्ड द्वारा कोई सामान की सूची नहीं भेजी गई।

(६) परीक्षा की जो तिथि निश्चित की जाती है परीक्षा उसी दिन ली जाती है। तमाम परीक्षार्थियों की परीक्षा एक साथ नहीं ली जा सकती। इसलिए स्थान, सामान वगैरह को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बना दिये जाते हैं।

(७) गृह विज्ञान का परीक्षा केन्द्र वहीं रखा जाता है जहां वे विषय पढ़ाये जाते हैं और जहां तक सम्भव हो सकता है वहां तक सामान स्कूल द्वारा दिया जाता है।

(८) जो व्यवस्था पहले राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की जातो थी वही व्यवस्था अभी भी चालू है। इससे पहले कोई शिकायत इस सम्बन्ध में नहीं आई।

(९) जहां तक सम्भव और सामान उपलब्ध होता है वहां तक केन्द्र द्वारा ही व्यवस्था की जाती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधा सभान पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि परीक्षा के एक दिन पहले सूचना बोर्ड पर एक लम्बी—चौड़ी सूची सामान की लिख दी जाती है और वह सामान छात्राओं को लाना पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि परीक्षा के एक दिन पहले बोर्ड पर एक लम्बी चौड़ी—सूची सामान की लिख दी जाती है जिसको छात्राओं को परीक्षा के समय लाना पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह निवेदन किया कि ज्यादातर सामान स्कूल में ही दिया जाता है। यह हो सकता है कि गृह विज्ञान के कार्य के लिये सुई, धोती व कपड़ा आदि की जरूरत हो तो वह तो से ले आते हैं। यह सामान बाहर से लाना नहीं पड़ता है।

डॉ० चन्द्रकला : यह परीक्षा ४—६ दिन तक चलती रहती है। इसलिये इसके लिये यह निश्चित होना चाहिये कि फलां रोल नम्बर की परीक्षा अमुक तारीख को होगी, कोई दिन तो निश्चित होना चाहिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले इसके लिये दिन निश्चित किया जाता है और ग्रुप बना दिये जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसा क्यों नहीं किया

(डॉ० चन्द्रकला)

जाता कि उनके पहले रोल नम्बर आदि देकर उनको डेफिनिट सूचना क्यों नहीं दी जाती कि इस रोल नम्बर से इस रोल नम्बर तक की परीक्षा फलां दिन होगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गृह विज्ञान में बहुत सी चीजें होती हैं और साग, भाजी बनाने में हो सकता है कि देरी हो सकती है, इसलिये ऐसा होता है। मेरे ख्याल से प्रेक्टिकल में कहीं ऐसा नहीं होता।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय उप मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके लिये मैं उनको जानकारी पर खेद प्रकट करती हूँ क्योंकि गृह विज्ञान में केवल साग, भाजी पकाना नहीं होता। इसके लिये एक बहुत लम्बा-चौड़ा कोर्स होता है। छात्राओं को सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यदि ७ दिन का समय न देकर डेफिनिट समय दे दिया जावे तो ज्यादा सहूलियत छात्राओं को मिलेगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने साग-भाजी तो केवल मिसाल के तौर पर कहा था। आपने साग-भाजी को ही ले लिया। इसमें बच्चों के पालन-पोषण आदि भी होते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह तो परीक्षार्थियों को प्रेक्टिकल देने में दिक्कत होती है। इसलिये मैंने यह प्रश्न रखा है। जब दूसरे प्रेक्टिकल विषयों में सामान सरकार की तरफ से दिया जाता है तो इसके लिये क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां तक होगा इसके लिये ध्यान रखा जावेगा। कुछ सामान इस तरह का होगा जो उनको लाना पड़ेगा। मगर हम यह ध्यान रखेंगे कि उनको कम से कम सामान लाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा मिले।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सोजत के पावटा चौक में युवक द्वारा आत्महत्या

४४. **श्री भैरोंसिह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सोजत के पावटा चौक में माह जून में एक युवक ने बेकारी के कारण एवं भूख से व्याकुल होकर आत्म-हत्या कर ली ? यदि हां, तो किसने और किस तारीख को ?

(ख) यदि नहीं, तो इस आत्म-हत्या का जांच द्वारा क्या कारण मालूम हुआ और इसक किसने कब कब जांच की थी ?

(ग) यदि बेकारी से इसकी मृत्यु नहीं हुई तो यह बताया जावे कि मृतक का रोजगार क्या था तथा क्या यह रोजगार उस पर आश्रित परिवार के लिये पर्याप्त था ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) श्री पाना पुत्र धाना घांची ने १२ व १३ जून को रात्रि को आत्म-हत्या की, किन्तु भूख व बेकारी के कारण नहीं।

(ख) माह अगस्त, १९६० में सी. आई., सोजत द्वारा की गई जांच से ज्ञात हुआ कि उसने बीमारी से परेशान होकर आत्म-हत्या की।

Page No.14

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ग) मृतक मकान बनाने आदि में मजदूरी करता था व उसकी पत्नि खेतों में मजदूरी करती थी और दोनों मिल कर करीब २ रू० रोज कमाते थे जो उनके परिवार के पोषण के लिए पर्याप्त थे ।

श्री भैरोंसिंह : इस जांच के अनुसार वह यात्री कितने दिनों से बीमार था और बीमारी में किस प्रकार का इलाज रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस प्रकार का इलाज रहा, यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : बीमारी क्या थी ? उसकी आत्म-हत्या का कारण बीमारी थी, मगर वह बीमारी क्या थी ? क्या इसकी जांच कराई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच कराई गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भूख के कारण से बीमारी पैदा हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी इसमें नहीं है कि किस कारण से हुई, मगर वह बीमार था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आत्म-हत्या के मामलों में पुलिस द्वारा जांच कराई जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कराई गई ।

श्री भैरोंसिंह : जब जांच कराई गई तो उस जांच में किस प्रकार की बीमारी बताई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है कि फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ के कारण पोज़िशन डिफिकल्ट हो। मगर वह रूपया, सवा रूपया खुद कमाता था और १२ आ०, १४ आना उसकी औरत कमाती थी। दोनों इतना कमाते थे जिससे उनके परिवार का पोषण हो सकता था । उसके परिवार में पति, पत्नि और बच्चा था ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या कमाता था ? प्रश्न यह है कि पुलिस ने जांच की कि उसके किस प्रकार की बीमारी थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि किस प्रकार की बीमारी थी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जब पुलिस ने जांच की तो मालूम हुआ ही होगा कि बीमारी क्या थी ?

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे यह समझा जावे कि पुलिस को आत्म-हत्या के मामले में मौत का कारण मालूम करना चाहिये उसमें पुलिस ने सतर्कता नहीं बरती ?

श्री रामकिशोर व्यास : सतर्कता बरती है। बीमारी के कारण को आप जानना चाहते हैं तो और डिटेल्स गेदर करके बता दूंगा ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या यह प्रोपर सप्लीमेंट्री नहीं है ? यह तो प्रोपर सप्लीमेंट्री है जिसका उत्तर मन्त्री महोदय को

Page No.15

(श्री तनसिंह)

देना चाहिये। अगर इसका उत्तर नहीं दे पाते तो यह उत्तर अधूरा ही है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि आत्म-हत्या का जो कारण था वह बीमारी थी और इसीलिये उसने आत्म-हत्या की।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सही नहीं है कि यह बीमारी भूख से पैदा हुई, जिससे उसकी मृत्यु हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह नहीं कह सकता कि बीमारी किस कारण से हुई ?

श्री भैरोंसिंह : उसमें एक कारण यह भी हो सकता है, जो मैंने अभी कहा था।

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है, संभव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

इन्सपेक्टोरेट, जयपुर-पूर्व के क्राफ्ट प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक

४५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर इन्सपेक्टोरेट-पूर्व में कितने अध्यापक अब तक क्राफ्ट की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं ?

(२) क्या उन क्राफ्ट प्रशिक्षित अध्यापकों का सरकार सही उपयोग ले रही है ? यदि हां, तो किन किन स्कूलों में क्राफ्ट्स का कार्य हो रहा है ?

(३) क्या क्राफ्ट अध्यापकों की कोई निर्धारित ग्रेड है ? यदि है, तो क्या ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ११ अध्यापक अब तक ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं।

(२) जी हां, क्राफ्ट का कार्य २० स्कूलों में हो रहा है जिनके नाम सूची में दर्ज हैं।

(३) क्राफ्ट अध्यापकों को योग्यतानुसार निम्नलिखित ग्रेड दी जाती है :

(१) ट्रेनिंग स्कूलों में रु० १५०—३००

(२) बहुद्देशीय व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रु० ११०—२२५

(३) माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं में रु० ६०—१३०।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

झुंझुनू सिनेमाघर के पास वाले हरिजनों के मोहल्ले के कुंए की मरम्मत हेतु प्रदत्त धन-राशि का दुरुपयोग

४६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु.) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि झुंझुनू सिनेमाघर के पास वाले हरिजनों के मोहल्ले

Page No.16

(श्री रामनारायण वर्मा)

के कुंए की मरम्मत के लिए विभाग की ओर से १,०००) रु० दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि इन रुपयों के दुरुपयोग की शिकायत विभाग को की गई थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या इस सम्बन्ध में विभाग को शिकायत की गई थी कि इस कुंए पर पूरा रुपया नहीं लगा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने रुपया दिया ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

सहकारी सम्बन्धित नीति के अनुसार सेवा सहकारी समितियों का गठन

४५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Will the Co-operative Minister be pleased to state:—

(1) What is the policy of State Government regarding unit of service of co-operative in our State ?

(2) What decisions have been taken in Srinagar Conference of State Ministers of Co-operation regarding the unit of a Co-operative Society and what steps have been taken by the State Government; so far in this direction ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद् के ८ व ९ नवम्बर, १९५८ के निर्णय पर आधारित भारत सरकार की सहकारिता सम्बन्धित नीति के अनुसार सेवा सहकारिता समितियों का गठन ग्राम को प्राथमिक इकाई मान कर किया जा रहा है। जहां ग्राम बहुत छोटे हों वहां सेवा सहकारी समिति बनाने के लिए सम्बन्धित जनता की रजामन्दी से ऐसे ग्रामों को मिलाया जा सकता है जिनको मिला कर कुल जन-संख्या लगभग एक हजार हो।

(२) सहकारिता मंत्रियों के श्रीनगर सम्मेलन में सहकारी समिति इकाई के सम्बन्ध में मेहता कमेटी द्वारा की गई सिफारिश पर, जिसके अनुसार एक सेवा सहकारी समिति के कार्य-क्षेत्र को ऐसे ग्रामों के समूह तक बढ़ाया जा सकता हो, जिनकी जन-संख्या मिला कर ३,००० हो, विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार योजना आयोग एवं रिज़र्व बैंक तथा अन्य सम्बन्धितों के परामर्श से इस बारे में विचार करे कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय व मेहता कमेटी की सिफारिशों में किस प्रकार सामन्जस्य लाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा समस्त सम्बन्धितों से विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि साधारणतया सेवा सहकारी समितियों का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नवम्बर, १९५८ में लिये गये निर्णय के अनुसार ग्राम को प्राथमिक इकाई मान कर किया जाना चाहिये, किन्तु जहां ग्राम बहुत छोटे हों वहां एक से अधिक ग्राम सम्मिलित

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किये जा सकते हैं, किन्तु उनकी संख्या जितनी कम से कम सम्भव हो की जानी चाहिये तथा ऐसे ग्रामों की जन–संख्या ३००० से अधिक नहीं होनी चाहिये और वे समिति के मुख्यावास से ३ या ४ मील से अधिक दूरी पर स्थित नहीं होने चाहिये । मौजूदा सहकारी समितियों के बारे में यह निर्णय लिया गया है कि उनको धीरे २ उपरोक्त प्रतिरूप में लाये जाने का उद्देश्य होना चाहिये । राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के उक्त निर्णय के आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में सेवा सहकारी समितियों का गठन कराना निश्चय किया है ।

श्री भीमसेन : छोटे गांवों के लिए अलग से सहकारी समिति बनायी जाय, इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपत्ति का सवाल नहीं है । यदि गांव छोटे २ हों तो वे इकोनोमिक सहकारी समिति नहीं बना सकते और जो प्रोग्रेस होनी चाहिये वह भी नहीं हो सकती है । अब तो नयी पंचायतों के सर्किल बनाये हैं १,५०० से २,००० की आबादी के बीच । एक पंचायत समिति और सहकारी समिति का सर्किल साथ साथ रहे और उसमें सहकारी समिति बने, ऐसा विचार किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

बिलाड़ा तहसील के पीपाड़ ग्राम में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की मांग

४८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बिलाड़ा तहसील में कहां कहां और कब से हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं ?

(ख) इन स्थानों की जन–संख्या व छात्र संख्या क्या क्या है ?

(ग) किन किन विशेषताओं के कारण यहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले गये हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि बिलाड़ा तहसील के पीपाड़ जैसे कुछ प्रमुख स्थानों में, जहां हर प्रकार से हायर सेकन्डरी स्कूल खोलना वाजिब था, नहीं खोल कर इन दूसरे स्थानों पर स्कूल खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) बिलाड़ा तहसील में राजकीय उच्चतर माध्यमिक शालायें बोरुन्डा ग्राम व रतकूड़िया ग्राम में ये पाठशालायें क्रमश: १–७–५६ व १–७–६० से खोली गई थीं ।

(ख) राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बोरुन्डा में १०२ छात्र व रतकूड़िया में १२७ छात्र हैं । आबादी २,२०० है ।

(ग) बोरुन्डा में हर प्रकार की सुविधायें छात्रों को मिल सकती हैं । पाठशाला का भवन उच्चतर माध्यमिक शाला के उपयुक्त है । जनता ने पाठशाला के लिये चन्दा इकट्ठा किया है और सहयोग भी अच्छा है, आबादी काफी है ।

रतकूड़िया भी अच्छा गांव है । ग्राम सरपंच द्वारा पाठशाला भवन अच्छा बनाया गया है । साथ ही साथ कुछ अध्यापकों के

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

रहवास के लिए भवन बनाये गये हैं । छात्र-संख्या व ग्राम को आबादी पर्याप्त है । रेलवे स्टेशन तीन मील दूर है । जनता का सहयोग भी ठीक है । जनता ने शाला के लिए चन्दा भी इकट्ठा किया है । छात्रों के लिए छात्रावास भी उपलब्ध है ।

उपरोक्त कारणों से यहां पर माध्यमिक शालायें खोली गई हैं ।

(घ) पीपाड़ ग्राम में हायर सेकन्डरी न खोलने के कारण निम्न हैं :—

यहां का वर्तमान शाला भवन हायर सेकन्डरी तो क्या हाई स्कूल के लिए भी उपयुक्त नहीं है और बोर्ड की शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाया है । छात्रों तथा अध्यापकों के लिए बैठने के लिए भी उपयुक्त नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : बोर्ड की कौन कौन सी शर्तें थी जिनको पीपाड़ के नगरवासी पूरा नहीं कर सके ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने सुना नहीं है 'शर्तों को' कहा था, condtions कहा था ।

श्री भैरोंसिंह : सुना किसने नहीं है, यह अन्दाज तो सुनने वालों को ही लगेगा । मैंने भी यही कहा था । कौन कौन सी कन्डीशन्स थीं जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरी यह बात वहां पूरी हो जाती है । मैंने शर्तें पूरी पढ़ दी थीं । भवन जितना हायर सेकन्डरी के लिए होना चाहिये उतना नहीं है । टीचर्स के लिए भी आवश्यक कमरे वगैरह पूरे नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने जवाब में कहा था कि पीपाड़ के लोगों ने जो बोर्ड की शर्तें थीं उनका कम्पलाएन्स नहीं किया, इसलिए ऐसा नहीं किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं दुबारा पढ़ देता हूँ: "यहां का वर्तमान शाला भवन हायर सेकन्डरी तो क्या हाई स्कूल के लिए भी उपयुक्त नहीं है और बोर्ड की शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाया है । छात्रों तथा अध्यापकों के लिए बैठने के लिए भी उपयुक्त नहीं है ।"

श्री भैरोंसिंह : जनता ने दर्ख्वास्त दी थी कि हायर सेकन्डरी के लिए सरकार आश्वासन दे तो सब सुविधायें निर्माण करने के लिए वे तैयार हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हाई स्कूल के लिए भी वह भवन पर्याप्त नहीं है, फिर भी हाई स्कूल के लिए दे दी, हायर सेकन्डरी के लिए वह पर्याप्त नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि हाई स्कूल के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो फिर हाई स्कूल कैसे खोल दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हाई स्कूल के लिए आश्वासन दे दिया था ।

श्री भैरोंसिंह : रतकूड़िया में भी जो बिल्डिंग बनायी गयी है वह पीपाड़ के भवन से कम है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

ग्राम धोबलाई (आमेर) की संस्कृत पाठशाला

४६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) ग्राम धोबलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर की संस्कृत पाठशाला में कितने अध्यापक हैं तथा इनकी क्या क्या योग्यतायें हैं ?

(२) इस पाठशाला में किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र हैं तथा गत वर्ष कितने कितने छात्र थे ?

(३) इस संस्कृत पाठशाला का वार्षिक बजट क्या है ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) कुल ४ अध्यापक हैं जिनकी योग्यता निम्न प्रकार है :—

शास्त्री १

मैट्रिक ३

(२) कक्षा	इस वर्ष की छात्र संख्या	गत वर्ष की छात्र संख्या
प्रवेशिका (द्वितीयखंड)	५	५
,, (प्रथमखंड)	३	६
कक्षा ८	५	७
,, ७	४	५
,, ६	१०	४
,, ४	२	
कक्षा २		६
,, १	७	१५

श्री भैरोंसिंह : कुल कितने छात्र हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ४५।

श्री भैरोंसिंह : ४५ छात्र हैं और मास्टर ५ हैं। खर्चा कितना है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : खर्चा है ५,२६३. ३६ नये पैसे।

प्रश्न संख्या ५०

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीराम चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

सी० आई० डी ० की महिला पुलिस

५१. **श्री भैरोंसिह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सी० आई० डी० की महिला पुलिस में कौन कौन महिला सब इन्स्पेक्टर, असिस्टेन्ट सब—इन्स्पेक्टर तथा हैड कॉन्स्टेबल के पद पर कार्य कर रही हैं और कब कब से ?

(ख) इनमें से कौन कौन किस किस पद पर कब कब से किस किस अधिकारी द्वारा कन्फर्म कर दी गई हैं ?

(ग) इनकी प्रत्येक की क्या क्या योग्यता है तथा इस विभाग में कब कब किस पद पर किस किस अधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई थी ?

(घ) जिस जिस पद पर उनको नियुक्त

Page No.20

(श्री भैरोंसिंह)

किया गया था, उस पद से पदोन्नति के द्वारा इनको हैड कॉन्स्टेबल अथवा सब–इन्स्पेक्टर या असिस्टेन्ट सब–इन्स्पेक्टर के पद पर यदि नियुक्त किया गया है तो क्या इनसे सीनियर को सुपरसीड करना पड़ा है ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ? कृपया सेवा–काल योग्यता सहित जिनको प्रमोशन मिला है व जिनको सुपरसीड किया गया है उनकी तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सब–इन्स्पेक्टर मिस शारदा वर्मा ९–१२–६० से कार्य कर रही हैं– हैड–कॉन्स्टेबल :

(१) श्रीमती सरस्वती सक्सेना ४-९-५८ से हैड–कॉन्स्टेबल के पद पर कार्य कर रही हैं।

(२) मिस ग्रेस वाईसमैन १–८–५९ से हैड–कॉन्स्टेबल के पद पर कार्य कर रही हैं।

(ख) कुमारी शारदा वर्मा को एस. आई. के पद पर दिनांक १–७–५७ को डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा कन्फर्म किया गया।

श्रीमती सरस्वती सक्सेना को डी० आई०-जी०, सी० आई० डी० द्वारा २४–६–५७ को कॉन्स्टेबल के पद पर कन्फर्म किया गया। दिनांक ४–९–५८ से कार्यवाहक हैड–कान्स्टेबल बनाया जाकर ३–२–६१ को डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा कन्फर्म किया गया।

मिस ग्रेस वाइसमैन को १–७–५७ को डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा कान्स्टेबल कन्फर्म किया गया तथा उसे १–२–५९ से ऑफिशियेटिंग हैड कॉन्स्टेबल बनाया जाकर डी०आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा ३–२–६१ को कन्फर्म किया गया।

(ग) कुमारी शारदा वर्मा बी० ए० हैं और उन्हें एस० आई० के पद पर सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुने जाने पर दिनांक २७–१०–५५ को डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा नियुक्त किया गया।

श्रीमती सरस्वती सक्सेना मैट्रिक्यूलेट हैं, उसे सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुने जाने पर कॉन्स्टेबल के पद पर डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा २१–१०–५५ को नियुक्त किया गया। उसे डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा ४–९–५८ को हैड–कॉन्स्टेबल के पद पर उन्नत किया गया, जिस पद पर वह अभी कार्य कर रही है।

(३) मिस ग्रेस वाईसमैन मैट्रिक फैल हैं उसे एस० पी०, एस० बी० द्वारा २०-१२-५५ को कॉन्स्टेबल नियुक्त किया गया एवं १–८–५९ को डी० आई० जी०, सी० आई०-डी० द्वारा हैड–कॉन्स्टेबल के पद पर उन्नत किया जाकर ३–२–६१ को कन्फर्म किया गया।

(घ) प्रमोशन विभागीय परीक्षा पास कर लेने के पश्चात् सेवा–काल की दृष्टि से दिया गया था। अतः सुपरसेशन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

भरतपुर में स्थापित किया जानेवाला जिला पुस्तकालय

५२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) :

Page No.21

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने भरतपुर में कोई जिला पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो क्या उस पर अमल भी आरम्भ हो गया है ?

(२) उक्त योजना की रूपरेखा क्या है ? क्या उसमें स्थानीय प्रकाशित तथा हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह रखा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त जिला पुस्तकालय की लगभग १ हजार हस्तलिखित पुस्तकों को वहां से जोधपुर स्थानान्तारत किया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां। सन् १९५६–५७ में भरतपुर की लाइब्रेरी जो पहले 'बी' क्लास लाइब्रेरी थी जिला लाइब्रेरी घोषित की गई और भरतपुर 'बी' क्लास की लाइब्रेरी के बदले डीग तहसील में लाइब्रेरी खोल दी गई।

(२) इस योजना के अन्तर्गत हर जिले में एक जिला पुस्तकालय स्थापित करने की योजना थी। उसमें स्थानीय प्रकाशित तथा हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रह करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(३) जी हां।

राजस्थान ओरियेन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर प्राच्य साहित्य व शोध व हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन के कार्य में संलग्न है; इसलिये सरकार ने उचित समझा कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के समस्त हस्तलिखित ग्रन्थों को उक्त संस्था के चार्ज में रख दिया जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार को मालूम है कि जिन पुस्तकालयों से वे हस्तलिखित ग्रन्थ हस्तान्तरित किये जा रहे हैं वे हस्तलिखित ग्रन्थ स्थानीय महत्व के हैं, अतः उनको वहां से स्थानान्तरित करने से दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां तक हस्तलिखित ग्रन्थों का सम्बन्ध है उसके लिये यह नीति है कि वे सब लोगों के लिए काम आ सकें। भरतपुर में रखते हुए सब लोगों को उससे लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि वहां पर सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिये उनका हस्तान्तरण किया जाकर जोधपुर में ले जाया जा रहा है, जहां पर रिसर्च आदि की व्यवस्था है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या हस्तलिखित पुस्तकों के लिये गवर्नमेन्ट की यह नीति है कि उन पुस्तकों को जोधपुर ले जाकर प्रकाशित किया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां रिसर्च आदि की व्यवस्था है, वहां रिसर्च का गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह समझ में नहीं आता जो हस्तलिखित ग्रन्थ स्थानीय महत्व के हैं उनको जोधपुर ले जाया जाना क्यों आवश्यक है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां पर इन्स्टीट्यूट बनी हुई है, गवर्नमेन्ट का डिपार्ट-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

मेन्ट है। वहां पर बिल्डिंग आदि की सब सुविधाएं हैं, भरतपुर में वह सुविधा नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक तरफ तो सरकार विकेन्द्रीकरण कर रही है लोगों को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से। एक जगह जो साहित्यिक प्रवृत्ति चल रही है उससे लोगों को वंचित किया जाय और फिर उस प्रवृत्ति को दूसरी जगह ले जाया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आगे जाकर इसका भी विकेन्द्रीकरण होगा। पहले एक जगह केन्द्रीकरण करके विकेन्द्रीकरण कर दिया जायगा। एक चीज जिसे आप स्थानीय महत्व की मानते हैं वह यदि सार्वजनिक उपयोग के लिये भी लाभ-प्रद हो सकती है तो उससे सब को वंचित क्यों रखा जाय ? मैं इसे विकेन्द्रीकरण की भावना के प्रतिकूल नहीं मानता।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, हस्तलिखित ग्रन्थों को अलग अलग जगहों से हटाया जाकर जो वर्षों की मेहनत और पुराने समय से एक जगह एकत्रित हैं, जिनका उस क्षेत्र के जन जीवन से सम्बन्ध है जो क्षेत्रीय प्रदर्शन की वस्तु है उन चीजों के लिये मंत्री महोदय फरमाते हैं कि पहले उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और बाद में विकेन्द्रित करेंगे, यह उचित नहीं है। चाहिये तो यह था कि क्षेत्रीय पुस्तकालय जितने हैं उनको डेवलप करने की सरकार की नीति होनी चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : His question has not been answered.

श्री अध्यक्ष : It was a speech.

बीकानेर शहर के कॉलेजों में वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षायें खोली जाना

५३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर शहर के दो कॉलेजों में वाणिज्य की डिग्री कक्षायें होते हुए भी वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षायें अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं की गई हैं ?

(२) क्या सरकार के पास वहां वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है ?

उपमंत्री शिक्षा : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) क्योंकि राजस्थान के अन्य सरकारी महाविद्यालयों में यह सुविधायें मौजूद हैं और सभी कॉलेजों में सभी सुविधायें उपलब्ध करना संभव नहीं। पांच अन्य कॉलेजों में एम. कॉम. कक्षायें हैं, अतएव अन्य किसी कॉलेज में एम. कॉम. कक्षा खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(२) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : जब वहां पर इस प्रकार की दो डिग्री कॉलेजेज़ हैं जहां वाणिज्य की शिक्षा दी जाती है, यदि वहां पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासें खोल दी जाती हैं तो वहां पढ़नेवालों को सुविधा हो सकती है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडीज़ के लिये अच्छे स्तर के छात्र आने चाहियें। उनके लिये स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। अच्छी

Page No.23

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिये, अच्छे प्रोफेसर्स होने चाहिये; ये सब सुविधायें थोड़ी जगह ही उपलब्ध हो सकती हैं, ज्यादा जगहों पर अच्छे टीचर्स, अच्छी लाइब्रेरी हो नहीं सकती; इसी बात को ध्यान में रख कर चार, पांच जगहों पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ की व्यवस्था कर रखी है ताकि उनको सब प्रकार की सुविधायें अच्छी तरह से प्राप्त हो सकें।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक मैं समझता हूँ इस सारे ही मामले में जहां तक किताबों का, लाइब्रेरी का या अन्य बातों का प्रश्न है ये सुविधाएं सब से अच्छी वहां हैं। सवाल यह है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे छात्र वहां जा नहीं सकते और फिर वहां दो डिग्री कॉलेजेज़ हैं। प्रश्न केवल एक, दो प्रोफेसर्स नियुक्त कर देने का है। आप पांच जगहों पर जब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोल सकते हैं तो फिर बीकानेर के बारे में ही आपको दिक्कत होगी, यह मैं नहीं मानता।

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ का जहां सवाल हो, वहां युनीवर्सिटी अपनी तरफ से खोले, बजाय इसके कि सरकार डिग्री कॉलेज के साथ इसे बढ़ावे। कोई सब्जेक्ट भी पढ़ाना हो और नया खोलना हो तो युनीवर्सिटी द्वारा किया जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार अन्य स्थानों पर कॉलेज चलाती है और दूसरी जगह प्रबन्ध करती है, तो फिर वहां तो युनीवर्सिटी का सवाल नहीं आता। फिर बीकानेर में ही यह सवाल क्यों आता है ? मेरा निवेदन करना यह है कि पचासों छात्रों को यहां आना पड़ता है और उनकी आर्थिक कठिनाई होने से उनको बहुत दिक्कतें होती हैं तो वहां अगर खोल दें, तो गरीब छात्र वहीं अटेन्ड कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह प्रार्थना की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज हर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की स्थिति यह है कि सभी सब्जेक्ट वहां नहीं हैं, कुछ न कुछ सब्जेक्ट्स के लिये विद्यार्थियों का एक दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। इसलिये एकेडेमिक पॉइन्ट पर भी युनीवर्सिटी ही इसके लिये व्यवस्था करे और इसमें जा सके, आगे जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो और जिन विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति खराब है पर जो योग्य हैं तो जैसा आपको भी पता है राजस्थान में विशेष तौर से उनको सरकारी सहायता देने के नियम बनाये जा चुके हैं।

कोटपूतली के स्कूल भवनों का निर्माण विभाग के सुपुर्द करना

५४. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटपूतली सब डिविजन में कितने भवन ऐसे हैं जिनमें स्कूलें चलती हैं परन्तु निर्माण विभाग के जिम्मे मरम्मत नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनकी जिम्मेदारी किस किस पर है ?

(ख) उक्त स्कूल भवनों को निर्माण विभाग के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

बिश्नोई) : (क) कोटपूतली सब डिविजन के दो हायर सैकन्डरी स्कूल्स, एक एस० टी० सी० स्कूल निर्माण विभाग की लिस्ट में है । एक हायर सैकन्डरी स्कूल, ७ माध्यमिक स्कूल तथा शहरी क्षेत्र के चार प्राथमिक स्कूल निर्माण विभाग की लिस्ट में नहीं हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) इन स्कूलों को निर्माण विभाग की लिस्ट में लिये जाने के लिये पहले ही से लिखा-पढ़ी कर दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : लिखा-पढ़ी को काफी दिन हो गये हैं । कब तक ले लिया जावेगा ? आज कोई भी उनकी मरम्मत करने को तैयार नहीं है। इसलिये डर है, अगर थोड़े दिन इसी तरह रहा तो ये भवन नष्ट हो जावेंगे और सरकार को घाटा होगा ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसको जल्दी करवावेंगे । नष्ट नहीं होने देंगे ।

राव राजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : सब जगह स्कूलों में यही झगड़ा रहता है । पी० डब्ल्यु डी० वाले कहते हैं कि एजुकेशन के अन्डर में है और एजुकेशन वाले कहते हैं कि पी० डब्ल्यु० डी० के और आज बारह, तेरह सालों में भी यह झगड़ा उनका तय नहीं हो पाया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): उनियारा का तो निर्णय हो गया ।

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अब कितने समय में यह झगड़ा तय करवा देंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

हिन्दी तथा संस्कृत परीक्षाओं को राज्य सेवा हेतु दी गई मान्यताएं

५५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार द्वारा कौन कौन सी हिन्दी तथा संस्कृत परीक्षाओं को राज्य सेवा के लिये मान्यता दी गई है ?

(ख) अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापक के ग्रेड दिये जाने हेतु सरकार ने क्या कोई नियम बना रखे हैं ? अगर हां, तो उक्त नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । क्या शिक्षा सचिव के पत्र संख्या सी १७ (२३) एजु० १०५२ दिनांक ११-४-५४ द्वारा हिन्दी संस्कृत अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों का ग्रेड दिया जाना मना किया गया है ? अगर हां, तो उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, सूची संलग्न है ।

(ख) जी हां....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह आप किसका उत्तर दे रहे हैं ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : यह मेरा प्रश्न है ।

(क) सदस्य महोदय की जानकारी हेतु सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ऐसी कोई आज्ञा प्रसारित नहीं की गई है कि हिन्दी-संस्कृत अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापक का ग्रेड न दिया जावे।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन ऐसी सूची प्रसारित की गई है कि उनको यह ग्रेड दिया जावे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिपार्टमेन्ट के रूल्स बने हुए हैं। जिनको दस साल का एक्सपीरियेन्स है और पांच साल उस ग्रेड में काम किये हो गये हैं तो २५ प्रतिशत के तौर पर ट्रेन्ड अध्यापकों के तौर पर उनको प्रोमोशन मिलता है। तो उनको वंचित नहीं किया गया।

गृह मन्त्री के समक्ष डकैतों द्वारा आत्म-समर्पण

५६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि गृह मन्त्री महोदय के समक्ष गत वर्ष जैसलमेर की तरफ से कई डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था ? अगर हां, तो किस किस ने और उनमें से प्रत्येक के एन्टीक्षीडेन्ट क्या हैं ?

(ख) इन डकैतों को आत्म-समर्पण करवाने की कार्यवाही क्या पूर्व आयोजित थी ? अगर हां, तो यह सारा आयोजन किस अधिकारी द्वारा किया गया था तथा किस अधिकारी ने डकैतों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें आत्म—समर्पण के लिये प्रेरित किया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, सूची संलग्न है।

(ख) जी हां। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा किया गया। डाकुओं के सम्बन्धी विशेष रूप से उनके परिवारों के सदस्यों को डाकुओं से आत्म-समर्पण करवाने के लिये प्रेरित किया गया, किन्तु यह कार्यवाही किसी विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाकर सामूहिक रूप से की गई।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री भीमसेन : क्या इन डाकुओं से आत्म—समर्पण के वक्त कुछ आर्म्स और एम्युनिशन्स भी जब्त किये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, कुछ किया था।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जिन्होंने सरेन्डर किया, क्या वे सब डकैती के केसों में इन्वोल्व्ड थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : डकैती, मर्डर, अटेम्पट टू मर्डर के भी थे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : How many of them are Indian Nationals and how many are non-Indian Nationals ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब इण्डियन नेशनल्स थे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या

Page No.26

(श्री मूलचन्द डागा)

इन डाकुओं ने अपने गुनाहों को कनफैस किया था ?

श्री भैरोंसिंह : गुनाहगारों को शील्ड किया था ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अभय दान किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन में कुछ ऐसे भी थे जो न डाकू थे, न चोर थे न मर्डरर थे; पर पुलिस ने अपनी तारीफ दिखाने के लिये उनको डाकू बनाया और इसके परिणाम स्वरूप सातवें दिन उनको छोड़ भी दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले के केस रजिस्टर्ड हों, तो आप क्या करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसे भी केसेज हैं जो दो–तीन दिनों पहले ही रजिस्टर किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका तो पता नहीं । हम आपको बता सकते हैं, अगर आप जानना चाहें तो ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बाड़मेर के डीवाई० एस० पी० ने स्ट्रेट शब्दों में वक्तव्य देते हुए स्पष्ट किया है कि डाकुओं के सरेन्डर की संख्या अधिक नहीं थी, डाकू तो एक–दो थे, पर संख्या अधिक बताने की गरज से लोगों को गिरफ्तार करके डाकू बना कर उनसे सरेन्डर कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जादू समझ में नहीं आया कि लोग तुरन्त डाकू बन जावें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : डाकू तो रातों–रात बनते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह उन लोगों की बातें होंगी जिनको यह अच्छा काम हुआ है पर पसन्द नहीं आया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे बहुत पसन्द आया । अगर इसी तरह डाकू बनवा कर सरेन्डर करवाते रहे तो आगे न जाने क्या होगा, यह भगवान् जाने । पर जिनको डाकूओं की संज्ञा दी, क्या दरअसल वे डाकू हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब मैंने अर्ज कर दिया ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कोई जवाब नहीं दिया । क्या उनमें ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके खिलाफ कोई रजिस्टर्ड नहीं था केस ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी, यह सही नहीं है ।

श्री भीमसेन : जो सूची दी गई है उसमें संख्या ५ से १८ तक, उनके खिलाफ केवल चोरी के मुकदमे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यहां गृह मन्त्रीजी की निगाहों में चोरी और डकैती में अन्तर नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या सबको माफ कर दिया गया ?

Page No.27

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं । सब केसेज़ में जो जुडीशियल एक्शन जरूरी था हुआ होगा ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा नहीं जिन लोगों ने उनको पनाह दी और जिनसे उन्हें सरेन्डर करने के लिये सम्पर्क कायम किया गया? अगर पुलिस अधिकारियों ने भी उनसे सरेन्डर की बात की तो क्या उन्होंने पनाह देने का गुनाह नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके घर-वालों से ही बात हुई थी ।

श्री तनसिंह : घरवालों को तो पकड़ा होगा, अगर वे पनाह देनेवाले थे तो, आपने ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भीमसेन : क्या सरकार की ऐसी नीति है कि डाकू समर्पण कर दें तो बाद में उन्हें रिहा कर दें ?

श्री रामकिशोर व्यास : आम तौर से जो सरेन्डर करना चाहें तो उन पर लीगल एक्शन सरकार ने लिया है । इसके बाद वहां से रिहा हों तो कोई हर्ज नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो सूचना सदन की मेज पर रखी गई है उससे जाहिर है कि अधिकांश लोग चोर हैं, डाकू नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब तरह के लोग हैं ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आप बताइये चोर कितने हैं और डाकू कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बड़ा अहम है । मैं इस क्वेश्चन का जवाब चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप सूची को देख लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : सूची सदन की मेज पर रखी है, मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस सेशन में और भी काफी मौके आवेंगे । इस मुद्दे को उठाने के लिये बहस का समय और भी मिलेगा । इसलिये इसे अधिक प्रश्न के रुप में लाना उचित नहीं होगा ।

उनियारा स्थित गांधी पुस्तकालय

५७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कस्बा उनियारा, जिला टोंक में कोई गांधी पुस्तकालय है ? अगर हां, तो कहां पर और वह कब स्थापित हुआ ?

(ख) क्या उपरोक्त पुस्तकालय के लिये कोई कमेटी है ? अगर हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं व उसका चेयरमैन कौन है ? उपरोक्त पुस्तकालय के लिये किन किन का चन्दा कितना कितना आया व क्या इसके कोई नियम हैं ?

Page No.28

(राव राजा श्री सरदारसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त पुस्तकालय काफी अर्से से बन्द है ? अगर हां, तो क्यों ?

(घ) उपरोक्त पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, कितनी धन-राशि मौजूद है और क्या माहवारी जमा-खर्च होता है और लाइब्रेरी फीस वसूल होती है? अगर हां, तो किसके द्वारा ?

(ड) क्या इस पुस्तकालय को सरकार से भी कोई सहायता मिलती है ? अगर हां, तो कितनी और अब तक कितनी मिल चुकी है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) हां, यह सही है कि कस्बा उनियारा, जिला टोंक में गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय है जो बाजार कटला पुरानी कोतवाली के पासवाले दरवाजे की छत पर एक तंग एवं छोटी कोठरी में स्थापित है । इसकी स्थापना १२-२-४८ को हुई थी ।

(ख) उपरोक्त पुस्तकालय की जब स्थापना हुई थी तो उसके निम्न सदस्य थे : सर्व श्री मदनकुमार काला, रामजीवन, बहादुरसिंह बोहरा, नारायणदास व रामस्वरूप पारीक । श्री रामजीवन इसके अध्यक्ष हैं। बोहरा नारायणदासजी के पास पुस्तकालय की आय-व्यय का रजिस्टर है जिसमें निम्न प्रकार से आय-व्यय का ब्योरा है । आय ७५५) १३ आने, अखबार बिक्री से आये ७८१) ५ आने; इस आय में सबसे अधिक चन्दा ५०१) रूपये श्री राजेन्द्रसिंह से प्राप्त हुआ । चन्दा प्राप्त करने के कोई नियम नहीं हैं ।

(ग) हां, उपरोक्त पुस्तकालय लगभग २ वर्ष से बन्द है । इसका कारण यह है कि जनता पुस्तकालय के प्रति जागरूक नहीं है तथा पास ही के नगरपालिका द्वारा संचालित वाचनालय से चन्द व्यक्ति लाभ उठाते हैं ।

(घ) इस समय पुस्तकालय में १२१ पुस्तकें हैं और लगभग ११०) रु० बचत है । मासिक आय कुछ नहीं होती है और न चन्दा ही लिया जाता है ।

(ड) पुस्तकालय को अब तक सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिली है; केवल जिला बोर्ड से एक रेडियो सैट व ३५०) रू० की सहायता मिली है जिसका हिसाब श्री रामजीवन के पास है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लाइब्रेरी का चन्द आदमी फायदा उठाते हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने तो यह कहा है-कि पास ही की नगरपालिका द्वारा संचालित वाचनालय से चन्द व्यक्ति लाभ उठाते हैं ।'

रावराजा श्री सरदारसिंह: यह बतावेंगे कि रेडियो लाइब्रेरी में है या किसी व्यक्ति-विशेष के मकान पर चल रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आपको ज्यादा हो सकती है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि सेक्रेटरी, डी. सी. टोंक ने खुद जाकर लाइब्रेरी का ताला खुलवा कर वहां

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

एक माणकचन्दजी स्टूडेन्ट हैं उनके सुपुर्द करके आये थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन कर दिया। न तो यह सरकार से सहायता प्राप्त है, न हमारा इस पर किसी तरह का नियन्त्रण है। यह रिकॉगनाइज्ड और रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसे चार–पांच व्यक्ति मिल कर चलाते हैं। हमने सहायता दी नहीं, जिला बोर्ड ने जो पहले था, दी थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मतलब है कि जब सरकार ने सहायता नहीं दी तो यह लाइब्रेरी क्या प्राइवेट है या सार्वजनिक ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह प्राइवेट–सार्वजनिक है।

श्री अध्यक्ष : श्री अपनूसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सार्वजनिक है तो फिर स्टूडेन्ट को क्यों सौंपा, उसके बजाय वहां कई स्कूलें हैं उनमें से किसी के मास्टर को सौंप देते ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के मातहत आप दावा करें। आपने प्रश्न पूछा, इसलिये आपकी भावना का आदर करते हुए सूचना मंगा कर हमने दे दी।

प्रश्न संख्या ५८

श्री अध्यक्ष : श्री अपनूसिंह ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भावना का आदर तो नहीं, बल्कि आप तो व्यक्ति विशेष का आदर करते हैं।

खानपुर हाई स्कूल में फर्नीचर का अभाव

५६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) खानपुर हाई स्कूल, जिला झालावाड़ में किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में अभी तक फर्नीचर नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो अब कब तक इसकी व्यवस्था की जा सकेगी ?

(ग) इस समय कितना कितना फर्नीचर किस किस कक्षा में है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) हाई स्कूल खानपुर, जिला झालावाड़ में इस समय कक्षावार छात्र संख्या निम्नलिखित है :—

कक्षा	विद्यार्थी संख्या	योग
१० ए	४३	
१० बी	३६	७६
६ ए	३२	
६ बी	३२	६४
८ ए	३७	
८ बी	३६	

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

कक्षा	विद्यार्थी संख्या	योग
८ सी	२२	६५
७ ए	३७	
७ बी	४०	
७ सी	४२	११६
६ ए	३६	
६ बी	४२	
६ सी	४३	१२४
	योग	४८१

(ख) इस समय स्कूल में छात्रों के लिए १६५ लोहे की कुर्सियां, १६ लकड़ी के स्टूल तथा ११५ टेबल्स मौजूद हैं। इस वर्ष १०० टेबल्स व १०० स्टूल्स और खरीदे गये हैं।

(ग) इस समय छात्रों के बैठने के लिए स्कूल में १६५ लोहे की कुर्सियां, १६ स्टूल तथा ११५ टेबल्स हैं। उक्त लिखित सामान (फर्नीचर) कक्षा १०, ६ व ८ के छात्रों के बैठने के लिए काम में आ रहा है। बाकी छात्र दरी, पट्टी पर बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में जयपुर शहर में गिरफ्तार शुदा व्यक्ति

३८. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में ११ जुलाई, १६६० की मध्य-रात्रि से पूर्व जयपुर शहर में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये?

(२) क्या इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को उनके कार्यालयों में से ड्यूटी पर से गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सम्मुख खुली अदालत में उपस्थित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों को मुकदमा चलाने के पूर्व कानूनी सलाहकारों से मिलने दिया गया? यदि हां, तो इन व्यक्तियों ने किन कानूनी सलाहकारों से परामर्श चाहा था और उन्हें कब मिलने दिया गया?

(५) गिरफ्तार व्यक्तियों को कौनसी श्रेणी में रखा गया और उस श्रेणी के अनुसार उन्हें वे सुविधाएं दी गई या नहीं, जो उन्हें मिलनी चाहिये थी? यदि हां, तो वे क्या सुविधायें थी?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) केवल ३२।

(२) एक को भी नहीं।

(३) जी नहीं ये गिरफ्तारियां, ११-७-६० को शाम को हुई थीं और उनको रिमांड के लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही न्यायालय का समय समाप्त हो चुका था परन्तु मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्हें उसी शाम प्रस्तुत किया गया और उन्हें जुडीशियल कस्टडी में दिया गया।

(४) गिरफ्तारी के बाद तत्काल ही

(श्री रामकिशोर व्यास)

समस्त व्यक्तियों को जुडीशियल हवालात में भेज दिया गया था तथा जेल में कानूनी सलाहकारों को मिलने की कोई मनादी नहीं थी। दिनांक १३-७-६० से उनके कानूनी सलाहकार उनसे बराबर मिलते रहे।

(५) गिरफ्तार व्यक्तियों के वारन्ट में अदालत द्वारा क्लास न लिखा होने के कारण नियमानुकूल उन्हें साधारण क्लास दिया गया व इन्हें खाने—पीने की विशेष सुविधायें दी गई।

श्री लादूराम सुलाणिया : आपने प्रश्न के संख्या नम्बर २ के उत्तर में यह नहीं बताया कि उनको ड्यूटी पर से गिरफ्तार नहीं किया गया, तो फिर कहां से किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ड्यूटी पर से आ गये थे।

श्री लादूराम सुलाणिया : कितने बजे आये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : बन्द करके आये थे उसी समय की बात है।

श्री लादूराम सुलाणियां : ड्यूटी पर से वापिस पकड़ कर लाये गये थे, आप मना कर रहे हैं कि ड्यूटी पर से नहीं पकड़े गये।

श्री रामकिशोर व्यास : ऑफिस टाइम के खतम हो जाने की बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों द्वारा स्पेशल सेक्रेटरी, नियुक्ति विभाग, को प्रस्तुत किये गये आवेदन—पत्रों पर कार्यवाही

४१. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू—सु०) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) स्पेशल सेक्रेटरी, राजस्थान सरकार को गत १६५६—६० में कुल कितने प्रार्थना—पत्र अनुसूचित जातियों और जन—जातियों के प्राप्त हुए ?

(२) क्या समस्त प्रार्थियों को नियुक्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो नियुक्त हुए प्रार्थियों की सूची, नियुक्ति की तिथि, पद और विभाग दर्शाते हुए सदन में प्रस्तुत की जाये।

(३) जिन प्रार्थनापत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई उनकी सूची, मय कारणों के सदन में प्रस्तुत की जाये।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सन् १६५६—६० में कुल ८६३ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए।

(२) सचिवालय की सूचनानुसार १४८ प्रार्थियों को नियुक्त किया जा चुका है। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी प्रार्थी हैं जिनकी नियुक्ति की आज्ञायें जारी कर दी गई थीं, किन्तु इनमें से कुछ तो कार्यालयों में उपस्थित नहीं हुए और कुछ ने उस पद को जिस पर नियुक्ति की गई अस्वीकार कर दिया तथा कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो साक्षात्कार के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिए बुलाये जाने पर उपस्थित नहीं हुए। बाकी बचे हुए व्यक्तियों में से बहुत सौं को नियुक्ति मिल गई होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। सम्बन्धित विभागों को इस बारे में सूचना देने के लिये स्मृति-पत्र भेजे जा रहे हैं।

(३) ऐसा कोई भी प्रार्थनापत्र नहीं है जिस पर कि सचिवालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लादूराम सुलाणिया : यह नियुक्ति मिल गई होगी, इसका क्या अनुमान है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए कि विभिन्न विभागों से हमारे पास सूचना नहीं आई है। विभागों को लिखा गया और उनसे यह अपेक्षित किया जाता था कि वे सूचना भेज देंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज की तरफ से यह लिख दिया गया है कि उनका नम्बर नहीं भेजा जायेगा और सीधा अपोइन्टमेंट करेंगे और एक तरफ स्पेशल सेक्रेटरी की रिकमन्डेशन करके भेजते हैं तो उनको सर्विस नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों लड़के मैट्रिक और इन्टर मारे-मारे गली-गली में फिरते हैं, उनको नोकर मिल गई होगी, ऐसा अनुमान है, क्या यह निश्चित नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि सचिवालय की सूचनानुसार १४८ प्रार्थियों को नोकरी मिल चुकी है, जो मेज पर उसकी सूची रख दी गई है। हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट की सूचना नहीं है इसलिए निश्चित कहना मुश्किल होगा।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके लिए कोई विशेष प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है जब कि इनकी सीटें रिजर्व हैं तो फिर बेकार उनके रहने से क्या फायदा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रिजर्वेशन जितना है उसके अनुसार तो उनको लिया ही जाता है। यह तो अपोन्टमेंट डिपार्टमेंट से प्रयत्न किया जा रहा है कि जहां स्थान हो वहां उनको मिल जाये। रिजर्व हैं उनके अन्दर तो जगह नहीं मिलने का प्रश्न नहीं आता है। जो योग्यता रखते हैं उनकी तो नियुक्ति होती ही है।

श्री लादूराम सुलाणिया : हर ऑफिस में वेकेन्सी है। आप असेम्बली के अन्दर ही देख लीजिये कि कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं और कितने दूसरे हैं। मैं तो कहता हूँ कि बहुत कम हैं।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी।

रानी विकास खण्ड में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

५०. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील देसूरी

(श्री मोतीबाबा चौधरी)

रानी विकास खण्ड में पशु चिकित्सालय नहीं होने से पशुओं का इलाज नहीं हो सकता और अत्यधिक पशु मरते हैं ?

(ख) क्या पशुओं के रोगों को रोकने के लिए रानी विकास खण्ड में पशु चिकित्सालय खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी नहीं।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : तो जब तक आप पशु चिकित्सालय नहीं खोलते हैं तो फिर चलती-फिरती मोबाइल डिस्पेन्सरी क्यों नहीं खोल देते ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.०६ म० प०

श्री सज्जनसिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा के देहावसान पर श्रद्धांजलियां

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित हो चुका है कि पिछली बार जो बैठक हुई और इस बार बैठक हो रही है उसके बीच में हमारे इस सदन के जो माननीय सदस्य, केप्टिन सज्जनसिंहजी १९५२ से लगातार इस सदन के मेम्बर रहे हैं, उनको हृदय-गति रुक जाने की वजह से १४ दिसम्बर, १९६० को उनका देहावसान हो गया था और उसके लिए हम सब को अत्यन्त दुःख है। वे इस सदन के योग्य सदस्य थे। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के अन्दर जब तक उन्होंने काम किया, उनके जरिये काफी लाभ पहुंचा है इस सदन को भी और अन्यों को भी। उनके पिछले जीवन में भी उन्होंने अलग अलग तरीकों से पटियाला के अन्दर, शाहपुरा के अन्दर, दूसरे स्थानों पर भी सेवायें की थीं और इस सदन को उनके देहावसान की वजह से एक भारी आघात लगा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम सब शोक और संवेदना का प्रस्ताव, उनके जो फेमिली मेम्बर्स हैं, उनके पास इस सदन की तरफ से, आपके द्वारा, प्रेषित करें और यह सदन मौन रह कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करे और आधे घण्टे के लिए इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाये।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है,

"God takes away those who do good on earth, and leaves behind those who do bad on earth."

इसके अनुसार माननीय श्री सज्जनसिंहजी के लिए तो यही कहा जायेगा कि वे इस संसार में रहने के लिए 'टू गुड' थे। उनकी आत्मा इतनी ऊंची थी कि भगवान् ने उनको अपनी शरण में बुला लिया। मेरा श्री सज्जनसिंहजी से ४० वर्षों से ऊपर का परिचय था और निजी मित्र के रूप में थे। ऐसी स्थिति में मुझे तो दुःख होना ही चाहिये,

Page No.34

(श्री रघुवीरसिंह)

साथ ही सदन को भी उनके असामयिक निधन से बहुत घाटा हुआ है। लेकिन जो काबू के बाहर की चीज होती है उसको बर्दाश्त करना ही होता है, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा और भगवान् से प्रार्थना करूंगा कि भगवान् उनकी आत्मा को शान्ति दें और उनके परिवार के लोगों को शक्ति प्रदान करें कि वे इतनी बड़ी हानि को सहन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय नेता और माननीय श्री रघुवीरसिंहजी ने श्री सज्जनसिंहजी के असामयिक निधन पर जो भावपूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं उनके साथ मैं भी सदन के अन्य माननीय सदस्यों की और स्वयं की संवेदना सम्मिलित करता हूँ। श्री सज्जनसिंहजी इस सदन के बहुत ही सक्रिय सदस्यों में से थे जो हमारे प्रदेश की सभी समस्याओं के बारे में जागरूक थे। वे पिछले ६ साल से विधान सभा के सदस्य के रूप में राजस्थान की सेवा करते आ रहे थे और सदन में भी उन्होंने कई तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और बहुत सा योग दान दिया। वे बहुत लम्बे अर्से तक पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर थे और वहां पर उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से, कंस्ट्रक्टिव आधार से कार्य करने की प्रणाली स्थापित की। उनके गंभीर और शिष्ट स्वभाव के कारण सदन के सभी माननीय सदस्यों का उनके प्रति मित्र भाव था और सभी लोग उनको अपना मित्र समझते थे। इसलिये इस घटना से सदन के माननीय सदस्यों को बहुत दुःख हुआ है और सदन में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। जैसा कि माननीय नेता ने कहा, हम २ मिनट तक मौन खड़े रहेंगे और उसके पश्चात् सदन की कार्यवाही आधा घंटे तक के लिये स्थगित की जायेगी।

(सदन के सभी माननीय सदस्य २ मिनट तक मौन खड़े रहे)

श्री अध्यक्ष : सदन की इस कार्यवाही की सूचना उनके परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही १२.१५ बजे आधा घंटे के लिये स्थगित हुई)

सदन की बैठक म. प. १२.५५ बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

विधान सभा का अधिवेशन बुलाने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था और उन्होंने लिखित रूप में भी मेरे पास सूचना भेजी है। वे कृपया चाहें तो उसको पढ़ दें, ताकि सब माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Mr. Speaker, Sir, the Rajasthan Legislative Assembly was summoned by the Governor on 20.12.-60 under Article 174 (1) of the Constitution of India to meet at 11.00 A.M. on the 22nd February, 1961, at Sawai Man Singh Town Hall, Jaipur. Notices were issued by the Secretary

Page No.35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of the Assembly as required under Rule 3 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly. A Circular was also issued by the Assembly Secretary forwarding a copy of the calendar of meetings and probable business to be transacted there at and requesting the members to be present in the House 15 minutes before the time of arrival of the Governor, i. e. at 10. 45 A. M.. Consequently as required the members including the Speaker, Dy. Speaker, Chief Minister, Opposition Leaders and other Ministers attended the meeting of the Assembly on 22nd at 10.45 A. M.. Sergeant-at-Arms was also posted as usual. Galleries belonging to Press, Government Officials and others were packed in full. The House was in it's full form awaiting the arrival of the Governor. But suddenly at about 11.15. A. M. the Assembly Secretary informed the House that the Governor has superseded summoning the meeting of the Assembly that day and has now summoned the Assembly to meet next day at 4. 00 P. M. at Raj Bhavan for his Address under Article 176 (1) of the constitution of India. The Assembly met at Raj Bhavan on 23rd at 4. 00 P. M. but the Governor instead of addressing the Assembly himself got it read out by the Hon'ble Speaker. Discussion on the matters referred to in this Address will start from today as is clear from the Circular issued to members by the Assembly Secretariat. Before any business is transacted, it is essential to discuss the constitutionality of today's meeting. Great stir has been created in public as well as in the Press; particularly, after a statement issued by Jan Sangh and Ram Rajya Dal, describing the meeting of the Assembly on the 23rd at Raj Bhavan as unconsitutional and unconventional. The situation that has now developed is of serious nature and requires serious consideration. It is a matter of interpretation of Articles 174, 176, 175, 160 and certain other releavant Articles thereto. I, therefore, raise this point of order under Rule 294 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly for decision of the following points :—

1. Whether the notification issued on 20-12-60 by the Governor under Article 174 (1) of the Constitution of India summoning the Assembly to meet on 22nd of February, 1961, at 11.00 A. M. at Sawai Man Singh Town Hall could be superseded after the Assembly actually met in pursuance thereof at the fixed time and date ?

2. Whether the Assembly could be summonded again under Article 174 (1) without first proroguing the House under Article 174 (2) (a) of the Constitution of India ?

3. Whether the meeting of the Assembly on 23rd at Raj Bhavan for an Address by the Governor

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

under Article 176 (1) was constitutional under the circumstances?

4. Whether reading out of the Address by the Speaker on behalf of the Governor is sufficient compliance of Article 176 (1) ?

5. Whether the discussion on such an Address would be covered by Article 176 (2) and Rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House, if the Address is taken to be under Article 175 ?

6. Whether the House can transact any other business without complying with the provisions of the Article 176 (1) first?

7. Whether under these circumstances today's meeting of the Assembly is constitutional?

If the answer to the above mentioned 7 points is a negative which according to me is, it means that all the proceedings to be conducted henceforth including huge legislation and passing of the Budget would be rendered null and void. They might be challenged by anyone in the Court of law on these constitutional defects and if unfortunately something is decided in their favour, it would not only bring disrepute to the Governor and the Chief Minister but to the whole democratic structure. As such it would have far reaching consequences as various Ordinances and next years' budget would also be passed in this session. Hence it is desired that the above 7 points be decided first.

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इसकी कॉपी चाहिये, फिर बोला जा सकता है। यह तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : How can it be read ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Hon'ble Speaker had asked me to submit my point of order in writing earlier when the House met. So I heve submitted that.

श्री श्रीभानसिंह : But this one point of order raises several issues. We must have a copy of it and then there can be a discussion on these points.

श्री आबिद्अली (सवाई माधोपुर) : This may be circulated in the House so that every member may have an opportunity to discuss the matter eleborately in the House.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Copy of this must be supplied to us.

श्री श्रीभानसिंह : It is not possible for us to elucidate all these points extempore.

श्री अध्यक्ष : It is not necessary to give a copy of it to every member.

श्री आबिदअली : It may not be necessasy, but it would not be fair to the members.

श्री पी० के० चौधरी : The members must be given a copy of this elaborate point of order. After all, the members cannot remember all the points and Articles and Rules of Procedure to which the Hon'ble member has referred.

श्री अध्यक्ष : But the point of Order has to be dispoed of. It cannot be held over, otherwise the proceedings shall have to be held over.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : Mr. Speaker, the Hon'ble Member has raised so many points of order at one time. He should raise one point of order at a time and when that is disposed of, he can raise another point of order.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : The substance of his point of order is whether the present meeting is constitutional under the provisions of the Constitution or not. The rest is only the logic in the arguments that the Hon'blemember has advanced. So if the Hon'ble members want to take the benefit of the logic behind this point of order to answer it point by point, I would request the Hon'ble member, who has raised this point of order, to give again a summary of points which are contained in his point of order, so that all the members who are interested can contribute to the debate.

(१. म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ बिज़नेस के अनुच्छेद २६४ के अन्तर्गत मैंने यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है; जिसमें यह लिखा हुआ है : "(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से मैंने इसमें सात बातें रखी हैं। एक तो यह कि विधान सभा का सत्र २२ फरवरी को इसी हॉल में निमन्त्रित किया गया था २० दिसम्बर, १९६० को और उसके अनुसार यहां पर माननीय सदस्य उपस्थित हो गये। उनके उपस्थित होने के बाद ११–१५ पर २२ दिसम्बर को जारी किये गये आदेश को सुपरसीड किया गया; जबकि उस ऑर्डर के तहत सदन के माननीय सदस्य यहां एकत्र हो चुके थे, उसके बाद ११–१० पर सचिव महोदय द्वारा गवर्नर के सुपरसीड करने के ऑर्डर को सुनाया गया। मेरा इसमें यह निवेदन है कि कॉन्स्टीट्युशन की धारा १७४ के तहत वे बिना हाउस को प्रोरोग किये इस प्रकार ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। यह एक मोटा पोइन्ट है।

श्री पी. के. चौधरी : I think, Sir, he should take one point of order. He has taken 3 points of order at a time. So let us take them one by one.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have raised a point of order involving interpretation of certain Articles of the Constitution.

श्री श्रीभानसिंह् : I have one objection, Sir. The points of order must not seek information from the House or the Chair. The Hon'ble member is actually seeking information behind the point of order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not seeking information.

श्री श्रीभानसिंह् . He must state his point of order. He said that the sitting of the House is ultravires of the Constitution. This should be his point of order, and not 7 or 10 points on which he is seeking information.

श्री अर्जनदास (अजमेर–पश्चिम) : That is exactly the point of order. the rest are only the grounds why this sitting is ultravires.

श्री श्रीभानसिंह् : Then he must state so, and not seek information.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not seeking information. I am definitely of the opinion that this sitting of the House is unconstitutional.

१७० (१) में मेन्डेटरी प्रोविज़न है कि जब तक प्रथम दिन गवर्नर महोदय एड्रेस नहीं करते तब तक सेशन की शुरूआत नहीं हो सकती। उसके बाद १७६ (२) की कार्यवाही होती है, जिसमें यह है :

"Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

हमारे जो रूल्स बने हुए हैं उनके तहत यह सवाल पैदा होता है कि जब तक राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं होता, सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। इसके लिये मेरी ऐसी मान्यता है कि २३ फरवरी को जो राजभवन में मीटिंग हुई वह वैधानिक नहीं है। धारा १७६ के तहत, जिसमें यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा, यह नहीं माना जा सकता। उस मीटिंग को गवर्नर महोदय ने एड्रेस नहीं किया, उन्होंने अपना एड्रेस डिलीवर नहीं किया :

"The Governor shall address the Legislative Assembly"

एड्रेस तो नहीं किया, वहां पर वे उपस्थित जरूर रहे। उनका भाषण दूसरों के द्वारा पढ़ा जाना यह इस आर्टिकल द्वारा सपोर्ट नहीं हो सकता। उनको खुद को एड्रेस करना चाहिये मेरी नॉलेज में है, so far as my knowledge goes, Mr. Speaker, he has not addressed even a single word to the House so far as the 'Address' is concerned. इसलिये इसको एड्रेस नहीं कहते, मैं अभिभाषण नहीं मानता।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस आर्टिकल १७५ के तहत क्या उनके भाषण को अध्यक्ष महोदय पढ़ सकते हैं ? जहां धारा १७६ 'ए' का ताल्लुक है उसके अनुसार गवर्नर महोदय का भाषण होता है । इसमें राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण को पढ़ा नहीं, इसलिये इस भाषण को राज्यपाल का भाषण नहीं मान सकते इसलिये विधान सभा की जो बैठक यहां हो रही है वह संविधान के अनुसार नहीं यह बैठक असंवैधानिक है । इसलिये १७६ (२) के अनुसार इससे सहमति नहीं हो सकती ।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir...

श्री अर्जुनदास : I rise on an another point of order, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order, Sir. The Hon'ble member has raised one issue and has tried to confound the House by quoting Articles of the Constitution. The main issue is whether on 22nd the House which met here, that constitutes a meeting or not ? If this House is of the opinion that on 22nd the meeting of the House was actually held, then the subsequent sittings can be ultra-vires, but my opinion is that on 22nd the House did not meet.

श्री अर्जुनदास : Is this a point of order or a reply ?

श्री श्रीभानसिंह : Reply.

श्री अर्जुनदास : He said that he is raising a point of order. Why this reply ?

श्री श्रीभानसिंह : You were present in the Governor's House.

श्री अर्जुनदास : Sir, when he says that he is replying to the point of order, then I want to raise another point of order and he can make a common reply to both the points of order.

श्री अध्यक्ष : Let us first dispose of the first point of order.

श्री अर्जुनदास : My point of order would also be with regard to the legality of this sitting.

श्री अध्यक्ष : But there cannot be another point of order before one is disposed of.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, a 'Session' connotes the sitting together of the Legislative body for the transaction of business of the House.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : What the Hon'ble Member is reading from ? If the Hon'ble Member is permitted to read from a book, he should quote the particulars of the book.

श्री अध्यक्ष : आप किसमें से पढ़ रहे हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : 'The Constitution of India' by Basu.

Page No.40

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Then you are reading his commentary.

श्री श्रीमानसिंह : Yes, that is a commentary on Article 176.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Then it is opinion of an author that he is quoting.

श्री श्रीमानसिंह : At persent it is my opinion. You listen just now.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : You are not allowed to read the opinions of others.

श्री अर्जुनदास : Don't borrow others' opinions.

श्री श्रीमानसिंह : To constitute a sitting of the House, the Speaker must be on the Chair and if the Speaker is not on the Chair, the House has not met. And since on the 22nd the Speaker was not on the Chair, therefore, the House had not met and the business of the House was not transacted.

Rule 11 of our Rules of Procedure indicates when a sitting of the House is duly constituted:-

"A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules." Therefore, when the Speaker or the Deputy Speaker, who is competent to preside over the House did not preside, and the message was read out by the Secretary of the Assembly only, the House cannot be said to have met. Therefore, it is within the powers of the Governor to supersede any order passed by him before the House has actually met. It is within his powers to issue a second Ordinance calling a meeting at any time.........

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Point of clarification. I would like to know from the Hon'ble member......

श्री श्रीमानसिंह : The Governor can issue an Order......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The point of clarification must be answered first......

श्री अध्यक्ष : Let him complete his arguments.

श्री अर्जुनदास : Does he mean 'Ordinance' ? He has used the word 'Ordinance'. Did the Government issue an Ordinance ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Sir, what the Hon'ble member is saying is not intelligible.

श्री श्रीमानसिंह : I would first give a chance to the Hon'ble member to say what he wants......

श्री अर्जुनदास : Does the Hon'ble member mean to say that the Gover-

Page No.41

(श्री अर्जनदास)

nor can convene a new meeting without issuing summons of 14 days ?

श्री अध्यक्ष : We cannot proceed like this in questions and answers. I will permit some of the members to state their case and then I will give my decision.

Yes, has the Hon'ble member (Shri Sribhan Singh) finished ?

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, I just gave him a chance. His second point was, why did the Secretary read out Govrsnor's message superseding the meeting of 22nd and calling a meeting on the 23rd. "When a session of the Assembly is summoned, the Secretary shall intimate to each member the time and place appointed by the Governor for the meeting of the Assembly." It is his duty and he only performed his duty. He did not convene or preside over any meeting. This is what I have to say.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Hon'ble Speaker, Sir, according to Rule 294, a member can raise only one point of order at a time. But the Hon'ble member has raised 4 points of order at a time. The first point of order as I analyse it, is whether the Governor's supersession of his previous order of 20th December, 1960, is correct or not.

The second point is whether the calling of the meeting at Raj Bhawan was constitutional or not. The third point of order is whether the address of the Governor, which was read out by the Speaker, was correct or not. The fourth point is whether our meeting today is correct or not. So four points of order have been raised at a time. Now my submission is that no member can raise four points of order at a time under our rules. Taking it for granted that the Hon'ble member can raise four or ten points of order at a time, let us take up each point of order.

Now the first point of order is whether the Governor can supersede his order or not. Obviously, the authority that issues an order can supersede it.

Second point is whether the Governor can convene a meeting at any place. That is also permitted by the Constituion. He can mention the date, time and place of the meeting.

The third point is why 14 days' notice was not given. Here I would draw your attention, Hon'ble Speaker, Sir, to Rule 3 of our Rules of procedure:—

"(2) The summons under sub-rule (1) shall ordinarily be issued fourteen days before the date so fixed:

Provided that if a session is called at short notice, the Secretary shall intimate the time and place for the meeting of

(श्री पी. के. चौधरी)

the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct."

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Did the Speaker ever pass such an order ?

श्री अध्यक्ष : Please don't intervene.

श्री पी. के. चौधरी : So our Rules of Procedure indicate that if the Assembly is summoned at a shorter notice, the Secretary shall intimate to the members in any manner as the Speaker may direct. So his intimation to the members that the meeting will be convened now on 23rd is also not unconstitutional.

The one point of order which now remains to be decided by you, Sir, is whether your reading of the Address is 'Address' as used under Article 176 of the Constitution ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : My submission is, Sir, that there is only one main contention which has been raised by the Hon'ble member from Jaipur, and that is whether the order of the Governor superseding his previousorder of summoning the House was competent or not ?

श्री अर्जुनदास : आप समझे ही नहीं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : The main question is whether the Governor can supersede his previous order or not? My submission is that he was competent to do so. An authority which can convene a meeting can also supersede that meeting. This question was once raised before the Calcutta High Court. I have not brought that citation, but there is a definite ruling of the Calcutta High Court on this point that the authority which can convene meeting can also supersede it. It is not necessary that a meeting should also be held.

Moreover, under Article 174 the Governor has got a right to convene the Hous from time to time to meet at such time and place as he thinks fit. This has given a clear power to the Governor to convene the House from time to time and it is not at all necessary that 14 days' notice should be given. Ofcourse, it is necessary, under our rules, to give notice of 14 days ordinarily, but there is also a proviso to the rule that a shorter notice can be given.

Regarding the summoning of the Assembly Sub-rule (1) of Rule (3) is like this: "When a session of the Assembly is summoned, the Secretary shall intimate to each member the time and place appointed by the Governor for the meeting of the Assembly and shall cause a notification to be issued in the Gazette,

"Provided that if a session is

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

called at short notice the Secretary shall intimate the time and place for the meeting of the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct."

So my submission is, Sir, that here the Secretary has issued another notice that the Assemly would meet on the 23rd at Raj Bhawan at such and such time. The time has been specified. The place has been specified. A short notice has been issued curtailing the period of 14 days. That is absolutely within the rule, and the point of order that has been put by my learned friend is out of order.

Moreover, Sir, there is one thing more. The contention of my learned friend is that whether the Speaker could read it or not ? Because the Governor has already addressed the House, he simply asked the Speaker to read the Address, and that he did under the directions of the Governor. Therefore, the point of order that has been raised is absolutely out of order.

श्री अर्जुनदास : Mr. Speaker, Sir, I believe the Hon'ble member from Beawar has not tried to understand the objection raised from this side...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I understood, but you have not.

श्री अर्जुनदास : The point of order as raised by the Hon'ble member from Jaipur is that could the Governor supersede his order after 11. A. M. ? Nobody has come to challenge the position that he could do it before 11 A. M.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री अर्जुनदास : The question is that can the order be superseded after 11 A. M....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : The Hon'ble member is raising another point of order or mainly repeating the point of order that has been raised.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : He is only trying to understand the point of order.

श्री अर्जुनदास : I have understood it. You should try to understand. Could the Hon'ble Governor supersede after 11 A. M. ? I am sure, all the Hon'ble member of this House would say, "No, he could not adjourn or supersede it after 11.00 A. M." Before 11 A. M. he could. We are not discussing that position that his order was communicated to us after 11. A. M....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I may intervene. I may inform the Hon'ble members that the order was published before 11. A. M. It was printed before 11 A. M.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information...

श्री अर्जुनदास : The members should have left the House before 11 A. M.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Before 11 A. M. it was printed. It was communicated to the members here later on.

श्री पी० के० चौधरी : The material point is not the 11 A. M....

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member Shri Arjan Das.

श्री अर्जुनदास : As long as this order is concerend, it might have been passed before 11, but so long as it could not be communicated to the members of the House before 11 A. M., and the House started functioning at 11 A. M. So whatever you have said is nothing because I understand you can never understand things like that. We are not guided by what you feel. We are guided by the book itself. This order was not communicated to the House before 11. A. M., and we all were here the Hon'ble Dy. Speaker was here. I cannot say whether the Hon'ble Speaker was here or not, but it should be deemed to have constituted a meeting. So no order of the Governor could supersede the meeting. The Hon'ble Governor could prorogue the meeting.

A reference has been made to Rule 3. Probably Rule No. 3 has not been tried to be read properly. Even the proviso of Rule 3 says:

"Provided that if a session is called at short notice the Secretary shall intimate the time and place for the meeting of the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct."

Everybody is trying not to read the last phrase, "in such a manner as the Speaker may direct." The question is if the Governor passed an order to supersede his first order of summoning the House, and he passed another order to summon the House with a short notice, was it communicated to us in the manner directed by the Speaker ?

श्री अध्यक्ष : I may inform the House whatever procedure was followed to communicate the revised order of the Governor was done under my direction.

श्री अर्जुनदास : In writing or verbally ?

श्री अध्यक्ष : Please listen.

श्री पी० के० चौधरी : In writing or verbally no member can question when the Speaker has told that it was done under his direction.

श्री अध्यक्ष : जब राज्यपाल महोदय ने अपना अमेन्डेड ऑर्डर भेजा तो उस समय जो समस्या हमारे सामने थी वह यह थी कि किस

Page No.45

(श्री अध्यक्ष)

तरह से समय के अभाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से माननीय सदस्यों को इत्तला दी जा सके। इसलिए मेरे आदेशानुसार पहली चीज वह की गई। जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे उनको सदन में इस बात की सूचना दी गई, असेम्बली सेक्रेटरी के द्वारा बाद में जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे उनको हमने अर्जेन्ट तार द्वारा सूचना दी। फिर भी माननीय सदस्यों को सूचना नहीं मिल सकी उनको सूचना देने के लिए हमने ऑल इन्डिया रेडियो को कह कर सूचना दे दी और माननीय सदस्य जहां रहते हैं उनको आवश्यक सूचना भिजवाने की व्यवस्था की गई। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने कहा कि जो कार्यवाही की गई वह मेरी आज्ञा के बिना की गई, वह उचित नहीं है।

श्री अर्जुनदास : Anyway, Sir, what we heard from the Secretary, he never at least told us that the Hon'ble Speaker has given his consent, and he is reading according to the consent of the Hon'ble Speaker.

श्री अध्यक्ष : कन्सेन्ट की आवश्यकता नहीं थी। It was only the manner of communication to the Hon'ble members in a short time that was available with us. This was the question.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह जो सूचना आपके द्वारा दी गई सबको तो क्या आपके पास समय से पहले राज्यपाल की ओर से सूचना आ गई थी ?

श्री अध्यक्ष : निश्चिततः पहले सूचना आ गई तभी तो ऐसा हुआ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : हमें विदिन टाइम सूचना मिली या नहीं, यह आपको ठीक तरह से मालूम हो गया था ?

श्री अध्यक्ष : किस टाइम के पहले ?

श्री मदनसिंह : ११ बजे से पहले।

श्री पी० के० चौधरी : About this I have got something to submit.

श्री अध्यक्ष : Law Minister wants to say something.

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इस सदन में उठाया गया है उसका सार अगर समझें तो यह कहा जा सकता है कि २० दिसम्बर, १९६० को इस सदन की मीटिंग समन करने का नोटीफिकेशन निकला था २२ फरवरी के लिए। २२ फरवरी को यहां उनके माफिक मीटिंग हुई और उसके बाद में मोअत्तिल कर दी गई और दूसरा नोटीफिकेशन निकला २३ फरवरी की मीटिंग के लिए। तो यह कहा गया सबसे पहले कि २३ फरवरी को दुबारा मीटिंग की गई सदन को बगैर प्रोरोग किये, ऐसी मीटिंग समन नहीं की जा सकती। दूसरे यह कहा गया कि गवर्नर के यहां राजभवन में मीटिंग हुई; वह वैधानिक रूप से सही नहीं थी। तीसरे, जो गवर्नर का एड्रेस था वह उन्होंने खुद ने नहीं पढ़ा बल्कि अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा; वह कानूनी तरीके से सही नहीं था और चौथे यह कि जो कार्यवाही आज हम करनेवाले हैं वह

(श्री रामकिशोर व्यास)

सब गैरकानूनी है, विधान के खिलाफ है और कोर्ट में चैलेन्ज किये जाने के काबिल है। उनके पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का मैं यह सार समझा। उन्होंने हमारी असेम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस की धारा २६४ का हवाला दिया। सबसे पहले सवाल जो हमारे सामने आता है और यदि हम इस आर्टिकल को गौर से देखते हैं तो इस नतीजे पर हर अक्लमन्द आदमी को आना पड़ेगा कि २६४ के अन्दर यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं आयेगा। आप इसको किसी तरह से भी देखें, खूब गौर से सोचें तो कोई प्रोवीजन उसका लागू नहीं होगा। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखा, एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर एक ही इश्यू पर हो सकता है, कई मामलों पर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कई मामले हैं। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसलिये मैं इस बात पर न कह कर और बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो काबिल गौर हैं। धारा २६४ में उन बातों पर गौर किया जा सकता है जो इन्टरप्रिटेशन के बारे में हो, रूल्स ऑफ बिज़नेस के बारे में हो और विदिन दी कॉग्नीज़ेन्स ऑफ दी स्पीकर हो....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : And further ?

श्री रामकिशोर व्यास : महरबानी फरमा कर खामोश रहें। मेरे बाद में जो कुछ फरमाना हो, शौक से फरमाइये। बीच में इन्टरप्शन न करें तो मैं ज्यादा अहसानमंद होऊंगा....

श्री अर्जुनदास : अधूरा तो मत पढ़िये।

श्री रामकिशोर व्यास : रूल २६४ इस तरह से है:

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

जैसा कि मैंने निवेदन किया था रूल्स ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करने के लिये कोई पॉइन्ट हो या विदिन दी कॉग्निजेन्स ऑफ स्पीकर हो, ये पॉइन्ट्स हों तो यह रूल काम में आ सकता है। लेकिन मुझे आपकी सेवा में नम्र निवेदन करना पड़ता है कि इन तीनों के बारे में यह चीज है नहीं। हाउस में काम हो रहा हो तो उसके बारे में ये रूल्स ऑफ बिजनेस काम में आ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि कोई बिज़नेस ट्रान्ज़ेक्ट नहीं हुआ और जब बिज़नेस ट्रान्ज़ेक्ट नहीं हुआ तो यह काम में कैसे आ सकता है? यदि बिजनेस ट्रान्जेक्ट हो और आप फरमावें तो ठीक हो सकता है, लेकिन अभी तो हाउस में बिज़नेस शुरू ही नहीं हुआ। आपका चैलेन्ज यह नहीं है। आपका चैलेन्ज यह है कि धारा सभा का यह सैशन ही गलत है। आप इसकी जड़ में जाते हैं तो बिज़नेस कंडक्ट करना था। २६४ के अन्तर्गत जो बिज़नेस रेगुलेट करने का प्रश्न है वह पैदा ही नहीं होता आपका मेन कहना है कि आपकी मीटिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी लेकिन बात ऐसी नहीं है।

दूसरा पॉइन्ट निकलता है 'विदिन दी

Page No.47

(श्री रामकिशोर व्यास)

कॉग्निज़ेन्स ऑफ दी स्पीकर' होना चाहिये । वैसे आम तौर से आपने गौर किया होगा कि गवर्नर का जो ऑर्डर होता है उसको चैलेन्ज नहीं कर सकते। गवर्नमेन्ट के ऑर्डर को चैलेन्ज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो कि हैड ऑफ दी स्टेट होता है उसका ऑर्डर चैलेन्ज होता नहीं है। एसेम्बली का सेशन समन करना, तारीख मुकर्रर करना, वक्त मुकर्रर करना, आम तौर से चैलेन्जेबल नहीं होता है । आपके लिये यह गौरतलब बात है कि क्या हम इसे चैलेन्ज कर सकते हैं? मेरे ख्याल से चैलेन्ज नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया, गवर्नर का जो ऑर्डर था जिसको आप चैलेन्ज करना चाहते हैं उसको चैलेन्ज नहीं कर सकते और यह ऑर्डर 'विदिन दी कॉग्नीज़ेन्स ऑफ दी स्पीकर नहीं है।

एक बात मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस की बताई, दूसरी 'विदिन दी कॉग्नीजेन्स ऑफ स्पीकर' की बात बताई कि यह गवर्नर के कॉग्निज़ेन्स की बात थी । इसलिये यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इर्रेगुलर है ।

और भी बहुत से पॉइन्ट आपने रेज़ किये हैं इसलिये उनके बारे में भी अपने ख्यालात आपके सामने अर्ज कर दूं तो बेजा नहीं होगा। पहला जो इश्यू आपने रेज़ किया वह यह किया कि क्योंकि धारा सभा का सैशन गवर्नर ने कॉल किया था, उसकी मीटिंग हो गई थी इसलिये जब तक वह प्रोरोग नहीं की जावे तब तक दूसरी नहीं हो सकती; और २२ फरवरी को जो नोटिफिकेशन निकला है वह अनकॉन्स्टीट्यूशनल है क्योंकि एसेम्बली प्रोरोग नहीं की गई और यदि प्रोरोग की

८ जाती तो बकौल आपके ठीक होता । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून की मंशा यह है कि प्रोरोग तब होती है जब कि एसेम्बली शुरू हो जाय । लेकिन जब एसेम्बली का कमेन्समेन्ट ही न हो तो प्रोरोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । प्रोरोग तभी होगी जब कि कमेन्समेंट हो जाय, शुरूआत हो जाय । लेकिन इसकी शुरूआत नहीं हुई है।

अब आपके सामने यह सवाल है कि कमेंसमेंट हुआ या नहीं? मेरा यह निवेदन है कि कमेंसमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यों को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ कर सुनाऊं। उसके अलावा अपने यहां के बिजनेस रूल्स के रूल ११ में भी बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, उसमें गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। ड्युली कॉन्स्टीट्यूटेड सैशन कब माना जायगा, यह बहुत साफ है। मैं इसे आपके सामने पढ़ देता हूँ :

"11. When is sitting of House duly constituted:

A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these Rules."

तो प्रोपरली, ठीक तरह से, एसेम्बली के अधिवेशन का प्रारम्भ उस समय माना जायेगा जब कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनको प्रिसाइड करने का अधिकार दिया गया है वे आकर उसकी अध्यक्षता करें या और कोई जिनको कॉन्स्टीट्यूशन के तहत अधिकार दिया है, ऐसे दो ही व्यक्ति हैं, अध्यक्ष और दूसरे

Page No.48

(श्री रामकिशोर व्यास)

उपाध्यक्ष, वे इसकी अध्यक्षता करें । यह आपसे पोशीदा नहीं है कि २२ तारीख को ११ बजे से हम सब यहां इकट्ठा हुए, इस हाउस में बैठे भी । इकट्ठे होना और बैठने का भी लाजमी तौर पर यह नतीजा नहीं है कि हाउस कमेन्स हुआ, सैशन आरम्भ हुआ । इसका नतीजा यह नहीं है । यदि आरम्भ होता तो अध्यक्ष उसको प्रेसाइड करते या दूसरे व्यक्ति जिनको अधिकार कॉन्स्टीट्यूशन ने दिया है वे प्रेसाइड करते तो कमेंसमेंट माना जा सकता था । इसलिये मेरा सबमिशन है कि अधिवेशन का कमेंसमेंट नहीं हुआ । क्योंकि रूल ११ कहता है कि मीयरली मेम्बरान इकट्ठे हुए, सदन के हॉल में बैठे हैं केवल इससे ही कमेंसमेंट नहीं माना जायगा । रूल ११ की कम्पलाइन्स होगी तभी कमेंसमेंट माना जायगा । इसका कमेंसमेंट नहीं हुआ और यदि नहीं हुआ तो प्रोरोग नहीं हो सकती ।

दूसरी बात यह है कि गवर्नर महोदय ने २२ तारीख को धारा सभा का अधिवेशन बुलाया था तो क्या वे मुल्तवी कर सकते थे ? क्या ऐसा करने का उनको अधिकार था । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि उनको ऐसा करने का अधिकार है । एक मोटा उसूल यह है कि जिनको मीटिंग कन्वीन करने का अधिकार होता है, बुलाने का अधिकार होता है उनको मन्सूख करने का भी अधिकार होता है । जो मीटिंग कॉल करेगा वह कैंसिल भी कर सकेगा । इसके अलावा जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट है । मैं इस प्रश्न की लीगल पोजीशन अर्ज करना चाहता हूँ कि जनरल क्लॉजेज़ एक्ट है वह भी कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार इस पर एप्लाई होगा । जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट यदि एप्लाई होता है तो जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट के प्रोविज़न्स के माफिक कन्वीन किया जा सकता है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि गवर्नर को मीटिंग कॉल करने का अधिकार था और मंसूख करने का भी अख्त्यार था । इसलिये २२ तारीख का जो नोटीफिकेशन निकला है वह सही था और उसको निकालने का अख्त्यार था ।

दूसरा पॉइन्ट यह आता है कि जो मीटिंग हुई वह यहां न होकर राजभवन में हुई । उसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मीटिंग के लिये गवर्नर वक्त मुकर्रर कर सकते हैं, दिन मुकर्रर कर सकते हैं और जगह भी मुकर्रर करने का उनको अधिकार है । जगह वह वहां भी रख सकते हैं, दूसरी जगह भी रख सकते हैं—इसमें कानूनी गलती की बात नहीं है । वे कोई भी जगह फिक्स कर सकते हैं । वह जगह राज भवन में रखी, राज भवन में मीटिंग हुई । इस वजह से वह प्रोपरली कॉन्स्टीट्यूटेड मीटिंग थी । प्रोपरली कॉन्स्टीट्यूटेड मीटिंग हो, इस वास्ते नोटीफिकेशन २२ फरवरी को निकाला, वह वैधानिक था । उसके तहत मीटिंग होगी वह वैधानिक मीटिंग होगी, वह अवैधानिक नहीं होगी । जो राज भवन में मीटिंग हुई वह विधान के माफिक थी । उसमें प्रोसीडिंग्स हुई वे ठीक हुईं, वाजिब हुई । उनको गैर वाजिब बताना कानूनन सही नहीं है । जब प्रोरोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीटिंग हुई नहीं । गवर्नर को अधिकार था, दूसरा नोटीफिकेशन निकाल सकते हैं । वह नोटीफिकेशन निकाला, उसके तहत मीटिंग हुई तो वह मीटिंग वाजिब हुई ।

अब सवाल आया, जो एड्रेस पढ़ा गया, वह गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा बल्कि अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा, इसलिए गवर्नर का अभि-

(श्री रामकिशोर व्यास)

भाषण उसको नहीं समझा जा सकता । जब गवर्नर का अभिभाषण नहीं समझा जा सकता, उस पर बहस नहीं कर सकते और जो आज बहस करने जा रहे हैं वह गलत है, नामुनासिब है क्योंकि एड्रेस (भाषण) नहीं हुआ । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सारे रूल्स ऑफ बिजनेस देख लें, कॉन्स्टीट्यूशन देख लें, उसमें यह जरूर है कि गवर्नर जो हैं, वे उसको डिलीवर करने जायेंगे, वह होगा । वह खुद ही पढ़ेंगे, यह कहीं नहीं है । यह कहीं भी नहीं है कि खुद ही जाकर पढ़ेंगे भी । He should go there and personally deliver it. पर्सनली पढ़ेंगे भी, यह मिलता कहीं नहीं है, न यह मिलेगा और न मिल सकता है । बल्कि हमारे पास प्रिसिडेन्ट्स हैं, बिहार का प्रिसिडेन्ट हमारे पास है जब कि वहां के गवर्नर के बीमार होने की वजह से स्पीकर ने भाषण पूरा का पूरा पढ़ा था, वह उसी जगह पढ़ा था....

श्री अर्जुनदास : With the permission of the House or without ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नर ने प्रेसाइड किया था । एतराज इस केस में कर सकते हैं कि गवर्नर मौजूद नहीं हों । वहां हाउस को एड्रेस किया, उन्होंने कहा था, तबियत नासाज है, इसलिए अध्यक्ष महोदय पढ़ेंगे । अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा । इससे पहले कि उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने शुरू में कहा कि यह राज्यपाल का भाषण है, वह इस प्रकार है, वह मैं खुद पढ़ देता हूँ । उन्होंने यह खुद फर्माया । गवर्नर महोदय कहते हैं कि मेरी तरफ से पढ़ेंगे । अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मैं उनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ । फिर अभिभाषण किसका समझा जायगा ? वह लिखा हुआ था गवर्नर महोदय का, फिर क्या कारण है कि उनका न माना जाय ? मैं निवेदन करूं कि मुझे कॉन्स्टीट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न मिला नहीं, जिससे कि इसे अन-कॉन्स्टीट्यूशनल या अवैधानिक कहा जा सकता हो । मेरी नजर में अभिभाषण तरीके से पढ़ा गया है, उसमें कानूनन गलती नहीं है ।

तो ये तीन–चार पोइन्ट्स आपने रेज़ किये । एक बात मैं वैसे कहना चाहता हूँ । वह है, गवर्नर महोदय बीमार थे । बीमारी की....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : बीमारी का पोइन्ट यहां नहीं आना चाहिए ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह कारण की बात है....

श्री भैरोंसिंह : This is not the question of sentiment here. It is a constitutional point and should be decided constitutionally.

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी बातें मैंने कहीं । मैं सेन्टीमेन्ट्स पर नहीं जाना चाहता, भावुकता पर नहीं जाना चाहता । मैंने महज, जो कानूनी तरीके से, वैधानिक समस्याएं पैदा होती हैं वे कहीं । ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई भी गवर्नर बीमारी में मौजूद नहीं हो सकता । इस तरह की स्थिति और जगह भी अराइज़ हुई है, यहां भी अराइज़ हुई । इसके लिए इस तरह का

Page No.50

(श्री रामकिशोर व्यास)

प्रोविज़न है, उसके अनुसार उनका अभिभाषण पढ़ा जा सकता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसमें बेजा बात नहीं हुई।

एक पोइन्ट और था। आपका पोइन्ट इस पर मुनस्सर है कि यह मीटिंग गलत चली, वह मीटिंग गलत हुई, अभिभाषण गलत पढ़ा गया। यह मामला अदालत में चला जायगा। अगर यह अदालत में चला जायगा तो डेमोक्रेसी का खाका बदल जायगा, डेमोक्रेसी का खाका बदल जायगा तो बदनामी हमारी हो जायगी। मैं कहता हूँ कि जड़ अगर ठीक होती है तो शाखाएं अपने आप फोलो कर लेंगी। वह सही नहीं है, तो जैसा आप कहते हैं, वह बात पैदा हो सकती है। मेरा निवेदन यह करना है कि कॉन्स्टीट्यूशन के माफिक गवर्नर को अधिकार था कि मीटिंग राज भवन में करते। क्योंकि मीटिंग कमेन्स नहीं हुई, प्रिसाइड नहीं हुई, इसलिए उसको मन्सूख कर सकते हैं, प्रोरोग करने का सवाल नहीं है। कोई रूल ऐसा नहीं है, जिसके तहत आप यह कह सकते हैं कि उनकी प्रेजेन्स में कोई आदमी नहीं पढ़ सकता है। यह लीगल एक्शन था और जो कार्यवाही हम करेंगे वह भी लीगल करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है या भाषण है ?

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आपको इजाजत मिली थी, उसके अन्तर्गत ही मुझे भी इजाजत मिली है। आप यहां पर स्पीकर महोदय का इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन चाहते हैं, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि स्पीकर किसी तरह आपकी बात को स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सबसे मोटा यह था कि कॉन्स्टीट्यूशन में जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसके अनुसार राज्यपाल महोदय ने एड्रेस किया या नहीं ? जिस तरह कल माननीय राज्यपाल महोदय विधान सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष अभिभाषण के लिए आये और जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूँ कि उनके पदार्पण से पूर्व ही माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। अब जिस प्रकार से माननीय विधि मंत्रीजी ने कहा है कि हाउस की कोई भी मीटिंग अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति के अन्दर नहीं हो सकती है। यदि उनकी बात को स्वीकार करके चलूं तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर गवर्नर महोदय के बिना विधान सभा की कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। उस स्थिति को इस मीटिंग के अनुरूप देखा जाय तो गवर्नर महोदय ने विधान सभा के माननीय सदस्यों को एड्रेस नहीं किया, उसके पहले ही अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर विराजमान हो गये और विधि मंत्री के अनुसार विधान सभा की सिटिंग शुरू हो गई, जो किसी प्रकार से नहीं की जा सकती है। अब पहला प्रश्न यह आता है कि आर्टिकल १७६ में है: "At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year."

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री, शिक्षा):

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इसमें आप एड्रेस का मतलब यह ले रहे हैं कि जुबान से बोलें, एड्रेस राइटिंग में नहीं हो सकता ?

श्री भैरोंसिंह : वह अक्ल का काम है। मैं जुबान से काम ले रहा हूँ, आप अक्ल से काम लें।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह : १७६ मैं पढ़ कर सुना दूं....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह : १७६ में यह है....

श्री श्रीभानसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, यह कह देना कि यह अक्ल से काम लें, ठीक नहीं है। इन वर्ड्स को वापिस लेना चाहिए, नहीं तो माननीय उप-मंत्री की डिस्क्वालिफिकेशन नेक्स्ट इलेक्शन में लग जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : "At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly..."

श्री श्रीभानसिंह : वापिस ले लें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप बहस कर रहे हैं, वह एक शब्द पर कर रहे हैं कि एड्रेस राइटिंग में किया।

श्री भैरोंसिंह : बाद में साइन।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : The Hon'ble member should take his seat and let the House hear him.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल १७६ में है : "The Governor shall address the House." इसमें वर्ड 'शैल' है और आर्टिकल १७५ में वर्ड 'मे' है। यहां पर वर्ड 'मे' और 'शैल' में डिफरेन्स इसलिए रखा गया है कि हाउस को इन प्रोक्सी एड्रेस नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह आ सकता है कि अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे, गवर्नर महोदय उपस्थित थे, गवर्नर महोदय के भाषण को यदि रिपोर्टर्स ने लिखा है, तो मैं कह सकता हूँ, यह ठीक है। जो अभिभाषण अध्यक्ष महोदय ने पढ़ कर सुनाया, उसके पहले गवर्नर महोदय ने कहा, "मैं बीमार हूँ।" उन्होंने यह भी कहा, "मैंने गृह मंत्रालय से पूछ लिया है।" उन्होंने कहा कि 'बीमारी के कारण मैं नहीं पढ़ सकता।' इस परिस्थिति में कि मैं भाषण को नहीं पढ़ सकता, इसलिए जो मीटिंग २२ फरवरी को होनेवाली थी, वह २३ को होगी।" यह परिस्थिति बनती है, जिसमें गवर्नर ने हाउस को एड्रेस किया है। दूसरा एड्रेस माननीय अध्यक्ष ने पढ़ा, जिस एड्रेस पर विधान सभा के सदस्य बहस करनेवाले हैं। अध्यक्ष महोदय ने एड्रेस पढ़ कर सुनाया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गवर्नर महोदय का यह काम हाउस के समक्ष एड्रेस करने का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, एड्रेस करने वाले दो व्यक्ति नहीं हो सकते। एक व्यक्ति ने एक प्रकार का काम

(श्री भैरोंसिंह)

किया है, दूसरे ने दूसरे प्रकार का काम किया है; तो प्रश्न पैदा होता है कि कौन सा अभिभाषण गवर्नर महोदय का मानें? मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार एक स्टेट में दो गवर्नर नहीं हो सकते....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप कह रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नर दो नहीं हो सकते....

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लीजिये। जितनी गलत बातें कह रहे हैं, वे नोट कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आप चाहें तो मैं पैन दे दूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप हाउस का समय वेस्ट कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : अजमेर और नसीराबाद में बहुत फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : कॉन्स्टीट्यूशन में व्यवस्था है कि गवर्नर के किस प्रकार के फंक्शन्स हों। एग्ज़ीक्युटिव फंक्शन्स के लिए आर्टिकल १४४ में व्यवस्था दी हुई है कि इस प्रकार एग्ज़ीक्युटिव बॉडी के थ्रू ड्युटीज़ को डिस्चार्ज करा सकता है। इसमें है, "The Governor shall address" गवर्नर एड्रेस करें या नहीं, यह बिल्कुल इम्मेटीरियल है। यह वहां आता है जहां 'मे' वर्ड था। यहां भी, "The Governor may address the House"—इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। इसमें एक नई बात और भी है, अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने वह देखी भी होगी। इसमें व्यवस्था है कि गवर्नर महोदय का कोई काम विधान सभा का कोई मेम्बर करता है, वह गवर्नर बनता है, न कि विधान सभा का मेम्बर रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह खुशी की बात है कि विधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने गवर्नर का काम किया। पर दुःख इस बात का है कि कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार वे अध्यक्ष नहीं रह सकते। मैं इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन चाहूँगा कि कॉन्स्टीट्यूशन में व्यवस्था है, गवर्नर का फंक्शन डिस्चार्ज कराने के लिए किसी प्रकार का प्रोविज़न है, तो केवल यह है कि एग्ज़ीक्युटिव बॉडी के थ्रू अपने काम करवायेगा। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि दो गवर्नर महोदयों के भाषण हुए, दोनों ने अलग अलग अभिभाषण किये, कॉन्स्टीट्यूशन में एक गवर्नर विधान सभा को एड्रेस कर सकता है, राजस्थान विधान सभा को दो गवर्नर महोदयों ने दो अभिभाषणों से एड्रेस किया है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह नहीं समझ पाया....

श्री भैरोंसिंह : यह आपके समझने की बात नहीं है।

एक गवर्नर महोदय ही एड्रेस करें; कॉन्स्टीट्यूशन में इस प्रकार का प्रावधान है; पर २३ तारीख को दो गवर्नर महोदयों ने हाउस को एड्रेस किया है।

माननीय मन्त्री महोदय जो प्रेस के

(श्री भैरोंसिंह)

इन्चार्ज हैं उन्होंने इस बात को कहा कि जो नोटीफिकेशन निकला वह पहले ही शाया हो चुका था। यदि इसकी गहराई में जायें तो कोई भी प्रिंटिंग वर्क होगा, चाहे गवर्नर महोदय किसी प्रकार का आदेश देते हैं या किसी प्रकार का काम करते हैं तो वह एग्ज़ीक्युटिव ऑथेरिटी के पास जायेगा और प्रिंटिंग मन्त्री उसके हैड हैं, परसों वे यहां थे, उनकी नॉलेज में यह नहीं था, चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं था, अगर उनके ध्यान में इस प्रकार का नोटिस होता तो वे अपने मकान पर ही रहते, यहां आने का कष्ट नहीं करते और पैट्रोल का व्यर्थ खर्चा नहीं करते। पूरा सदन, साढे दस, पौने ग्यारह से यहां मौजूद था और ११ बजे तक गवर्नर साहब के आने का ख्याल था। सार्जेन्ट-एट-आर्म्स ११ बजे विधान सभा भवन के सामने गवर्नर साहब को रिसीव करने गये; अपनी ड्यूटी है इस प्रकार का काम करने के लिये नहीं जाते, उनको विधान सभा के सचिवालय द्वारा आदेश मिला था कि वे विधान सभा भवन के सामने जा कर खड़े हो जायं और देखें कि आते हैं या नहीं। ११–१० पर सार्जेन्ट-एट-आर्म्स आते हैं और अध्यक्ष महोदय को सूचना देते हैं कि गवर्नर महोदय नहीं आये। उन्होंने जब इस प्रकार की सूचना दी तो सचिव महोदय सदन में आये और उन्होंने सूचना दी कि गवर्नर महोदय ने अपनी पहली आज्ञा को सुपरसीड करके कल विधान सभा की बैठक राज भवन में बुलाई है।

गवर्नर महोदय को सुपरसीड करने के पॉवर्स हैं, वे सुपरसीड कर सकते हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं और यदि इसमें कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है तो मैं मानने को तैयार नहीं। पर वे उस ऑर्डर को सुपरसीड नहीं कर सकते जो ११ बजे तक था। उनका पहले का ऑर्डर ११ बजे तक ही था, उसके बाद उस ऑर्डर का कोई महत्व नहीं था। २० तारीख को जो नोटिस दिया वह ११ बजे के बाद अपने आप इन्वेलिड हो चुका था। उसकी कम्प्लायँस हो चुकी, उसके हो जाने के बाद में सुपरसेशन का पॉवर काम में लाते हैं तो वह डेड ऑर्डर को लाइफ देने की कोशिश है, otherwise, there was no order.

अध्यक्ष महोदय, केवल बीमारी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, विधि मन्त्रीजी ने इस प्रकार का प्रश्न सदन में लाकर अच्छा काम नहीं किया, अच्छी बात नहीं की....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट नहीं है, अच्छा हो कि टू दी पॉइन्ट बहस होकर फैसला होजाये, नहीं तो आज का सारा दिन इसमें ही लग जायेगा।

श्री ज्वलाप्रसाद शर्मा : इन्होंने जो बन्डलबाजी की है, जो गलत बातें रखी हैं, उन पर मैं भी बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री भैरोंसिह : मैं यह प्रश्न रखना चाहता हूँ कि क्या कॉन्स्टीट्यूशन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि गवर्नर महोदय बीमार हो जाते तो इस सदन को एड्रेस करने वाला उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं था ? यह पॉइन्ट इसलिये आ रहा है

(श्री भैरोंसिंह)

कि कॉन्स्टीट्यूशन में इस प्रकार का प्रोविजन है: १७४ के अन्तर्गत राज्यपाल विधान सभा की बैठक किसी स्थान पर किस समय बुला सकते हैं। स्थान के माने क्या हैं, इस पर्टीक्युलर पॉइन्ट पर बहस हुई, उससे ध्यान में आया कि स्थान के माने राज भवन, स्पीकर साहब का स्थान या इस प्रकार और किसी स्थान से मतलब नहीं है; स्थान से मतलब यह है कि गर्मियों के दिनों में पार्लियामेन्ट चाहे कि पार्लियामेन्ट का सेशन किसी हिल-स्टेशन पर हो, साउथ इन्डिया में हो, राजस्थान विधान सभा की बैठक यहां इस राजस्थान विधान सभा भवन में न हो कर गर्मियों के दिनों में आबू में हो, जहां अलवर हाउस लेने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां राजस्थान विधान सभा की बैठक बुलायें। इसलिये ऐसी व्यवस्था कॉन्स्टीट्यूशन में की गई थी। आज उस व्यवस्था से यह लाभ उठाना चाहें कि किसी व्यक्ति के डाइनिंग हॉल में विधान सभा की बैठक बुलायें, ऐसी कॉन्स्टीट्यूशन की मंशा नहीं। स्थान के माने यहां राजस्थान विधान सभा का भवन है, जो केवल टाउन हॉल नहीं बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है 'राजस्थान विधान सभा भवन', यह राजस्थान विधान सभा की बैठक होने का स्थान है। तो प्रश्न यह आता है कि हालांकि किसी रूल या एक्ट में इस बात का प्रोविज़न नहीं है पर इस पर इस बात की व्यवस्था है कि राजस्थान विधान सभा का यह भवन है, इसमें राजस्थान विधान सभा की बैठक होगी।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नर महोदय का भवन है वह किसी भी सूरत में राजस्थान विधान सभा का भवन नहीं कहा जा सकता। वहां राजस्थान विधान सभा के सदस्य अपना प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकते। तो अध्यक्ष महोदय ने वहां जो राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा वह अवैधानिक है। अभी अभी एक सर्क्युलर विधान सभा सचिवालय से प्राप्त हुआ, उसमें लिखा है :

"सचिव, विधान सभा, दिनांक २३ फरवरी, १९६१ को दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।"

तो यह जरूरी क्यों समझा गया कि विधान सभा की मेज पर उस अभिभाषण की एक प्रति रखी जाय? जब राज्यपाल महोदय का भाषण हो गया तो आज तक यह परम्परा नहीं थी कि उनके अभिभाषण की प्रति विधान सभा की मेज पर रखी जाय। तो इसके माने यह हुए कि विधान सभा में नहीं रखा जायेगा तब तक बहस नहीं हो सकती। तो इसमें खामी रह गई है इसलिये ऐसा किया जा रहा है।

कॉन्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद १७६ में जिस प्रकार मेन्डेटरी प्रोविज़न है, उसके अनुसार राज्यपाल महोदय को खुद को एड्रेस करना चाहिये, वह उन्होंने नहीं किया और कॉन्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद १७४ में जो उनको अधिकार दिये हैं उनका सुपरसेशन करते हुए जो वहां हाउस को सम्मन किया है ये दोनों कार्यवाहियां अवैधानिक हैं। ऐसी दशा में इस हाउस की सारी कार्यवाही अवैधानिक होगी; इसलिये इस हाउस को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को

(श्री अध्यक्ष)

सूचित कर दूं कि इस साल गवर्नर महोदय का भाषण था उसके लिये सारे लोक सभा के प्रोसीजर को देखते हुए निश्चय किया कि जो उनका अभिभाषण है उसको सदन की टेबल पर रखा जाय और बाद में उस पर आगे को कार्यवाही हो। इसका सम्बन्ध इस कार्यवाही से या वैधानिक स्थिति से नहीं है।

अब इस पर काफी बहस हो चुकी है और राजस्थान के एडवोकेट जनरल हाउस में मौजूद हैं, वे अपनी राय इस पर दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इस पर दो मिनट कहना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : एडवोकेट जनरल से आपकी राय ज्यादा वजन रखती है ? सदन का वक्त जाया होगा, इसलिये यही ठीक है कि एडवोकेट जनरल अपनी राय इस पर दे दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरे सदस्य इस पर १५–२० मिनिट बोले हैं तो क्या मुझे दो मिनिट बोलने का भी समय नहीं मिल सकता ?

अध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि शब्द 'एड्रेस' के माने यह हुआ करते हैं कि गवर्नर खुद उस भाषण को पढ़ते हैं। खैर, उन्होंने मेरी अक्ल की तारीफ की, लेकिन साथ साथ में कानून की जानकारी उनको है उसकी तारीफ और अंग्रेजी की जानकारी है उसकी तारीफ किये बगैर नहीं रहता।

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इस पर है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 'एड्रेस' यह अंग्रेजी का शब्द है। आप इस पर ध्यान दें।

शब्द 'एड्रेस' का मतलब यह नहीं कि जबान से ही कहा जावे। हमारे यहां कॉन्स्टीट्यूशन में इसका क्या अर्थ है ? इसके लिये मैं आपका ध्यान "Chamber's 20th centery Dicteonary" की तरफ दिलाता हूँ। इसमें लिखा है 'Address' means to speak to, orwrite to or a formal communication in writing..." तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे पर आक्षेप लगाने से पूर्व अच्छा होता कि वे इसको पढ़ते।

दूसरा आक्षेप यह लगाया कि उनका आना लाजिमी था। इसके लिये १७५ और १७६ आर्टिकल में आनेवाले शब्द 'में' और 'शैल' में डिस्टिंगुइश करते हुए कहा कि आकर बोलना जरूरी था इसलिये 'शैल' आया। अध्यक्ष महोदय, शब्द 'में' और 'शैल' का मतलब है, इसको लेकर यह कहा गया है। 'शैल' एड्रेस; 'एड्रेस' वर्बली करें या राइटिंग में करें, यह जरूरी है। ये लीगल टर्म्स हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आइन्दा भी ऐसा करें तो कानूनी तरीकों से बहस किया करें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मन्त्रीजी से निवेदन करता हूँ कि उन्होंने यह बात विधि मन्त्रीजी को क्यों नहीं बताई ?

श्री अध्यक्ष : Advocate General.

महाधिवक्ता (श्री गुलाबचन्द कासली-वाल): Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Member from Jaipur has raised certain questions which he has thought wise to call them as Points of Order.

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल को हिन्दीमें बोलाया जावे, तो काफी सदस्य लाभ उठा सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : I would apologise to the Hon'ble Member and to the Hon'ble Speaker that it is much better to speak on legal subjects in English rather than not to be able to express myself in any other language.

श्री अध्यक्ष : एपोलोजाइज़ तो हिन्दी में कर लीजिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : Apology is through the Hon'ble Speaker.

श्री मदनसिंह : It is only for Mr. Bhairon Singh. We wanted to be more clear in Hindi. It is for all the members and he should better speak in Hindi. Otherwise it will be only for few members.

श्री अध्यक्ष : आप भी तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

२. ४. म. प.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल (महा-विवक्ता) : The first question arises before you to see whether these stions which have been raised here should be called as point of order. A point of order has been defined in Rule 294. It says that it "shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House." This is the first qualification for a point of Order and the second important requirement of the point of Order is that it shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker. There can be no point of Order which does not relate to the matter before the Spaker and within the cognizance of the Speaker. Therefore, unless a matter fulfils both the conditions, first in the two alternative, as to the interpretation or enforcement of the rule and such Articles of the Constitution would regulate the business, and the second important point referring to a point of order is that it must raise a question within the cognizance of the Speaker. Hon'ble Speaker may be pleased to address himself to the examination of the points that have been raised by the Hon'ble member. Whether any one of those seven points that have been raised are such questions wich are within the competence of the Speaker? I would just give my reasons in detail but would first draw your attention to Rule 295 which says :

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall

(श्री गुलाबचन्द कासीवाल)

give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

In fact what should have been appropriate for the Hon'ble member was to raise this question under Rule 295 of the Rules of Business rather than to make it a point of order and discuss just now. Howsoever, I will take them reading all the points of Order together.

First thing is to gather whether the Session has commenced or has not commenced? I have heard the Hon'ble member very patiently but he did not deal anywhere as to whether he takes this to be the commencement of the Session or not. However, once he has raised this question or the order in this House, I accept that he admits that the Session of the House has commenced, and no Session without the address of the Governor can take place. Therefore, he himself admits or impliedly accepts the position that the commencement of the Session has taken place and that too with the address by the Governor.

Let apart this simple interpretation which I am trying to put. As I said earlier, let us see whether these questions which have been raised are within the competence of this House even. I would say that the position of the Governor may be likened to the Sovereign–the King of England. Our parliamentary practices are governed by the lessons or the knowledge that we derive from the Mother of Parliaments, the Parliament of England. Occasions have been there when the Sovereign himself could not attend the Session. Therefore, he delegated his authority to one of the Dukes or other noblemen to deputise for him and to inaugurate the Session of the Parliament. It is not necessary for me to recite the years and times when this was done, but it is well known to every Parliamentarian that during the long period of Several centuries there have been some occasions on which the King being unable to attend or inaugurate the Session of the Parliament had asked some noble-men to deputise for him.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Please explain one point, Mr. Advocate General, whether a written or un-written Constitution makes any difference?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : I am coming to your point in a moment.

Here we don't have a Sovereign. The Sovereignty under the Constitution vests in the citizens of India. I would, therefore, only say that the

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)

Governor may be likened to Sovereign. The Constitution has laid down that the Governor shall address the first Session after the general elections and the first Session of each year. Under Article 175, it is the discretion of the Governor to address the House or not. But Article 176 imposes a duty, casts an obligation, on the Governor to inaugurate the Session. He must address the first Session of each year. That is necessary and without his address there shall be no commencement of the session. A distinction may also be noted between a Session and a sitting of the House. The Speaker is the presiding authority for the sittings of the House, but a Session can be commenced only by the Governor. The Speaker has no control over the Session of the House. The Constitution controls the session of the House and imposes an obligation on the Governor that he must summon a Session of the House within six months of the last Session.

Now a question has been raised as to what is address and what is commencement of the Session? I would have ventured my own viewpoint, but I am very much fortified in my submissions by a judgment of the High Court of Orissa where an identical question arose. It is reported in A. I. R. 1952, Orissa, at page 234. I am quoting the facts briefly.

One of the Hon'ble members of the Orissa Assembly raised a question that the House of Orissa Assembly was summoned to meet on the 4th of March, 1952, while it commenced its session on the 7th March, 1952, when the Governor gave his address to the House. The member took this matter under Article 226 to the High Court, and a Division Bench considered this question- the main point being, what is the meaning of the expression 'commencement of the session', as used in Article 176 of the Constitution ? This authority would be very helpful, though it is not binding on this House or the Speaker. Mr. Speaker, I may be permitted to cite a few passages from that judgment:—

"A 'session' connotes the sitting together of the legislative body for the transaction of business. The legislature cannot be said to have 'met' until the preliminaries have been gone through.

To my mind, therefore, there is nothing in the language of Clause (1) of Article 176, which supports the contention raised on behalf of the petitioner that the first Session of the Orissa Legislative Assembly commenced from the 4th. March, 1952, on which date the newly elected members were summoned to take their oaths. I am accordingly of opinion that the order of business fixed for the Assembly on the 7th and 8th of March does not constitute an infringement of any provision of the Constitution. The Rules of Business of the Assembly warrant the procedure, and Parliamentary practice justifies it."

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)

I may also cite this very authority to support my point that the position of our Governor is like that of the Sovereign in England:—

"The very same practice has been followed in India, both in the Constitution as well as in the Rules of Business framed by the Speaker of the Orissa Legislative Assembly under the Constitution (the Governor taking the place of the King of England). No member elected to an Assembly can take his seat except after taking the oath of allegiance....."

Now one point has been raised about the address itself. Article 176 says:—

"...the Governor shall address the Legislative Assembly, or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

These are the contents of the Constitution. The Constitution itself lays down what shall be the contents of the address, "and inform the Legislature of the causes of its summons". What are the matters which need consideration by the legislature are broadly indicated in the address, and this has been the practice all along in England.

Now let us turn to the meaning of word 'address' as given in any dictionary. I am placing before you the Webster's New International Dictionary which, if I may say so, is a work of great merit and which must be respected:—

"Address: To direct speech to, to make a communication to-whether spoken or written, to apply to by words, as by a speech, petition etc., to speak to..."

श्री पी० के० चौधरी : And what is a 'message' ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : I shall look into that and let you know if you permit me to do so, but first I must complete what I have to say.

So the question arises, in connection with an 'Address', whether there is or is not any communication between the Governor and the House ? If there is any communication between the Governor and the House, then definitely there is an dAdress. If a point of contact is made by the Governor with the House, with the Legislature, then there is an Address by the Governor and an application of himself to the House.

श्री अर्जुनदास : But that could have been done on the 22nd also.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : Could have been done. That is not my point. I have only to say on the legality of the matter. What could

Page No.60

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)

or could not have been done, or what would have been a better proposition is not my business.

श्री भैरोंसिंह : According to your opinion, it could have been done ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : My purpose is to consider what has been done, and it is not my business here to consider what could have been done.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): The 'Address' could be read even on 22nd. That is very relevant.

श्री अर्जुनदास : He is evading the issue. Could the Hon'ble Governor address the House on 22nd or not ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : My respectful submission to the House is that the question under consideration on the floor of the House is to be debated and not matters which are not relevant thereto. What could have been done is not at all under consideration here, but what has been done is under consideration.

श्री भैरोंसिंह : It means that the Advocate General is shifting from what he said.

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : The questions which have been raised by the Hon'ble member coming from Jaipur are under consideration. But those hypothetical questions which have not been raised in the House, I am not answering.

श्री अर्जुनदास : You have answered.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : I am not at all answering or making any attempt to answer anything which does not arise before this House. Therefore, I restrict to the points that have been raised.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल की इस सम्बन्ध में भी राय जानी जाय कि असेम्बली का सत्र २२ तारीख को भी बुलाया जा सकता था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : You cannot compel him, what he should say.

श्री भैरोंसिंह : लेकिन जब उन्होंने अपनी राय दी है तो वे इस बारे में भी कह सकते हैं कि २२ तारीख को सदन बुलाया जा सकता था या नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता इसकी काफी है।

श्री अध्यक्ष : आप उनको बाध्य नहीं कर सकते।

Page No.61

श्री भैरोंसिंह : लेकिन उन्होंने कहा है, उसके मायने तो यही हैं कि बुलाया जा सकता था २२ तारीख को भी ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो कुछ कहा उसको आप जैसा चाहें समझ लें ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : The first point of order, call it a question, that has been raised is whether the notification issued on 20-12-60 by the Governor under Article 174 (1) of the Constitution of India summoning the Assembly to meet on 22nd of February, 1961, at 11 A. M. at Sawai Man Singh Town Hall could be superseded after the Assembly actually met in pursuance thereof at the fixed time and date ?

The second part of this question assumes certain points of fact and that the Assembly actually met in pursuance thereof at the time and date fixed. If the Assembly could have met that would be the question, not a question of fact but a Consitutional question. The meeting of the Assembly can only take place in the beginning of each year with the Governor's Address. Before that, it is not a meeting of the Assembly, but a collection of the Hon'ble members of the Assembly and that cannot in any manner be termed as a...

श्री अर्जुनदास : Even if the Speaker is on the Chair ?

श्री अध्यक्ष : Order please! Order!!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I think this is a very important question and this sort of intereference should not be made.

श्री अर्जुनदास : We know this is very important but the Advocate General is trying to shift...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया एडवोकेट जनरल को सुनें ।

Would you tell us how many of these points are covered by 294 ? If they don't cover we need not discuss.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : I am trying to submit.

श्री अध्यक्ष : If they don't cover, we need not discuss them here.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : Now the first question in the last portion of the question is not a question of fact but the question of legal interpretation of the Constitution and that legal interpretation, what I have already given, is as given by the Orissa High Court that the Session does not commence unless it is initiated by the Address of the Governor. Therefore, anything in the presence of the Members in this House on the earlier date cannot be called by any stretch of argument to be a sitting or a Session of the Assembly. Therefore, the second part of the question is whether the Notification can be superseded, I want to

(श्री गुलाबचन्द् कासलीवाल)

answer that and my answer is that the Constitution itself lays down under Article 367 (i) that, "Unless the context otherwise requires the General Clauses Act, 1897 shall, subject to any adaptations and modifications, that may be made therein under article 372, apply for the interpretation of an Act of the Legislature of the Dominion of India." This itself makes a provision of the General Clauses Act to the interpretation of the Constitution, I would, therefore, draw your attention to Section 21 of the General Clauses Act which lays down that any authority which has the power to issue a Notification. or orders, has the power to amend it or vary it. I am placing this Section for your own consideration and it is upto the Hon'ble members to take it in any manner they like:

"Where, by any Central Act or Regulation a power to issue notifications, orders, rules, or bye-laws is conferred, then that power includes a power, exercisable in the like manner and subject to the like sanction and conditions (if any), to add to, amend, vary or rescind any notifications, orders, rules or bye-laws so issued."

Now if the Governor has the power to issue a Notification, to issue summons, he has equal powers to rescind, to amend the summons and here the summons have been amended in the form that instead of on 22nd February, the Assembly Session is directed to commence on 23rd at 4 P. M. and. therefore there can be no question as to the authority of the Governor in issuing the second Notification. On the question whether he had issued it earlier, that is absolutely immaterial. The members collected at a place but the Assembly Session did not commence and it actually commenced at the time when the Governor himself addressed to the Assembly.

Whether the Assembly could be summond under Article 174 without first proroguing, this is again a hypothetical question, before making it clear that there has been a Session. Whether the meeting of the 22nd for an address by the Governor was constitutional in the circumstiances ? Now if there were no rules, the Constitution did not provide to empower to call the meeting at any place, then the second Notification may have been issued. But the Constitution provides under Article 174 to which a reference has been made by the Hon'ble member that, the Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.' So there is a discretion with the Governor. It cannot be compelled by outside circumstances and consideration. Then further I will draw your attention to the words,

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)

"shall from time to time." It denotes different series of time. It may be at one time or any time. So the Governor may summon the House and actually that does take place within a period of five years when normally sittings of the House are twice a year or may be more. The next question is whether the reading out of the Address by the Speaker is suffcient compliance of Article 176 (1) ? My constitutional objection to the raising of this point is that it is not a matter within the cognizance of the Speaker. The Speaker cannot consider this question because it is a matter in which the actions of the Governor are being considered. No House of Legislature is empowered to consider the actions of the Governor. I would, therefore, say that this is a matter which this House itself is not competent to consider and I would point out to the Hon'ble members that this is not the forum to consider the actions of the Governor. The proper forum for that is not the legislature or executive, but the judiciary.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Can we have the benefit of the authority on which he relies ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : My point was whether the discussion on such an Address would be covered by Article 176 (2) of the Constitution and Rule 14 of the Rules of Procedure ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Please answer our question first. You said, you will be citing some Rule or authority.

श्री अध्यक्ष : He has already cited.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : If you want an authority, it is on page 229 of the Journal of Parliamentary Practice, "A ruling by the Speaker of the U. P. Assembly".

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is not binding on us.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : So I submit that there is sufficient compliance of Article 176 (1) and there can be no constitutional objection on this point. There is, therefore, no impediment or hitch in the House proceeding to take up its business in accordance with the provisions of the Constitution.

Reading all these points together, the only point that emerges therefrom is whether the summons that was issued earlier was sufficient to effect the commencement of the Session of the Assembly ? Hon'ble members will please see that a Session does not commence upon the issue of summons. A session commences on the Address by the Governor. Mere secretarial or ministerial work will not make the Session to commence on any day.

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)

These are only preliminaries to the commencement of a Session.

I would, therefore, say that all these points which have been raised are not points of order which can be decided upon by the Speaker. With greatest repect to the Hon'ble Speaker, I submit that these are no points of order which can be decided upon by Hon'ble the Speaker. He may just signify his viewpoints on these questions, which have been raised, and better leave them to be agitated in a court of law if any Hon'ble member thinks that there is any substance in them.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Just one clarification, Sir.

श्री अध्यक्ष : अब काफी बहस हो चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I am not entering into any discussions. Just one clarification. अध्यक्ष महोदय, माननीय एडवोकेट जनरल ने अभी अपनी जो राय दी और ए.आई.आर., १९५२ पेज २३४ पर उड़ीसा का केस क्वोट किया और उसमें उन्होंने बताया है कि कमेन्समेंट ऑफ दी सेशन क्या है और इसके साथ सदन को जानकारी देने की कोशिश की है कि इस प्रकार का पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में रेज़ नहीं किया जा सकता। यह ऑथेरिटी स्टेट की है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यहां जो पोइन्ट रेज़ हुआ था वह यह था कि १७६ (१) जो आर्टिकल है उसकी कम्प्लायेन्स हुई नहीं मानते और १७६(२) के तहत उस एड्रेस के ऊपर हाउस में डिबेट नहीं हो सकती।

सिमिलर पोइन्ट मैंने हाउस में रेज़ किया है कि जिस प्रकार का एड्रेस हुआ और जिन सर्कम्सटान्सेज़ में हुआ उसमें १७६ की तहत कम्प्लायेन्स नहीं हुई है, इसलिये उस पर यहां डिबेट नहीं हो सकती। यह पोइन्ट इसमें था। यहां उन्होंने जो केसेज़ क्वोट किये हैं उनको क्वोट करते समय लर्नेड जज ऑफ दी उडीसा हाईकोर्ट they have in their judgment remarked:—

"It may be open to any member of the Assembly to raise the matter again and obtain a ruling from the Speaker when the disussion is actually taken up".

('शेम शेम' की ध्वनियें)

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : This is called misguiding, Sir.

श्री भैरोंसिंह : It is a breach of our privilege that he is reading wrongly.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Hon'ble member should withdraw his words.

श्री अर्जुनदास : Withdraw ? will move a motion of preach of privilege against him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : With your permission, Sir, I am reading this:-

"The Governor has the option to address the Assembly under Article 175 (1) and to send a message under Article 175 (2), but this Article makes no express provision for allotment of time for discussion of the address or the message. Therefore, if the address that the Governor is to give today, the 7th March, is one under Article 175 (1) the Assembly has no right to discuss it. All that is required under Article 175 is that the Governor may 'require the attendance of the members' for the purpose of his address. Article 176 (1) on the other hand lays down, in express terms, that the Governor 'shall address the Legislative Assembly' and 'inform the Legislature of the causes of its summons'. The difference in the language of the two Articles is intended to serve two different purposes. Having regard to the terms of Article 176 (1) it appears to me that at the first meeting of the Assembly after a general election, the Governor has no option but to address the Assembly and inform the members of the 'causes of its summons'. "

Mr. Speaker, Sir, furthermore when the petitioner argued before the High Court that a ruling had already been given by the Speaker previously, then the High Court remarked :—

"Mr. Mohapatra, however, points out that when a ruling has already been given on a point by the Speaker, the same point cannot be raised once again during the same session of the Assembly. I am not so sure that the House has not got the power to discuss a matter if permitted by the speaker to do so. However that may be, I am of opinion that,on the facts of this case, this Court would not be justified in interfering with the business of the House or attempting to restrict the powers of the Speaker in regulating that business by the issue of a writ in the manner prayed for."

अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने रिट को खारिज किया और यह डाइरेक्शन दिया कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर दिया जाये; and it will be within the competence of the Speaker under the Conduct of Business Rules to give a ruling on the point of order.

अध्यक्ष महोदय, जो एडवोकेट जनरल ने रूलिंग साइट की है वह मेरा जो कॉन्टेन्शन है उसको सपोर्ट करती है। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में कि १७६ (२) के तहत में डिस्कशन हो सकता है या नहीं। जितने भी कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट्स हैं जिनको रूल ६४ के अण्डर में उठा सकें वे सारे के सारे यहां उठाये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं एडवोकेट जनरल से और चाहूँगा कि उन्होंने जो अपनी फाइन्डिंग्ज रूल १६५ के लिए दी हैं उसका जो सब-क्लाज (२) है :—

"It shall be the duty of the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force."

जो बीच में एक सवाल खड़ा हुआ था कि उनसे राय ली गई या नहीं और अगर ली गई तो २२ फरवरी को यहां सत्र में राज्यपाल महोदय उपस्थित होते और उनकी उपस्थिति में इसी प्रकार का एड्रेस पढ़ा जा सकता था।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल (महाधिवक्ता) : The Hon'ble member who is himself an Advocate should know that any communication from the Governor is a privilege communication.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I know, you were not consulted.

श्री अध्यक्ष : अब काफी बहस हो चुकी है। इसके ऊपर माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का नोटिस दिया उसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाये हैं और उस पर यह आपत्ति भी की गई कि उन्होंने एक ही पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में कई मुद्दे उठा लिये, जो करना उचित नहीं है। हर एक बात पर, जो कि उन्होंने अपने नोट में उठाई हैं, और जो सदन के सामने उन्होंने रखी उन पर निर्णय देना न तो आवश्यक है और न मैं समझता हूँ कि उचित ही है क्योंकि उसमें से कई बातें ऐसी हैं कि जिनकी वैधानिक स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट राय हमारे सामने नहीं है। जो यह बात धारा २६४ के नीचे उठाई उसमें अपने संविधान की केवल एक धारा ही पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में सदन के सामने लाई जा सकती है, जो कि बिजनेस ऑफ दी हाउस को रेगुलेट करती है। अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि मुख्यत: जैसा उन्होंने कहा और जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने, जो कि उनके पक्ष में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस सत्र का जो प्रारम्भ हो रहा है और जो एसेम्बली आज यहां पर चल रही है और जो काम करने जा रहे हैं यह सैशन की शुरूआत वैधानिक रूप से हुई है या नहीं, यानी यह प्रोपर्ली कॉन्स्टीट्यूटेड अपनी एसेम्बली मानी जाये या नहीं; इसके ऊपर संक्षेप में मेरा निर्णय यही है कि जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनका ठीक तरह से पालन किया गया है और जो आज सैशन शुरू हो रहा है वह वैधानिक रूप से और लॉफुल्ली कॉन्स्टीट्यूटेड है। इसलिए उनके पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को मैं अस्वीकार करता हूँ और यह आज्ञा देता हूँ कि जो सदन की कार्यवाही निर्धारित की गई है उसके अनुसार हम कार्यवाही करें।

(२.४४ म० प०)

सभापति–तालिका के सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम ६ के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति

(श्री अध्यक्ष)

तालिका के लिए मनोनीत किया गया है :—

(१) श्री आबिद अली,

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,

(३) श्री रामप्रसाद लड्ढा,

(४) श्री बी० एन० जोशी।

(विराम)

Yes, Assembly Secretary.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखना।

श्री अनोपसिंह (सचिव, राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के दिनांक २३ फरवरी, १९६१ को दिए गए अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयकों का सदन की मेज पर रखना

श्री अनोपसिंह (सचिव, राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं गत सत्र में राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूँ।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है:—

1. The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Thirteenth Amendment) Bill, 1960.

२. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६०

3. The Rajasthan Housing Scheme (Land Acquisition) Bill, 1960.

4. The Essential Commodities (Rajasthan Amendment) Bill, 1960.

5. The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1960.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई:—

1. The Rajasthan Animal Diseases Bill, 1960.

2. The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill, 1960.

3. The Jaipur Municipality Administrsation (Temporary Provisions) Bill, 1960.

4. The Rajasthan Agricultural Land Utilisation (Amendment) Bill, 1960.

5. The Rajasthan Land Revenue and Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1959.

6. The Rajasthan Pensions (Amendment) Bill, 1960.

7. The Rajasthan Holdings and Consolidation Operation Validating Bill, 1960.

(श्री अनोपसिंह)

8. The Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition (Amendment) Bill, 1960.

9. The Rajasthan Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1960.

10. The Rajasthan Prisoners Bill, 1960.

11. The Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill, 1960.

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) ऑर्डिनेन्स, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, १९६० सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, १९६० सदन की मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६० सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : (क) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(ख) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रिलीफ (सहायय) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(ग) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री संपतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : (क) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपल कर वैधकरण अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(ख) अध्यक्ष महोदय, मैं पाली नगर-पालिका के प्रशासक की नियुक्ति वैधकरण अध्यादेश, १९६१ को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

सदन की मेज पर रक्खे गये गृह–विभाग से सम्बन्धित नियम

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : (क) अध्यक्ष महोदय, मैं होम (बी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (७) ।१। एच. बी. । जी. आर. १५९, दिनांक १४ अक्टूबर, १९६०, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१, के नियम १०७, १०८, १०९ व ११० में संशोधन किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(ख) अध्यक्ष महोदय, मैं होम (बी–१) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) (१४) एच. बी. जी. आर. १६० दिनांक १६ अगस्त, १९६०, जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज़ (डेवलपमेन्ट) नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

कार्य–सलाहकार समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति (बिजनेस एडवाइज़री कमेटी) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ ।

(विराम)

राजस्थान भू–दान यज्ञ (संशोधन तथा विस्तार) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : (क) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू–दान यज्ञ (संशोधन तथा विस्तार) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ (पुरःस्थापन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापन)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापन)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) :

Page No.70

(श्री रामकिशोर व्यास)

(क) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

राजस्थान निष्क्रान्त–हित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १६६१

(पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निष्क्रान्तहित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक (संशोधन) विधेयक, १६६१ (पुरःस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी भूमि-बंधक बैंक (संशोधन) विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६१ (पुरःस्थापन)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६१ को पुरः-स्थापित करता हूँ व अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

मोटर गाड़ी कर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (पुरःस्थापन)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कर (संशोधन) विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १६६१

(पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) (प्रतिष्ठान विशेष प्रावधान) विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १६६१ (पुरःस्थापन)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १६६१ (पुरःस्थापन)

श्री संपतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १६६१ को पुरः-स्थापित करता हूँ व अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

पाली नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १९६१

(पुरःस्थापन)

अध्यक्ष महोदय, मैं पाली नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–सलाहकार समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन से सहमति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के अठारहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२.५५ म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य वाद–विवाद

श्री बृजमोहनलाल शर्मा(ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद का प्रस्ताव इन शब्दों में प्रस्तुत करता हूँ:

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने कृपापूर्वक विधान सभा के समक्ष दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I would like to move an amendment.

श्री अध्यक्ष : Have you given any notice for that ?

श्री अर्जुनदास : No notice is given previously because he has moved it just now.

श्री अध्यक्ष : But you should have given it previously.

श्री अर्जुनदास : It does not need.

श्री अध्यक्ष : So that it could have been circulated.

श्री अर्जुनदास : This is a motion itself, Sir, and it does not need any previous notice.

श्री अध्यक्ष : I think, every motion needs notice.

श्री अर्जुनदास : Should I presume I am not permitted to move the Amendment ?

श्री अध्यक्ष : Yes, Sir.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में मैं कुछ विचार आपके सामने रखूं उससे पहले यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम परम्परा की दृष्टि से अध्यक्ष महोदय (राज्यपाल) के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हैं अथवा उन्होंने कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डाला है जिसके लिए वे धन्यवाद

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

प्रस्ताव के पात्र हैं । उन्होंने जो भाषण इस वर्ष दिया है उसके कारण, मैं यह कहूँगा कि वे वास्तव में धन्यवाद के योग्य हैं । इसका कारण यह है कि आर्टिकल १७६ जो भारतवर्ष के संविधान का है उसके अन्तर्गत उन्होंने केवल अपना जो कर्त्तव्य है उसका ही ध्यान नहीं रखा है, केवल वैधानिक स्थिति के कारण या विधान के मुताबिक केवल सदस्यों के सम्मुख अपना भाषण नहीं दिया है, लेकिन जब हम उनके अभिभाषण को पढ़ते हैं, जिसे उन्होंने अपनी रुग्णावस्था में दिया है तो वह उनके कर्त्तव्य का स्पष्ट द्योतक है। कारण कि अनुच्छेद १७६ के अनुसार यह सही है कि अभिभाषण देना उनका हक है, अधिवेशन का जब प्रारम्भ हो उस समय अभिभाषण देना आवश्यक है, यह आवश्यक है कि विधान सभा में वे अपना अभिभाषण पढ़ें । लेकिन जब कि इस वर्ष वे रुग्णावस्था में थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऐसी हालत में भी अपनी कर्त्तव्य निष्ठा का पूर्णतः ध्यान रखते हुए, तबियत खराब होने के कारण भी सदन के सम्मुख अभिभाषण पढ़वाकर उन्होंने अपने विचार रखे ।

अब मैं इस बात की ओर आता हूँ कि क्या वास्तव में उनके अभिभाषण में इस प्रकार की वार्ता का समावेश है जिनके कारण वे धन्यवाद के योग्य हैं ? इस बारे में तीन बातें मिलेंगी । उन्होंने राजस्थान के अतीत वर्तमान और भविष्य की ओर संकेत किया है । एक विहंगम दृष्टि से अतीत, वर्तमान और भविष्य की ओर एक रास्ता बताया है कि किस प्रकार राजस्थान का अभ्युदय हो सकता है, तरक्की किस तरह से हो सकती है । सन् १९४७ में हमारा देश आजाद हुआ और उन्होंने सन् १९४८ के पश्चात् राजस्थान की स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए अपने अभिभाषण में विचार रखे हैं ।

यह सही बात है कि देश १९४७ में आजाद हुआ और हमने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली । लेकिन अब प्रश्न यह नहीं है कि हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हमने आर्थिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त कर ली है? हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की, उसके पश्चात् आवश्यकता इस बात की है कि क्या हमारा देश एक रक्तहीन क्रान्ति पैदा करना चाहता है ? यदि हां, तो क्या उसमें सफल हुआ या नहीं और इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने गये १० वर्षों में जो काम किये हैं, जो रूप-रेखा तैयार की है उसमें इस बात का ध्यान रखा है या नहीं कि किस प्रकार से जनता के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाया जाय । इसको ध्यान में रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई है उसमें राजस्थान को १ करोड़ ५९ लाख जनता की ओर ध्यान रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया था । प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देखते हैं तो पता लगता है कि इस ओर पूरा ध्यान रखा गया है । सन् ६१ की जन–गणना में हमारे यहां की जन–संख्या १ करोड़ ९६ लाख के करीब हो जायगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए यह रखा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाय और आठ लाख व्यक्ति तीसरी पंचवर्षीय योजना में बेकार हो सकते हैं, उनको भी

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

रोजी दिलाने का प्रश्न हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। यह सही है कि इसमें पूरी सफलता नहीं मिली क्योंकि जो व्यक्ति बेकार है उन सब को रोजी नहीं मिल सकी है। लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा कि जो ६ लाख के आंकड़े कूंते गये, उसमें से पौने चार लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसी तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना में आठ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का प्रश्न होता है, उसमें भी पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जायगा। इस प्रकार की योजना का प्रारूप राजस्थान सरकार ने सदन के सामने पेश किया था। अभी मालूम हुआ है कि वह फाइनल स्टेज पर है और प्लानिंग कमीशन से स्वीकार हो चुका है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने ६४ करोड़ रुपये की धनराशि रखी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में १०५ करोड़ रुपये की धनराशि इस बात के लिए रखी गई कि राजस्थान का सर्वोपरि विकास किया जाय। जो लक्ष्य राजस्थान सरकार के थे और उनमें से जो जनता के सहयोग से प्राप्त किये हैं उनके आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि १०५ करोड़ रुपयों में से १०० करोड़ रुपये पांच वर्ष में इस वक्त तक खर्च हो चुके हैं, जो कि इस बात का प्रतीक है कि जो लक्ष्य की प्राप्ति १०० पर्सेन्ट होनी चाहिये थी, उसमें से ६५ प्रतिशत प्राप्त कर ली गई है। यह राजस्थान सरकार और राजस्थान के लिए गर्व की बात है। बहुत कम ऐसे राज्य हैं, जिनमें इतने लक्ष्य प्राप्त किये हैं। इसलिए जब राजस्थान में जनता के फायदे के लिए इतना रुपया खर्च होता है तो स्वाभाविक है कि जनता को उससे फायदा हुआ होगा।

योजनाओं के द्वारा हम जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह देखना होगा कि किस तरह जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो, किस तरह हम लक्ष्यों की ओर बढ़ते जायं, किस तरह देश के अन्दर जो गरीबी है, जो लोगों के अन्दर छोटे और बड़े का भेद बना हुआ है, वह किस तरह दूर हो। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि हम यह देखें कि क्या हमारे यहां उत्पादन के साधन बढ़े हैं, क्या उत्पादन के साधनों का विकास हुआ है या नहीं, मनुष्य और समाज के लिए जो रोटी, कपड़े और रहने के लिए मकान और दवा-दारू का प्रबन्ध जरूरी है, दूसरी आवश्यक वस्तुओं के लिए, जो मनुष्य-जीवन और समाज के लिए आवश्यकता की चीजें हैं, उनको उपलब्ध करा सकें हैं या नहीं ? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम राजस्थान के नक्शे को देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि राजस्थान के नक्शे की स्थिति दिन पर दिन बदलती जा रही है। उन आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि जहां राजस्थान के अन्दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६४ करोड़ रुपया रखा गया था, वहां एग्रीकल्चर और कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए ६ करोड़ ६३ लाख रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में था। अगर उसका बंटवारा प्रतिशत के दृष्टिकोण से किया जाय तो १०० में से १० प्रतिशत

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

एग्रीकल्चर और कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए खर्च किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जहां यह रकम प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़ ६३ लाख थी, उसके बजाय १६ करोड़ ५१ लाख रखी गई, यह १० पर्सेन्ट से बढ़ कर १८.५४ पर्सेन्ट हो जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जैसा हम देखते हैं, उसको देखने से मालूम होगा कि ५२ करोड़ ८६ लाख ६५ हजार की धनराशि एग्रीकल्चर और कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए रखी गई है। इस तरीके से २४ प्रतिशत एग्रीकल्चर और कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के ऊपर धनराशि खर्च की जायगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जहां पहले १० प्रतिशत धनराशि रखी थी वहां तृतीय पंचवर्षीय योजना में २४ प्रतिशत रुपया केवल खेती के लिए रखा गया है। यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान में ८० प्रतिशत ग्रामीण जनता है, उसकी आजीविका और जीवन निर्वाह खेती के द्वारा होता है, इसलिए यह आवश्यक भी था कि राजस्थान के अन्दर सर्वोपरि प्राथमिकता खेती को दी जाय। किस तरह खेती हो, किस तरह के राजस्थान के अन्दर खेती के साधन उपलब्ध किये जायं, उन साधनों का किस तरह विकास किया जाय, राजस्थान में किस तरह ज्यादा पैदावार हो, अन्न की पैदावार, दूसरी वस्तुओं की पैदावार जो मनुष्य जीवन के निर्वाह के लिए, जीवन-यापन के लिए आवश्यक हैं, उनका विकास किया जाय, उनकी किस तरह बढ़ोत्तरी की जाय? इसी तरह से देखेंगे कि इर्रिगेशन और पॉवर–ये भी खेती को बढ़ाने के लिए, अन्न पैदा करने के साधन हैं, इनका विकास भी जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां २६ करोड़, ५८ लाख की धनराशि थी पॉवर के लिए ६ करोड़, ५८ लाख का प्रोविज़न था। उसका बंटवारा पर्सेन्टेज के अन्दर करते हैं तो मालूम होता है कि ४७ पर्सेन्ट इर्रिगेशन के लिए रखा गया था और पॉवर के लिए १४ पर्सेन्ट था। इसी तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इर्रिगेशन के लिए ४३,३६,४६,००० का प्रावधान था। इसका बंटवारा करते हैं तो १०० में से ४३ पर्सेन्ट होता है, जब कि पहले ४७ पर्सेन्ट था। इसी तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६६,२६,६२,००० इर्रिगेशन और पॉवर के लिए रखा गया है, जो कि ३२ प्रतिशत सारे ले आउट की रकम की होती है, जो कि काफी ऊंची रकम है। इसी तरह से इन्डस्ट्रीज़ और माइन्स के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल ५५ लाख रुपया था और पर्सेन्ट केवल एक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़ ४ लाख रुपया इन्डस्ट्रीज़ और माइन्स के लिए रखा गया, जो कि १०० का ५.७५ प्रतिशत था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह रकम १२ करोड़ कर दी गई है, जो कि सारी रकम का ५.६५ पर्सेन्ट है। इसी तरह से आप सड़कों के लिए रखी गई रकम को देखेंगे तो मालूम होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़, २५ लाख का प्रावधान था, जो कि कुल रकम का १० पर्सेन्ट था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह ६ करोड़, २५ लाख की रकम बढ़ कर ८ करोड़, ३१ लाख की गई है, जो कि कुल रकम का ८.६४ पर्सेन्ट है। इसी तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह रकम १८, २८, ३८, ००० रखी गई है, जो कि कुल रकम की ८८.६१ पर्सेन्ट है। इसी

Page No.75

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

तरह से शिक्षा के स्तर के अन्दर भी राजस्थान ने तरक्की की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये ४ करोड़, ४६ लाख की धन राशि थी, जो कि ८ पर्सेन्ट बंटवारे के हिसाब से होती है। वह रकम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०करोड़, ५६ लाख कर दी गई। इसी तरह से तृतीय पंच–वर्षीय योजना में २८, करोड़ ६ लाख, २८ हजार का प्रावधान कर दिया गया है, जो कि कुल रकम का १३ परसेन्ट है। हैल्थ के वास्ते जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३ करोड़ ३२ लाख की धनराशि रखी गई थी, जो कि कुल रकम के बटवारे की दृष्टि से ५ पर्सेन्ट थी, वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ करोड़ ४७ लाख ५१ हजार की धन राशि रखी गई है, जो कि साढ़े तीन प्रतिशत के लगभग है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह रकम ५ करोड़ ८५ लाख रख दी गई है, जो कि तीन पर्सेन्ट के करीब है। इसी प्रकार से सोशयल सर्विसेज़ के अन्दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं के बराबर रकम थी, वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २४ करोड़ ६३ लाख १६ हजार है, जिसका पर्सेन्टज २३ पर्सेन्ट है और उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर ५६ करोड़, ८३ लाख ६० हजार कर दिया गया, जो कि कुल रकम का २८ वां हिस्सा है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर जहां ६४ करोड़ की रकम थी वहां तृतीय पंचवर्षीय योजन के अन्दर २१२ करोड़ की रकम राजस्थान के लिए रखी गई है। इसके अन्दर राजस्थान नहर का और पोंग बांध की रकम, जो भारत सरकार से मिलने वाली है, वह शामिल नहीं है, जो कुल रकम की २३६ करोड़ तृतीय पंच–वर्षीय योजना में रखी जायेगी। यदि हम इस रकम को, सारे हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स को कितना रुपया दिया गया है, उसके साथ रख कर मुकाबला करते हैं तो मालूम होता है कि राजस्थान का हिस्सा दूसरी स्टेट्स के हिस्सों से किसी कदर कम नहीं है।

राजस्थान प्रान्त को जो रकम सरकार को जनता के हित के वास्ते, जन-जीवन को ऊंचा करने के लिए, जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए मिली है, वह दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में किसी भी तरह से कम नहीं है। मैं मेजर सेक्टर के सम्बन्ध में ही कहना ठीक समझूंगा कि एग्रीकल्चर एन्ड कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जहां दूसरे स्टेट्स को प्राप्त रकम ८५० करोड़ है, जो कि तीसरे प्लान का २३ पर्सेन्ट है, वहां आप देखेंगे कि राजस्थान को ५३ करोड़ रुपया मिला है, जो कि बंटवारे के हिसाब से २५ पर्सेन्ट के करीब होती है। दूसरे प्रान्तों को जहां एग्रीकल्चर और कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए २३ पर्सेन्ट मिला है वहां राजस्थान को २५ पर्सेन्ट मिला है। इसके मायने यह हुए कि दो पर्सेन्ट दूसरे प्रान्तों से खेती के वास्ते, कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के वास्ते अधिक मिला है। इसी तरह से इर्रिगेशन और पॉवर के लिए दूसरे राज्यों के लिये १,४४५ करोड़ मिला है, जो कि तीसरे प्लान की कुल रकम का पर्सेन्टेज के हिसाब से ४० पर्सेन्ट आता है, वहां राजस्थान को इसमें करीब ६६ करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है, जो कि ३३ पर्सेन्ट है। इन्डस्ट्रीज़ और माइन्स के लिए दूसरे स्टेट्स को जहां १८० करोड़ मिला है, जो कि पर्सेन्टेज निकालने से

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

५ पर्सेन्ट आता है, वह राजस्थान को इस मद के अन्दर १२ करोड़ रुपया दिया गया है, जो कि ६ पर्सेन्ट है और यह भी १ पर्सेन्ट राजस्थान को ज्यादा मिला।

ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन के अन्दर देखें तो पता चलेगा कि सारे हिन्दुस्तान के लिए २२५ करोड़ रुपया रखा गया है और सारे प्रान्तों को कुल रकम का ६ प्रतिशत रुपया मिला है जब कि राजस्थान को १८ करोड़ रुपया मिला है। जो तीसरी प्लान की सारी रकम के बंटवारे का पर्सेन्टेज करते हैं तो ८ प्रतिशत आता है। जहां सारे दूसरे प्रान्तों को ६ प्रतिशत मिला वहां राजस्थान को ८ प्रतिशत मिला है, दूसरे प्रान्तों की बनिस्पत राजस्थान सरकार ज्यादा लाने में सफल हुई है।

इसी तरह से देखेंगे तो सोशियल सर्विसेज में ६५० करोड़ रुपया सारे राज्यों को दिया गया है, जो तीसरी प्लान की सारी रकम का २६ प्रतिशत आता है, वहां राजस्थान को ६० करोड़ रुपया दिया गया है जो सारी रकम का २८ प्रतिशत है। यह रकम भी राजस्थान को दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में ज्यादा मिली है। तो इस वास्ते राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार राजस्थान की जनता के सहयोग को ध्यान में रखते हुए, खर्चा करने की केपेसिटी, खर्चा करने की शक्ति ज्यादा होने से राजस्थान सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने में कामयाब हुई है, सफल हुई है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन को इस बात के लिए मजबूर कर सकी है कि राजस्थान को और प्रान्तों से ज्यादा रकम मिले।

तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में जनता के हितों के लिये ज्यादा रकम रखी है वह और राज्यों की रकम से ज्यादा है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि राजस्थान सरकार ज्यादा रकम लेने में सफल हुई है।

(३. १२. म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात राज्यपाल महोदय ने यह कही है कि अब तक राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप ठीक नहीं था, ४७ में राजस्थान में अनेकों रियासतें थी, राजस्थान में ६८ प्रतिशत रियासतें थीं, यहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप ठीक नहीं था, यू. पी. बंगाल और राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से बड़ा फर्क था, पर राजस्थान सरकार ने उस समस्या को हल किया और एक संगठित शासन स्थापित किया। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप में कई प्रकार की जो दिक्कतें थीं उनको सुलझाने में राजस्थान सरकार कामयाब हुई है।

दूसरी बात जिस पर राज्यपाल महोदय ने सुन्दर शब्दों में अभिभाषण के प्रारम्भ में ही ध्यान दिलाया है वह है यहां शान्ति और सुव्यवस्था की समस्या बताने की आवश्यकता नहीं कि यहां कितनी अव्यवस्था फैली हुई थी, कितनी अशान्ति फैली हुई थी, कितनी डाकेजनी यहां पर होती थी,

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

गांवों में लोगों के लिए घूमना मुश्किल हो गया था। राज्यपाल महोदय ने जो फीगर्स रखे हैं और राजस्थान सरकार ने विवरण समय समय पर जो बताया है, उससे पता चलता है कि दस्युओं के गिरोहों को समाप्त कर दिया गया है। ४७–४८ में जो स्थिति थी वह अब नहीं है। इसके साथ साथ ही मैं यह कहूंगा कि अन्य प्रकार के अपराधों को भी कम किया जाय। अपराध होने से पहले ही मालूम करके उनको होने से रोकना इस ओर पुलिस को ध्यान देना है, अपराधों को कम करना और होने से रोकना, यह कार्य राजस्थान सरकार और पुलिस के लिये परमावश्यक चीज़ है। जो फीगर्स समय समय पर बताये गये हैं उनसे पता चलता है कि राजस्थान सरकार अपराधों को कम करने में कामयाब हुई है। इसी तरह अब भी राजस्थान सरकार और राजस्थान की पुलिस को ध्यान रखना है कि राजस्थान में कम से कम अपराध हों और जो भी अपराध हों उनका निष्पक्षपात से जांच की जाय, जनता को मालूम हो कि इन्साफ किया जा रहा है, आप लोगों को विश्वास हो कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है बल्कि उन्हें मालूम भी होना चाहिए कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि पुलिस इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम अपराध हों और जो भी अपराध हों उनमें निष्पक्ष होकर इन्साफ किया जाय और अपराधियों को दंड दिलाने की व्यवस्था की जाय, आयन्दा वर्षों में काम करेगी।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, राजस्थान में जब जन–प्रिय सरकार बनी तो यहां का ढांचा बदलने लगा। यहां की सरकार ने निश्चय किया कि जागीरदारी, बिस्वेदारी और जितनी भी इन्टरमीजियरी व्यवस्थायें हैं उनको खत्म किया जाय। जब तक किसान को संतोष नहीं होगा कि जिस जमीन पर वह मेहनत करता है उस जमीन का वही मालिक है, साल भर बड़ी मेहनत के साथ खेती करके जो कुछ वह पैदा करता है उस पैदावार का वही मालिक है, उस जमीन पर से जिस पर कि वह मेहनत के साथ खेती करता है उसको कोई नहीं हटा सकेगा, तब तक वह अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न नहीं कर सकता। इस दशा में राजस्थान सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किये हैं। प्लानिंग कमीशन की ४ सिफारिशें थीं, लैंड पॉलिसी के बारे में प्लानिंग कमिशन ने ४ बातों की तरफ सभी राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया था। टिलर ऑफ दी सोइल का जमीन पर अधिकार रहना चाहिये, जितने भी मध्यस्थ हैं, इन्टरमीजियरीज़ हैं उनका उन्मूलन करना चाहिये, राज्य का और काश्तकारों का सीधा सम्बन्ध स्थापित कर देना चाहिये। प्लानिंग कमीशन की इस सिफारिश को देखें तो मानना पड़ेगा कि जो इन्टरमीजियरीज़ थे, जितने भी जागीरदार, बिस्वेदार आदि मध्यस्थ थे उन सब व्यवस्थाओं का उन्मूलन का दिया गया है। जो खुद काश्त नहीं करते थे उनके और राज्य के बीच में जितने भी मध्यस्थ थे, इन्टरमीजियरीज़ थे, बिचौलिये थे उनको खत्म कर दिया गया है। पहले किसानों को किसी भी समय बेदखल किया जा सकता था। किसान को पूरा विश्वास नही था कि जिस जमीन पर वह काश्त करता है उसका वह मालिक है, उसको

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

उस जमीन पर से कोई नहीं हटा सकता, वहां आज वह उस जमीन का खुद मालिक है, उस काश्तकार का और राज्य सरकार का आज सीधा सम्बन्ध है, उसे राज्य को लैंड रेवेन्यू के रूप में बंधी रकम देनी पड़ती है । किसानों को जमीनों में अधिकाधिक तरक्की करने और प्रोडक्शन बढ़ाने का स्वर्ण अवसर मिला है । 'सर्व भूमि गोपाल की' यह जो सिद्धान्त भारत में चला आ रहा था, उस सिद्धान्त का मूर्त रूप देखना चाहें तो राजस्थान में वह हमें देखने को मिलेगा।

प्लानिंग कमीशन की दूसरी सिफारिश थी कि जिन जमीनों का सर्वे (सर्वेक्षण) नहीं हुआ है, बन्दोबस्त नहीं हुआ है, वह होना चाहिये, किसानों के हक–हकूक के लिये लैंड रेकॉर्ड्स होने चाहिये । अगर आप इससे पहले राजस्थान की हालत को देखते तो आपको मालूम होता कि लेन्ड टेन्योर की क्या हालत थी । छोटी छोटी रियासतें थीं और वहां जागीरदारी प्रथा थी । अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति–रिवाज थे, काश्तकारों को कई प्रकार के लगान देने पड़ते थे । उन सारी रियासतों को खत्म करके और वहां के पुराने तरीकों को मिटा कर नया लैन्ड टेन्योर लागू किया है और इसके साथ साथ सर्वे भी हुआ है, जहां पर कभी सर्वे नहीं हुआ था उन एरियाज़ का भी सर्वे हुआ है । सेटलमेंट नहीं हुआ या वहां सेटलमेंट हुआ है, कई स्थानों पर कोई रेकॉर्ड नहीं था और उससे काश्तकारों के हितों की कोई रक्षा नहीं होती थी वह भी अब की जाती है । वह प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पूरा किया है और इससे काश्तकारों का बहुत हित हुआ है ।

प्लानिंग कमीशन की तीसरी सिफारिश यह थी कि एक व्यक्ति–विशेष के लिये ज्यादा से ज्यादा सीमा निर्धारित की जाए कि कितनी भूमि एक व्यक्ति के पास होनी चाहिये । उसके लिये अधिक से अधिक भूमि की सीमा निर्धारित करनी चाहिये । इस संबन्ध में सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों में एक अधिनियम बनाया जिसके मातहत किसान ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है । कानून भी पास हो चुका है और प्लानिंग कमीशन की इस सिफारिश को भी पूरा किया है ।

चौथी सिफारिश कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ की थी । इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में चकबन्दी हो रही है । हमारे यहां राजस्थान में टीनेन्सी एक्ट, १६५६ में बनाया गया । अगर आप उस एक्ट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह दूसरे कई राज्यों से अच्छा है और प्रगतिशिल है । राजस्थान में आज तीन प्रकार के किसान हैं :

(१) खातेदार,

(२) गैर खातेदार और

(३) खुद काश्त के काश्तकार

लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने खुदकाश्त करने वालों को भी बहुत सुविधाएं दी हैं। खुदकाश्त के टीनेन्ट्स को भी सुविधाएं दी हैं । अगर कोई टीनेन्ट लैंड होल्डर्स से जमीन लेना चाहे तो वह मुआवजा दे दे तो वह उससे जमीन लेकर जमीन का मालिक हो जावेगा । इस तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देकर काश्तकारों का हित किया है और उनको खातेदारी का हक दिया है। खुदकाश्त के काश्त-

Page No.79

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

कार लैंड होल्डर को मुआवजा दे दें तो वे खातेदार हो जावेंगे । मैं समझता हूँ कि जितनी तेजी से राजस्थान सरकार ने यह काम किया है वह दूसरे किसी राज्य में नहीं किया है। इसलिये वास्तव में उनका इस संबन्ध में कार्य सराहनीय है । यहां के काश्तकार स्वयं महसूस करेंगे कि एक समय यह कहा जाता था कि 'सबै भूमि गोपाल की' का सिद्धान्त था उसको सर्वांगीण रूप से कांग्रेस के द्वारा पालन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं । परन्तु हमारा विकास यहीं समाप्त नहीं होता। अगली पंचवर्षीय योजना में किस तरह से भूमि का मेनेजमेंट होना चाहिये, इसके लिये पृष्ठभूमि तैयार की है। देश में कितनी पैदावार होनी चाहिये, दूसरे देशों में कितनी पैदावार होती है। दूसरे देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान में अभी तक पैदावार उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उनके पास जमीन है, वह पीस-मील में हैं। यह एक समस्या काश्तकारों के सामने भी है । इसके अलावा मेनेजमेंट ठीक नहीं है। यह भी एक समस्या है जो काश्तकारों के सामने है क्योंकि उनकी भूमि दूर दूर है। चकबन्दी के द्वारा यह काम भी हो रहा है। मेनेजमेंट आदि को दृष्टिकोण में रखते हुए राजस्थान सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में कोऑपरेटिव बेसिस पर खेती की योजना रखी है कि किस तरह से जमीन का प्रबन्ध किया जा सकेगा, यह सब कांग्रेस ने सहकारिता के आधार पर तय किया है।

इस सम्बन्ध में जो बातें गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में बताई हैं और सहकारिता का जिक्र किया है उसको देखने से मालूम पड़ता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ और इसकी संख्या पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ी है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां कई प्रान्तों ने प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों को पूरा नहीं किया और जो और भी दूसरे कामों में पीछे हैं, वहां राजस्थान सरकार किसानों की भूमि की पैदावार किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से उनका मेनेजमेंट ठीक तरह से हो सकता है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के आधार पर राजस्थान में किस तरह से खेती की जावे, उसके लिये अधिनियम और नियम बनानेवाली है। सहकारिता के आधार पर यहां पर किस तरह से खेती की जावे, इस सम्बन्ध में दूसरे देशों ने काफी तरक्की की है। हमारे यहां पर छोटे छोटे होल्डिंग्ज़ हैं, काश्तकारों की जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसके लिये चकबन्दी की आवश्यकता है। आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि सहकारिता के आधार पर खेती की जावे और इसके साथ साथ यह भी देखना है कि जो लोग बेकार हो जाते हैं उन लोगों के लिये क्या किया जावे। इसके लिये राजस्थान सरकार ने लघु उद्योग योजना बनाई है। इसके लिये कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ५० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, परन्तु मैं मानता हूँ कि इस देश में इसके लिये काफी प्रयास हो रहा है और रकम सहकारिता के आधार पर सरकार देगी। फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के पास कम जमीन है और जिनके पास से जमीन ले ली जावेगी और मेनेजमेंट जिस जमीन का सहकारिता के आधार पर होगा तो उन लोगों को

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

दूसरे धन्धे दिये जाने चाहिये। मगर आज हम पुरानी परिपाटी के गुलाम हैं। एक धन्धे को बहुत अर्से तक करते आ रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते। उन लोगों के हित के लिये राजस्थान सरकार लघु।उद्योग खोल कर कदम उठा रही हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि सहकारिता के आधार पर जो खेती का नक्शा है वह पूर्ण हो सकता है।

इसके साथ साथ मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि हमारी शिक्षा में भी काफी तरक्की हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, राजस्थान में सर्व प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले यहां के गांवों में स्कूलों की संख्या बहुत कम थी। हाई स्कूलों और कॉलेजों की संख्या नगण्य थी। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज हाई स्कूलों और कॉलेजों की संख्या काफी बढ़ गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे कि जहां २४ प्रतिशत बच्चे जिनकी आयु ६ वर्ष से ११ वर्ष के बीच थी स्कूलों में जाते थे। वहां यह लक्ष्य था कि सैकन्ड फाइव ईयर प्लॉन में ५० प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कूल में भेजा जाना चाहिये। यह टार्गेट था उसमें सरकार बजाय ५० प्रतिशत के ५६ प्रतिशत बच्चों को स्कूल भेजने में सफल हो चुकी है और अब राजस्थान सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस एज ग्रुप के लिये ७० से ७५ प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कूल भेजने का नक्शा बनाया है और ७५ प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल हो गई तो हम आशा करते हैं कि यह लक्ष्य जो ७५ प्रतिशत रखा गया है वह थोड़ा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इस काम को पूरा किया है तो हम आशा करते हैं कि यह लक्ष्य भी पूरा होगा, यह हमारे लिये बहुत खुशी की बात होगी।

बच्चों को स्कूलों में भोजन मुफ्त में देने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ धन राशि रखी गई है। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जावे भी और उसके साथ ही गरीब बच्चे हैं उनको किताबें अगर वे नहीं खरीद सकते हों तो उनको किताबें देने का प्रावधान रखा है; तो इससे हम आशा करते हैं कि हमारा टार्गेट बढ़ेगा और सब को समान अवसर देने का हमारा स्वप्न साकार होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ११४ स्कूल थे उनको हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी में परिवर्तित करना था लेकिन राजस्थान सरकार ने ११४ के बजाय २१० को किया। जहां लड़कियों के वास्ते तीन इन्टरमीजियेट कॉलेजों को डिग्री कॉलेज बनाने का प्रावधान था वहां तीन के स्थान पर ६ कॉलेजों को डिग्री कॉलेजेज़ में परिवर्तित किया। यही नहीं, यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखें तो उससे हमको मालूम होगा कि जहां प्राइमरी स्कूलों के लिए ६,८७६ की संख्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में खोलने की रखी गई थी उसके स्थान पर १४,४६० प्राइमरी स्कूल बन चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ११ से १४ साल तक की उम्र के ३० प्रतिशत बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है; उसके लिए ४६८ अधिक पाठशालायें खोली जावेंगी, १५ हजार से अधिक अध्यापक रखे

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

जावेंगे । यह तो मानना होगा कि जिस गति से और जितनी जल्दी से बेसिक पेटर्न के अनुसार स्कूल बनने चाहिये थे उतने नहीं बन सके हैं । राजस्थान सरकार को चाहिये कि प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित न करके पहले से ही बेसिक स्कूल खोलें, इससे अच्छा होगा । बेसिक पेटर्न पर स्कूल बनने चाहिये और भारत सरकार ने यह नीति भी निर्धारित कर दी है । यह हो सकता है कि राजस्थान सरकार के पास बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स की कमी हो, बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक राजस्थान सरकार को न मिलते हों और उनकी बेसिक स्कूल न खोलने के सम्बन्ध में यह दिक्कत हो सकती है । मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान देगी कि प्राइमरी स्कूलों के स्थान पर वह पहले से ही बेसिक स्कूल ही खोले । यदि सरकार आगे जाकर बेसिक स्कूलों में उन प्राइमरी स्कूलों को कन्वर्ट करेगी तो उससे सरकार को अधिक खर्चा भी होगा । इस ओर यदि पहले ही से अधिक ध्यान दिया जा सकेगा तो अच्छा होगा । यदि बेसिकट्रेन्ड अध्यापक नहीं हैं तो ऐसा प्रावधान रखा जाय कुछ टीचर्स ट्रेनिङ्ग स्कूलों का जिसमें बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक तैयार किये जांय । भविष्य में सरकार बेसिक स्कूल ही बेसिक पेटर्न के अनुसार खोल सकेगी, ऐसी आशा करनी चाहिये । तृतीय पंचवर्षीय योजना में १०० मिडल स्कूलों को हायर सेकन्डरी में परिवर्तित करने के लिए प्रावधान किया गया है । राजस्थान में अभी एक ही युनिवर्सिटी है । जोधपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में एक युनिवर्सिटी और खोली जायगी जिससे पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री होर्ल्डड विद्यार्थियों को लाभ होगा । मैं समझता हूँ कि यह काफी श्लाघनीय कदम होगा । इससे राजस्थान में शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में तेजी आवेगी और जनता को लाभ मिलेगा ।

इस प्रकार से मेडिकल के सम्बन्ध में भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ । धीरे धीरे मेडिकल पर खर्च होने वाली रकम को बढ़ाया गया है । तृतीय योजना काल में हर पंचायत क्षेत्र में कम से कम दो डिस्पेन्सरीज़ रखी जावेंगी । इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां हैं और हर पंचायत क्षेत्र में दो मेडिकल डिस्पेन्सरीज़ खोली जावेंगी । टोटल मिला कर ४६४ मेडिकल डिस्पेन्सरीज़ बनायी जावेंगी । पहले गांवों के लोगों को वैद्य और डॉक्टर का लाभ नहीं मिलता था । इनसे गांवों के लोगों को राहत मिलने लगेगी । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताया गया है कि प्रति दस लाख की जन संख्या के औसत के हिसाब से जितने पलंगों की व्यवस्था होनी चाहिये उस दृष्टि से राजस्थान में अन्य प्रान्तों के मुकाबिले में वह अधिक है और अन्य प्रान्तों से मेडिकल पर अधिक रकम भी खर्च होती है । इससे जनता को अधिक लाभ पहुँचता रहेगा ।

यह खुशी की बात है की आयुर्वेद के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ४७ लाख ६५ हजार रुपया रखा गया था, पूरा रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ और ३४ लाख ६६ हजार रुपया ही खर्च हो सका है । इस योजना काल में ३४१ और औषधालय खोलने के लक्ष्य की पूर्ति हो गई है । राजस्थान सरकार एक अनुसंधान शाला भी खोलेगी जिससे कि आयुर्वेदिक औषधियों का

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

अपने यहां पर निर्माण किया जा सके। यह तो मानना होगा कि हजारों वर्षों तक भारतवर्ष परतन्त्र रहा। आर्य लोल आयुर्वे में बहुत अधीक तरक्की नहीं कर सके। उस समय के राज्यों में से बहुत कम राज्यों ने आयुर्वेद को अपनाया। राजस्थान में दो आयुर्वेद कालेज हैं और उनके लिए एक अनुसंधान शाला खोली जावेगी। आयुर्वेद का stagnation हुआ है और अनुसंधान होना प्रायः बन्द सा हो गया था। लेकिन राजस्थान सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिये और आशा है कि वह कदम उठायेगी। दूसरे प्रान्त भी फोलो (अनुसरण) करेंगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में ५ योगिक केन्द्र खोलने का भी प्रावधान रखा गया है। योग क्रियाओं से रोग को समाप्त कराना और रोग उत्पन्न ही नहीं होने देना; यह हमारी भरतीय प्राचीन परम्परा रही हैं। जहां इसका हम प्रसार करने जा रहे हैं तो वास्तव में यह स्तुत्य है। इसका प्रसार होगा और जनता को इससे लाभ भी उठना चाहिये। राजस्थान में इनके पांच केन्द्र रखे जावेंगे। आपने कदम जरूर उठाया है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कदम को और आगे बढ़ायें और दूसरे प्रान्तों के लिए भी एक मिसाल साबित करें। जिससे वे लोग भी इस प्रकार के योगिक केन्द्र बनायें। नागरिकों में बीमारी ही न होने पाये और यदि हो भी जाय तो इन केन्द्रों के द्वारा उनको दूर किया जा सके, हम इस प्राचीन विद्या का पुनरुत्थान करना चाहते हैं, इसमें पुनर्जीवन लाना चाहते हैं। आपने इसके लिए जितना रुपया रखा है वह तो ठीक नहीं है इससे भी अधिक होना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय इस ओर ज्यादा ध्यान देंगे और इसको डेवलप करेंगे जिससे राजस्थान का नक्शा ठीक तरह से बदल सके।

मैं पंचायतों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पंचायत राज्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में २३२ पंचायत समितियों का निर्माण हुआ है। इसके शान्ति के साथ चुनाव हो गये हैं। इसके साथ ही ७,३६५ ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए। पंचायतों के लिए यह शुभ बात है। बहुत कुछ बातें हमारे सामने आयी है हम राजस्थान में एक नया इतिहास, नया नक्शा बनाना चाहते हैं। विकास के कार्यों को राजस्थान में प्राथमिकता दी है। हम यह चाहते हैं कि इनको पंचायतों द्वारा आधारभूत मानते हुए राजस्थान का किस प्रकार से विकास किया जाय, यह इस ओर हमको इंगित करता है। यह पंचायतों द्वारा विकास की एक आधार शिला रखी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आफिशियल्स द्वारा बनाई गई थी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण हुआ है वह पंचायत के द्वारा ही हुआ है। एक खुशी की बात यह है कि राजस्थान सरकार ने पांच करोड़ की रकम फ्री फंड के नाम से तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखी है, जिसमें आप लोग इनीशियेटिव लें।

यही नही, तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंचायतों द्वारा इनीशियेटिव लेने के लिए फ्री फंड नाम से पांच करोड़ रुपये की धनराशि रखी है और यह भी प्रावधान रखा है

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

कि जो योजनायें ती री पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं हैं उन योजनाओं के अलावा कोई दूसरी योजनायें पंचायत समितियां शुरू करना चाहतीं हैं तो वे शुरू कर सकती हैं, उसमें राज्य सरकार ४० प्रतिशत अनुदान देगी और ६० प्रतिशत रुपया पंचायत समिति को एकत्रित करना होगा। यह एक प्रकार का इनीशिएटिव पैदा करने का तरीका है। यह बड़ी सूझ-बूझ का कार्य है, जनता को अपनी उन्नति के लिए, जनता में भावना का प्रादुर्भाव करने के लिये कि जो भी योजनायें हैं वे सब उनकी अपनी भलाई के लिए हैं, इस प्रकार का कदम उठाया गया है। अगर वहां की जनता कोई योजना ग्राम हित के अन्दर समझती है तो वह उसको चालू कर सकती है और उसके लिए राज्य सरकार भी ४०० प्रतिशत अनुदान देगी, और ६० प्रतिशत के लिए जनता में भावना पैदा करनी होगी कि यह काम जो हो रहा है वह हमारे गांव की भलाई के लिए है; अतः हमें इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिये। जिस प्रकार मे राज्य सरकार अपने फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ के लिए टैक्स लगाती है और उसी के अनुसार दूसरी योजना में जहां ३१ करोड़ रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करने का रखा था वहां उसी स्थान पर ४० करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। इसी प्रकार जहां पर ६ करोड़ रुपया नये करों द्वारा इकट्ठा करने का ध्येय रखा था वहां १३॥ करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया दूसरी योजना की पूर्ति के लिए। यह ठीक बात है कि इससे राजस्थान की जनता पर टैक्सेशन का भार बहुत बढ़ गया है लेकिन कोई भी सरकार बिना कर लगाये अपनी विकास योजनायें पूरी नहीं कर सकती और जहां इस प्रकार से आमदनी बढ़ायी है वहां जनता को उसका फायदा भी मिला है। अगर देश तरक्की करना चाहता है तो यह ध्यान में रखना होगा कि उसके लिए पैसा कहां से आयेगा? उसके लिये हमें जनता पर टैक्स लगाना पड़ता है और उसी से हम अपनी योजनाये सफल कर सकते है। पंचायतों में इस भावना को जागृत करने के लिए कि आज जो योजनायें बन रही हैं वे ठेठ गांव से बनकर आती हैं, आज हम देखते हैं कि पंचायत राज्य का स्वरूप आम जनता की भलाई के लिए है, इसको आम जनता पहचानने लगी है। अगर गांव की तरक्की करना है तो मुझे अपनी मेहनत से अपने रिसोर्सेज़ ऐसे बढ़ाने होंगे जिससे हमारी योजना सफल हो सके। राजस्थान सरकार जो कुछ भी इकट्ठा करती है वह राजस्थान का नक्शा बदलने के लिए, राजस्थान को आगे ले जाने के लिए है। जहां हम उसमें जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने ज्यादा टैक्सेज़ देंगे उतनी ही हम जनता को आगे बढ़ा सकेंगे और उससे उतना ही जनता को लाभ मिलने वाला है। इसी भावना को जागृत करने के लिए (फ्री फन्ड) का यह हमारी सरकार ने श्लाघनीय कदम रखा है। पंचायत राज का जो स्वरूप हमारे सामने आया है उससे यह जरूर है कि जनता पर टैक्सेज़ का भार बढ़ेगा; उनके कन्धों पर टैक्सेज का बोझ आयगा लेकिन इसके साथ साथ वे यह भी महसूस करेंगे कि जो योजनायें हैं वे अपने लिये हैं, हर एक मानव के लिये हैं; उनमें सबका समान रूप से हित निहित है अतः ऐसे कार्य के लिये जो भी भार पड़ता है तो उसको सहन करना होगा। पंचायतों को अपनी अपनी योजनाओं के लिये ६० प्रतिशत इकट्ठा करना होगा; यह

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

जो पंचायत के लोगों में इनीशियेटिव पैदा करने के लिये रखा है वह बहुत ही श्लाघनीय कदम है। इस कार्य के लिये वास्तव में राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में संकेत किया है उससे वास्तव में राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि जो पंचायतों का हमने नक्शा बनाया है उससे हम जनता के जीवन–स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, उसी के अनुसार हमने एक तृतीय योजना का नक्शा राजस्थान की जनता के समक्ष रखा है। उसी के अनुसार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियां मिल कर हमारे इस नक्शे को बदलना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि प्रतिगामी शक्तियां एक साथ मिल कर आज जो राजस्थान का बढ़ता हुआ नक्शा है उसको फिर पीछे ढकेल दे जैसा कि सन् ४७ के पूर्व यहां था। वे आज मिल कर चाहती हैं कि पुराना उनका जो राज्य था उसी प्रकार का ढांचा फिर से आ जाय। वे एक नारा देकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, कोई भ्रष्टाचार का नारा देकर, अयोग्यता का नाम देकर इस चीज़ को लाना चाहते हैं। आज राजस्थान सरकार जो पंचायत राज्य कायम करना चाहती है वह प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करने के लिये है, आज जो इसके प्रतिकूल वातावरण पैदा कर रहे हैं उसके लिये हमें चाहिये कि हम उनका सख्ती के साथ मुकाबला करेंगे, तभी हम अपने ध्येय की पूर्ति में सफल हो सकेंगे। राजस्थान में वह युग अब आने वाला नहीं, प्रतिगामी शक्तियां संगठित होकर चाहे कितना ही प्रयास करें जो राजस्थान का नक्शा आज बदला हुआ दिखाई देता है वह नक्शा आगे ही बढ़ता रहेगा, वह पुरानी चीज़ अब किसी भी प्रकार दुनिया के अन्दर आ नहीं सकती और उससे देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और वह भी रक्तहीन क्रान्ति द्वारा करना चाहते हैं ताकि भारतवर्ष के लोगों को गरीबी से, भुखमरी से छुटकारा मिले। हम अहिंसक क्रान्ति द्वारा वह युग लाने जा रहे हैं, रक्तहीन क्रान्ति द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ प्रतिगामी शक्तियां हमारे बीच में रोड़ा अटकाना चाहती हैं। लेकिन यह उनको याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार पानी को बाढ़ में मामूली से रोड़े को स्थान नहीं मिलता उसी प्रकार उनकी जो रुकावटें हैं वे जनता रूपी पानी के बहाव में इस प्रकार बह कर चली जायगी कि उनका पता ही नहीं चलेगा और जिस प्रकार बाढ़ का पानी मामूली रुकावट से कुछ क्षण के लिए रुक नहीं सकता है और फिर दूने वेग से प्रवाहित होता है उसी तेजी के साथ हमारे ये कदम बढ़ते नजर आयेंगे। हमें चाहिये कि हम जनता को इस प्रकार से शिक्षित करें जिससे हम राजस्थान को द्रुतगति से आगे बढ़ाने में सहायक हो सकें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मजदूरों की स्थिति के बारे में भी जिक्र किया गया है। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। राजस्थान सरकार जहां इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयत्न कर रही है वहां उन्होंने यह भी प्रयत्न किया है कि राजस्थान के अन्दर मौजूदा इन्डस्ट्रीज़ की दशा सुधरे। राजस्थान के अन्दर कपड़े की मिलें ११ थीं, जिनमें से

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

चार बन्द हो चुकी थीं, लेकिन राजस्थान सरकार ने साहसिक कदम उठाकर ब्यावर और भीलवाड़े की मिल को अपने कब्जे में लिया। यदि ये नहीं कर पाती तो शेष सात मिलें भी बन्द हो जातीं। इसके लिये हमारी राज्य सरकार ने साहसिक कदम उठाया और सोमाणी कमेटी का निर्माण किया। उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके अन्दर बतलाया है कि किस तरह से पुरानी मिलों का जीर्णोद्धार किया जा सकता है, जिन मिलों का इन्तजाम ठीक नहीं है उन मिलों को सरकार को लेना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने इन्डस्ट्रीज़ डेवलपमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत भीलवाड़े और ब्यावर की मिल को अपने कब्जे में ले लिया है। इससे राजस्थान के पूंजीपतियों को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की दूसरे मिल मालिकों को भी एक प्रकार से सबक दिया है कि वे यह न समझ लें कि मिलें उनकी निजी सम्पत्ति हैं बल्कि राष्ट्र की सम्पत्ति है; वे चाहे जिस तरह से उनको चला सकते हैं, चाहे जिस तरह से मजदूरों को तकलीफ दे सकते हैं। आज करोड़पतियों और पूंजीपतियों के हाथ में यह नहीं है कि वे जिस तरह से चाहें मिल मजदूरों के साथ बर्ताव करें। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है वह बात छोटी सी नहीं, इसमें बहुत बड़ी भावना छिपी हुई है, वह यह कि ये उद्योग राष्ट्र के उद्योग हैं और समाजवाद के सही रूप की ओर हमें ले जाते हैं। सरकार ने यह साबित किया कि हर व्यक्ति की जो सम्पत्ति उद्योगों और बड़े धन्धों के रूप में है और जो इस सम्पत्ति को अपनी मान कर मनमाने तौर पर उसको व्यवस्था करना चाहता है वह आज के इस समाजवाद के युग में उनकी व्यक्ति–विशेष की सम्पत्ति नहीं है। उसका मालिक सारा समाज है। सरकार ने हर पूंजीपति को सावधान किया है कि वे यह न समझें कि वे इन उद्योग–धन्धों में लगी पूंजी का मनमाने ढंग से प्रबन्ध करने के लिये पूरे स्वतन्त्र हैं। उन पूंजीपतियों ने इस प्रश्न को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पेश किया, पर सफलता नहीं मिली। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमन्, आपके द्वारा, कि इन दो मिलों को लेकर सरकार ने उन मिल मालिकों को और देश के अन्य मिल मालिकों को चेतावनी दी है और इसका प्रभाव यह पड़ा कि राजस्थान की जिन सभी मिलों में हर पूंजीपति हानि बता रहा था, कह रहा था कि उनकी सारी मिलें घाटे में चल रही हैं वे भी लाभ में चलने लगीं और घाटे में चलने का नाम लेना भूल गये। मैं मानता हूँ कि ब्यावर में जो मिल सरकार ने अपने हाथों में ली उसमें खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, करीब एक वर्ष में ६० हजार का। इसका भी सरकार को ध्यान रखना है क्योंकि हमें दूसरों को उदाहरण देना है, दूसरे मिल मालिकों को बताना है कि अगर सरकार किसी धन्धे को हाथ में लेती है तो उसे वह काफी अच्छी तरह मजदूरों के और प्रान्त के हित में चला सकती है और अगर तुमने गड़बड़ी की, मजदूरों के साथ ज्यादती की, लोगों को बेकार बनाने की चेष्टा की तो उसकी सजा तुमको भी मिल सकती है और तुमसे उसका प्रबन्ध लेकर सरकार योग्यता और लाभ के साथ उसको चला सकती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूँ माननीय सदस्यों को कि सरकार ने इस दिशा में सही कदम उठाया है और मजदूर वर्ग के दिलों में यह भावना अंकित की है कि सरकार उनको

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

बेकार नहीं होने देगी।

साथ ही और बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सेन्ट्रल वेजेज़ बोर्ड का फैसला आया। उसका भी लाभ राजस्थान के मजदूरों को मिला, कम से कम चार रुपये से लेकर आठ रुपये तक के महंगाई का लाभ मिला, जो किसी प्रोविन्स में यहां की स्थिति को देखते हुए नहीं है। साथ ही यह भी हुआ कि अगस्त, ६१ के बाद २) रु० महंगाई के और भी ज्यादा मिलेंगे और साथ साथ यह भी तय हुआ है कि करीब १४) रुपये से ये २) रु० मिलाकर १६) और ई. एस. आई. के अनुसार मिल मालिकों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी २) रु० अलग से होगा और इस तरह कुल १८) रु० तक की तरक्की मिलेगी।

वर्क लोड का प्रश्न भी सफलतापूर्वक तय हो गया है। यह तो नहीं कह सकते कि बम्बई और अहमदाबाद के जो लक्ष्य सेन्ट्रल वेजेज़ बोर्ड ने रखे हैं उन तक पहुंच सकते हैं, पर अगर हमारी वर्किंग कन्डीशन इसी तरह ठीक चलती रही तो धीरे धीरे हम उस लक्ष्य तक भी पहुंच जावेंगे। तो श्रीमन्, जहां तक मजदूर वर्ग का सवाल है सरकार ने उनके हित में काफी कदम उठाये हैं और इन कदमों से दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनको वास्तव में राहत मिली हैं, मजदूरों में विश्वास पैदा हुआ है।

साथ ही और भी कहना चाहता हूँ कि हाउसिंग स्कीम की अपनी दूसरी स्कीम पूरी नहीं हुई. पर तीसरी योजना में प्रावधान रखा है कि उनको कम्पलीट किया जावे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोऑपरेटिव बेसिस पर इस काम को पूरा किया जावेगा और राजस्थान सरकार का मैं इस ओर ध्यान खींचना चाहता हूं कि उनको पूरा किया जावे। जो हाउसिंग की स्कीम जिस तरह से मध्यम वर्ग के लिये रखी गई है, उसी तरह की मजदूर वर्ग के लिये भी स्कीम रखी जावे।

ई. एस. आई. (E. S. I.) की स्कीम ठीक है। पर मालूम हो रहा है कि यह लेबर डिपार्टमेंट से हटाकर दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने का प्रयास चल रहा है। यह ध्यान रखें कि केन्द्रीय सरकार में भी लेबर डिपार्टमेंट ही इसे डील करता है जो डॉक्टर मजदूरों से डील करता है उनकी मैन्टेलिटी दूसरे प्रकार की बन जाती है। दूसरे मरीज़ जो जाते हैं उनके दृष्टिकोण में अन्तर है। मज़दूर की तरह दूसरा मरीज़ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। मज़दूर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसलिये आपके उसके दृष्टिकोण में अन्तर होगा और आशा है इसको देखते हुए ही आप फैसला करेंगे।

इसी तरह, श्रीमन् राजस्थान में हम अपनी सड़कों की हालत देखें तो पावेंगे कि राजस्थान ने इस दिशा में आशातीत उन्नति की है। दूसरी योजना में ४४१ मील नेशनल हाई वे और स्टेट हाई वे २,५४२ मील के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। दूसरी योजना काल में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे हम उनसे भी आगे बढ़े हैं। पैदावार में जहां हमारा ८.१२ लाख टन का लक्ष्य था वहां ११ लाख टन हो जावेगा। ऑइल सीड, तिलहन में भी ४२ हजार टन से बढ़ कर २४ हजार टन अधिक पैदावार हुई है। रुई की गाठें भी २.६५ लाख गाठें पैदा करने का लक्ष्य था वह लक्ष्य से २५ हजार टन गाठें अधिक पैदा होगी। पर मैं इस बारे में राज-

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

स्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अशोक मेहता कमेटी का निर्माण हुआ था और उसके अन्दर उसने मध्य भारत व राजस्थान के लिये कहा था कि जो लक्ष्य बनाये जा रहे हैं उनको वेरीफाई करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने अनुमान इस आधार पर लगाये हैं कि अगर मान लीजिये एक हजार मन फर्टीलाइज़र हमने दिया तो २ मन प्रति मन फर्टीलाइज़र के हिसाब से पैदावार बढ़ जावेगी या इतने कुंए खुदवाये है तो इतने बीघा की पैदावार बढ़ जावेगी, यह मान कर चला जाता है । तो इस बेसिस पर इसे वेरीफिकेशन करने की जरूरत है । तो इसलिये आप इसको वेरीफाई करें ।

आपके पास दो साधन हैं; एक तरफ पटवारी है, ग्राम सेवक है बी० डी० ओ० हैं । इनके जरिये इनको वेरीफाई करना आवश्यक है ।

लैंड रेकॉर्ड की जांच करना पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार की ड्यूटी है; जैसे एक दूसरे के स्टेटमेंट को चैक करने की । इसी तरह से इन फैक्ट्स की जांच करें इसका भी वेरीफिकेशन हो जाना चाहिये और इस तरह से वेरीफिकेशन हो कि जिस वक्त नक्शा बनावें राजस्थान की उपलब्धियों का तो उसमें गलतियां न मिलें । मैंने इस तरफ संकेत किया है । अगर त्रुटियां रह गई हैं तो सुधार इस तरह से कर लिया जावे और अगर नहीं हैं तो खुशी की बात है । मैंने इस तरफ संकेत मात्र कर दिया है ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया और जिस रुग्णावस्था में दिया उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बीमारी की हालत में भी अपनी कर्त्तव्य–निष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपना अभिभाषण हम लोगों के समक्ष दिया उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सारा सदन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सम्बन्ध में जो उन्होंने विचार रखे हैं और राजस्थान का नक्शा जो तृतीय पंच–वर्षीय योजना में पूरा होने जा रहा है और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हुआ है और जो भविष्य की कल्पना राजस्थान सरकार ने हमारे सामने रखी है वह साकार साबित होगी । मैं आशा करता हुँ कि सम्पूर्ण सदन मेरे इस धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Yadav to second the motion.

(४.०१ म० प०)

श्री अमृतलाल यादव (जालोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, ब्यावर से आने वाले साथी ने जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे देश को जब से स्वतन्त्रता मिली उसके बाद हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये हमारे राष्ट्र को समाजवादी रचना की ओर लाने का निश्चय किया गया और उसके अनुसार राजस्थान में भी इस ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की गई । अभी हमारे सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल है और तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है ।

(श्री अमृतलाल यादव)

जैसा कि आंकड़ों से मालूम है कि राजस्थान की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें २५ करोड़ का लक्ष्य था और उसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी उसके अन्दर १०५ करोड़ का लक्ष्य है। अब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसमें २१२ करोड़ पहले डिस्कशन करके हुआ था अब लेटेस्ट २३६ करोड़ का आंकड़ा आता है। तो इसको मोटे तौर पर देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से द्वितीय पंचवर्षीय योजना लगभग चौगुनी होती है और अब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना से ६ गुनी होती है। तो इस प्रकार यह जो प्रगति इन आंकड़ों से हमारे सामने हमारी राजस्थान सरकार की है उससे हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार राजस्थान में किस प्रकार तेजी से आगे इस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

सबसे पहली बात जिस पर मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ वह यह है कि रुपया चाहे लग जाये लेकिन सवाल होता है कि उसका खर्च उचित तरीके से किया जाये और जिस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाये उस उद्देश्य की पूर्ति हो। इस दृष्टि से भी मैं राजस्थान सरकार को बधाई का पात्र मानता हूँ कि जो लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये वह लक्ष्य न केवल पूरे किये बल्कि किन्हीं किन्हीं कामों में आगे भी बढ़ी है और जितना बजटेड अमाउन्ट था वह रकम उसमें उन्होंने पूरी पूरी खर्च की है। यह ठीक है कि थोड़ी रकम रहती है उसका समय भी है खर्च करने के लिए। उसको देखते हुए हमारी राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के ऊपर यह छाप डाली कि राजस्थान सरकार जो कुछ मांग करती है उस मांग के पीछे जितनी उनकी मांग की तत्परता होती है उतना ही उसके पीछे काम करने का भी विश्वास हमको करना चाहिए। इसलिए जो कुछ राजस्थान सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ और उसको उन्होंने पूरा कर दिया, उसी आधार पर जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी उसके लिए जो हम आधार लेकर गये उसको थोड़े बहुत हेर–फेर के साथ भारत सरकार ने स्वीकार किया। यह हमारी राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है कि जिसकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता।

अब सबसे बड़ी बात जो खर्च के अन्दर और योजनाओं के अन्दर आती है वह यह है कि हमारे प्रान्त को अपनी प्रान्तीय परि-स्थितियों के अनुसार किस प्रकार आगे बढ़ाया जाये, उसके लिए सही दिशा में कदम बढ़ें जिससे कि आगे आने वाले काम अच्छी तरह से हों। यह मैं भी मानता हूँ कि केवल दो–तीन पंचवर्षीय योजनाओं से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते और जो हमारी समस्यायें हैं उनको हम हल नहीं कर सकते। हमें और योजनायें भी बनानी होंगी लेकिन यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह हमको इस बात का आश्वासन देती है कि यह एक तरह का नींव का काम कर रही है। किसी भी भवन की मजबूती और किसी भी भवन की दृढ़ता उसकी नींव पर आधारित होती है। जिस दृढ़ता के साथ राजस्थान सरकार ने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा किया है वह एक ऐसी नींव डाली है जिसके आधार पर जो हमारा अगला समाजवादी रचना का महल बनाने वाला है वह बहुत मजबूत,

(श्री अमृतलाल यादव)

बहुत विशाल और सुदृढ़ होगा। हम इसके ऊपर आसानी से यकीन और विश्वास कर सकते हैं। अब समाजवादी रचना के उद्देश्य की ओर जाने की दृष्टि से दो बातें खास तौर से हमारे सामने आती हैं कि कैसे देश की गरीबी और बेकारी को मिटाने के लिए और उसके लिए पूंजी बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश की सम्पत्ति बढ़े, उस देश की उत्पादन शक्ति बढ़े और उसके साथ ही साथ आर्थिक उन्नति भी हो। तो उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारी राजस्थान की सरकार एक ऐसी सरकार है जो सही लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

(४.०८ म० प०)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

राजस्थान औद्योगिक प्रान्त न होते हुए भी हम अभी तक भी इसे कृषि प्रधान राज्य कह सकते हैं क्योंकि माननीय सभापतिजी हमारे राजस्थान में औद्योगिक प्रगति की काफी गुंजाइश है लेकिन अभी ज्यादातर लोग या तो खेती करते हैं या खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के लोगों की अधिकांश आबादी हमारे यहां पर है। इस कारण हमारे यहां पर कृषि का विशेष महत्व है और कृषि के महत्व को अगर देखें तो हमारी सरकार ने इस ओर उचित ध्यान दिया है और उसी का परिणाम यह आया है कि जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं ८.१५ लाख टन, वह करीब १२ लाख टन हो जायेगा। तो यह हमारे टार्गेट से भी ज्यादा उत्पादन हुआ। यह केवल इस वजह से नहीं कि यहां पर अधिकांश लोग कृषि करते हैं बल्कि इसलिए कि हमारी सरकार ने उनको कृषि के साधनों को प्राप्त कराया है। सुधरे हुए औजार, उपयुक्त खाद और बीज और इस तरह के साधन उन्होंने दिये कि जिससे वे लोग उसी जमीन के अन्दर उन सुधरे हुए साधनों से अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम राजस्थान के इन पिछले पांच सालों में उठा है और वह यह कि किसानों और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता थी, जो मध्यस्थ लोग थे और जो किसान कमाई करता था उस कमाई का सीधा लाभ उस किसान को न मिल कर उसका कुछ हिस्सा किसी को और कुछ हिस्सा किसी को देना पड़ता था और इस तरह से एक किसान तेली के बैल की तरह उसमें जुता रहता था, लेकिन जहां लाभ लेने का सवाल आता था उसका लाभ उसको नहीं मिल सकता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस किसान के लिए 'सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर' को तय किया और भूमि सुधार का जो लक्ष्य दिया था उसको पूरा कर दिया समय के अन्दर। इससे उत्पादन को और किसान की शक्ति को बहुत बड़ी मदद मिली है।

इसके बाद हमारे यहां, जैसा कि हम सब जानते हैं, जागीरदारी और जमींदारियां थीं जिनकी वजह से यह परिणाम था कि एक आदमी के पास कितने ही हजारों, लाखों बीघा जमीन रहती थी और वे खुद-काश्त नहीं कर सकते थे और कितने ही लोग थे जो भीख मांगना नहीं चाहते थे, कमा कर खाना चाहते थे उनको खेती करने के लिये जमीन नहीं मिलती थी। इस बात को हमारी सरकार ने सोचा और जैसी कि प्लानिंग

(श्री अमृतलाल यादव)

कमीशन की सिफारिश थी, सीलिंग लागू करने के लिये बिल पास किया। मैं इस बात के लिये राजस्थान सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने इस तरह का कानून पास कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीलिंग केवल बिल ही में नहीं रह जाय बल्कि जल्दी से जल्दी उसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिये जिससे कि लोगों को अधिक बढ़ावा मिले।

हमारे यहां जो भूमि-सुधार हुए हैं, मिनिमम वेजेज़ एक्ट न केवल औद्योगिक मजदूरों के लिये है बल्कि कृषि मजदूरों के लिये भी उसे लागू किया है। यह एक सुन्दर बात है जो किसान मजदूरों के हक में हुई है। लेकिन इससे भी एक और बड़ी बात हुई है जिसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूँ। आज ही सदन में कर्जा-निवारण बिल आया है, वह महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी बिल है। हम सब जानते हैं कि किसान मेहनत करते रहने के बावजूद भी अज्ञान के कारण और शेखी के कारण नुक्ता वगैरह में फिजूल खर्चा करते हैं और विवाह शादियों में खर्चा करते हैं। अव्वल तो उनकी कमर वैसे ही टूटी हुई है, अपने वंश परम्परा पर चली आई बातों पर हैसियत से ज्यादा खर्चा करते हैं और जब हैसियत से ज्यादा खर्चा कर जाते हैं तो उनको रुपया उधार लेना पड़ता है जिसके लिये अपनी सम्पत्ति एवं जमीन को गिरवी रखना पड़ता है और जो कर्जा देने वाला है वह उसकी तरफ गिद्ध दृष्टि से देखता रहता है कि किस तरह से उसका शोषण करे।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से मैं इसको पेड़ कहूँ या पौधा कहूँ, एक अमर बेल होती है जिसकी कहीं जड़ नहीं होती है, लेकिन इस अमर बेल में वह शक्ति होती है कि कितने ही बड़े हरे-भरे पेड़ पर उसका थोड़ा सा ही हिस्सा डाल दीजिये, थोड़ा सा टुकड़ा ही डाल दीजिये, वह सारे पेड़ पर छा जायगी और सारे पेड़ को सुखा देगी। इसी तरह से हमारे यहां जो ऋण देने की व्यवस्था है और जो साहूकार लोग हैं, इस साहूकार ने जैसी अमर बेल ने हमारे किसान जैसे हरे भरे पेड़ को सूखा-ठूंठ कर दिया है। मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूँ और आज जो बिल सदन में पेश किया गया है उसको सदन जल्दी से जल्दी पास करे और सरकार उसको जल्दी से जल्दी लागू करे ताकि जितने भूमि सुधार हुए हैं उनसे देश का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की उन्नति हुई है, उनकी माली हालत सुधरी है, वे दिखने में आने लगे हैं, वे अब गंगाजी जाने लगे हैं, यात्रा करने लगे हैं, वे अब रेल पर बैठने लगे हैं। पहले जितने किसान थे उनमें से अधिकांश ने रेल की शक्ल तक नहीं देखी थी, कितने ही किसान थे जिन्होंने बड़े बड़े शहर नहीं देखे थे, कितने ही किसान थे जो दुनिया की अच्छी चीजों को नहीं जानते थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिये जितना काम किया है उसके लिये मैं उसको बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने उनको इस स्थिति पर पहुंचाया है, उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग उठा है, उनकी माल.-हालत ऊंची उठी है, लेकिन वे कर्जदारी से मुक्त नहीं हुए हैं लेकिन उसके लिये भी आज बिल पेश कर दिया है। इसके लिये मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

इसके बाद हमारे देश में यह तय किया

(श्री अमृतलाल यादव)

गया है कि सहकारी खेती आन्दोलन होना चाहिये। सहकारी आधार पर खेती करने के विषय में बहुत वाद-विवाद इस सदन में और सदन के बाहर और देश में चला है। एक पार्टी है जो सहकारी आधार पर खेती करने का विरोध करती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने केवल आंकड़ों से ही नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप से साबित करके बताया है कि सहकारी आधार पर खेती या उत्पादन करना न केवल उनकी माली हालत सुधारता है बल्कि वह उत्पादन बढ़ाता है और उससे कर्जदारी एक हद तक हल्की होती है और मिला-जुला प्रयत्न देश को प्रगति की ओर ले जाता है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दूसरी योजना—काल में ६,९१६ समितियों की जो संख्या थी वह बढ़ कर १५,७६७ हो गई और उनके सदस्यों की संख्या २.३ लाख से ७,६७,००० हो गई है और इस प्रकार से उन्होंने ४० प्रतिशत ग्राम और २७ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सम्मिलित कर लिया है जब कि ३० प्रतिशत ग्राम और २४ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सम्मिलित करने का लक्ष्य था।

मैं कहता हूँ कि भूखों को रोटी चाहिये और उसे देने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार सहकारिता के मद में असाधारण प्रगति की है, जो लोग गरीब थे, असहाय थे और जिन किसानों को कोई लक्ष्य नहीं मालूम था कि उनको किस दिशा में जाना चाहिये; न केवल यह, बल्कि किसान अब तक साहूकारों के पंजों में जकड़े हुए रहते थे और उनको अपनी सारी पैदावार साहूकार को देनी पड़ती थी और उसके ब्याज या ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते थे उस किसान के लिये एक सहकारी आधार पर कर्जा मिलना आसान किया है। सरकार ने सहकारी बैंक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करके किसान को साहूकार के पंजे से मुक्त किया है और उसको मालूम हुआ है कि हमको सहकारी बैंक रुपये देता है, सहकारी बैंक के जरिये रुपये उधार मिल सकते हैं और खेती के लिये रुपये उधार मिल सकते हैं। न केवल यह बल्कि लैंड मोर्टगेज बैंक की भी स्थापना की गई है।

इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो महसूस की जाती थी वह यह कि जब किसान को बीज की जरूरत होती थी तब उसका एक भाव होता था और जब किसान के पास फसल आती थी और वह मार्केट में उसको बेचता था तब उसका क्या भाव हो जाता था उसको हम सब जानते हैं। तो नतीजा यह होता था कि किसान जो कुछ पैदा करता था उसका उचित दाम या मुनाफा उसको नहीं मिलता था। इस कमी को इस सहकारी आधार पर राजस्थान सरकार ने गोदाम खोल कर और क्रय विक्रय संस्थाएं खोल कर पूरा किया है। तो यह इस बात का आश्वासन देता है कि इस प्रकार किसानों की उन्नति के लिये क्या क्या होना चाहिये जिससे उसकी स्थिति हर प्रकार से सुधरे, उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग उठे, उसकी कर्जदारी मिटे और उसको पूरा पूरा लाभ मिले। यह व्यवस्था राजस्थान सरकार ने कर दी है। अब कोई भी प्रतिक्रियावादी किसान के पास जाकर कुछ भी कहे लेकिन किसान उसके कहने में नहीं आ सकता। राजस्थान सरकार ने किसानों में आस्था पैदा की है। मैं इस बात को ज्यादा

Page No.92

(श्री अमृतलाल यादव)

महत्व देता हूँ। किसान को इस बात का विश्वास हुआ है कि यह सचमुच में जन-प्रतिनिधि सरकार है, जिसने हमारे लिये सब कुछ किया है।

आज झोंपड़ी झोंपड़ी में किसानों के इस प्रकार के विचार हैं कि राजस्थान सरकार ने हमारे लिए ऐसी स्थिति बना दी है, ऐसी व्यवस्था बना दी है जिससे हमारी हालत सुधर रही है, सुधरती चली जायगी, शर्त यह कि हम मेहनत करें और उत्पादन को बढ़ायें। इस दृष्टि से राजस्थान में किसानों के लिए जो आवश्यक कदम था, वह राजस्थान सरकार ने उठाया और उसको पूरा किया और किसानों में एक विश्वास और आस्था पैदा की।

अब जो आंकड़े मेरे पहले के मित्र ने आपके सामने रखे हैं, उन पर मैं आना चाहता हूँ। सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में, जहां तक बड़ी सिंचाई योजनाओं का सवाल है, उसमें राजस्थान सरकार बधाई को पात्र है क्योंकि उसने राजस्थान केनाल के लिए जो कुछ ४५ करोड़, ४६ करोड़ का प्रावधान है, वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया और उसकी तरफ जो प्रगति है, वह संतोषजनक हो रही है। इसी तरह से हमारी चम्बल योजना की प्रगति है, वह भी संतोषजनक है। यह प्रशंसनीय बात है कि अभी इस साल उससे सिंचाई होने लगी है लेकिन जहां तक लघु सिंचाई योजनाओं का सवाल है उनमें काफी कुछ करने की गुंजाइश है और मैं तो, माननीय सभापतिजी, यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार द्वारा कुंए खोदने के लिए जितनी रकम रखी गई है वह अभी अपर्याप्त है और कुंए खोदने के लिए, छोटे छोटे बांध, छोटे छोटे तालाब और इस तरह के पानी के जरिये कि जिनसे सहकारी समितियों, सहकारी फार्मों और कुछ व्यक्तिगत लोगों को भी खेती करने में लाभ मिल सके और वे लोग उससे लाभ उठा सकें तो उसमें कुछ हो सके, इसलिए रकम बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे काफी कृषकों के हिस्से हैं, जो सहकारिता के क्षेत्र से बाहर हैं और उसके अन्तर्गत लाने के लिए वे परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी कि जिनसे स्वयं उत्सुक होकर वे सहकारिता के क्षेत्र में आकर अपने को लाभान्वित करने की कोशश करें। यह तभी होगा जब कि राजस्थान सरकार उनके लिए इस प्रकार के साधन मुहैया करे।

अब एक और बात है कि हमारे सूरतगढ़ में मैकेनिकल फार्म सबसे बड़ा हमारे देश में कायम हुआ रूस की सहायता से। उसकी सफलता का परिणाम है कि आज राजस्थान केनाल एरिया में दूसरे एक-दो फार्म और इतने बड़े कायम करने को केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया है और राजस्थान सरकार भी उत्सुक है। तो यह भी एक ऐसा कदम है कि जो किसानों का मार्गदर्शन करेगा और उन्नत तरीके से किस प्रकार खेती की जा सकती है, इस दिशा में उनको क्रियात्मक रूप बतायेगा।

तो यह मैंने आपसे निवेदन किया कि राजस्थान की आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने काम किया। उसके बाद दूसरी श्रेणी आती है मजदूरों की।

Page No.93

(श्री अमृतलाल यादव)

मजदूरों की उन्नति का जहां तक सवाल है हमारे यहां वैसे अभी औद्योगीकरण का काफी क्षेत्र, स्कोप है और अन्य प्रान्तों की बनिस्बत अभी हम औद्योगीकरण में पीछे हैं लेकिन आज हम अपने प्रान्त की स्थिति को देखें तो अन्य प्रान्तों की स्थिति का मुकाबला करते हुए हमने जितनी औद्योगीकरण में प्रगति की है वह प्रगति हम बहुत संतोषजनक कह सकते हैं। हमारे यहां मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू है, इसके अलावा श्रमिकों की सुविधा के लिए जो कुछ कानून होने चाहिए वे हैं और उसके साथ साथ मकान बनाने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और चिकित्सा वगैरह की भी सुविधायें मेनेजमेंट की तरफ से दिलवाई जाती हैं।

जब पिछली साल राजस्थान सरकार ने गंगानगर की शुगर फेक्ट्री को लिया था, उस वक्त वह जिससे ली थी, उसने यह कहा था कि यह घाटे में चलती है और मैं इसको इस तरह से इम्प्रूव करने में मुश्किलात देखता हूँ। राजस्थान सरकार ने देखा कि यहां से एक उद्योग चला जायगा, कुछ लोग बेकार होंगे और यह स्थिति अच्छी नहीं होगी। उसने उसको अपने हाथ में लिया। सदन इस बात को जानता है, हम सबने देखा कि राजस्थान सरकार ने बहुत परिश्रम से, उसमें मेहनत करके एक मार्ग–दर्शन दिया कि जहां घाटे की बात थी वहां मुनाफा करके बतलाया। उसकी यह आलोचना की गई कि उसकी जैसी एक छोटी सी शुगर फेक्ट्री में मुनाफा करके बतला दे, उससे क्या हो सकता है लेकिन और कोई बड़ा काम सरकार हाथ में ले तो कोई परिणाम अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि यह काम तो एक व्यक्तिगत हैसियत के लोग ही कर सकते हैं, काम सरकार के द्वारा, राष्ट्रीयकरण के द्वारा नहीं हो सकते हैं। मैं यह जानता हूँ कि हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हैं और वे व्यक्तिगत एन्टरप्राइज़ को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। यह निहित स्वार्थ है जो हमारी प्रगति में बाधा डालता है, लेकिन मैं राजस्थान सरकार को बधाई की पात्र मानता हूँ कि अभी उसने टेक्सटाइल मिल ब्यावर और भीलवाड़ा को हाथ में लिया और उनमें मुनाफा करके उसने दिखलाया। तो यह इस बात का सुबूत है कि राजस्थान सरकार ने जो इतने बड़े कारखाने अपने हाथ में लिये और ये कारखाने सफलतापूर्वक चला कर बतलाये। इस तरह राजस्थान सरकार ने औद्योगिक प्रगति की है।

इसके बाद, हमारे देश में जहां ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, गरीब हैं, वो हमारे राजस्थान में भी हैं और काफी तादाद में हैं। राजस्थान में करीब करीब ३० लाख हरिजन हैं, २० लाख आदिवासी हैं। इस प्रकार ५० लाख की जो यह बड़ी आबादी राजस्थान में है उसके लिए राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ किया है, होस्टल्स खोले हैं, स्कॉलरशिप दी हैं और बहुत बड़ी रकम भी उनके लिए रखी है। न केवल इतना ही, बल्कि उनके लिए भवन निर्माण की व्यवस्था की है और उनके लिए औद्योगिक सहायता भी देने की कोशिश की है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई की पात्र मानता हूँ और जिस अनुपात में प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्रमशः रकम बढ़ी है वह प्रशंसनीय है, लेकिन मैं एक बात राजस्थान सरकार के नोटिस में लाना चाहता

Page No.94

(श्री अमृतलाल यादव)

हूँ और वह यह है कि जब योजना की बात आती है तो बहुत बड़ी हमारी योजना, खास कर पंचवर्षीय योजना तीसरी है, इसकी विशेषता मैं मानता हूँ कि यह ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लेवल के कन्सलटेशन से ऊपर तक आई है। इस योजना को सच्ची जनतांत्रिक योजना कह सकते हैं। उसका परिणाम यह आया कि इसमें जन-सहयोग हमको अधिकाधिक मिल रहा है और आगे भी हमको अधिक मिलेगा, लेकिन समाज कल्याण विभाग के लिए जो योजना में प्रावधान रखा है इसमें २१ लाख रुपया भवन निर्माण के लिये है। आप समझ सकते हैं कि २० लाख की आबादी है और उसके लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में २१ लाख रुपया हाउसिंग के लिए रखा है, यह कहां तक काफी है? यह रुपया बहुत नाकाफी है और इसमें अधिक से अधिक रकम दिलाने की कोशिश होनी चाहिए और मैं तो यह कहूँगा कि इस योजना में एक बहुत बड़ा पहलू है, माननीय सभापतिजी, कि हरिजनों में एक कौम है; भंगी-मेहतर, जो कि मैला उठाने का काम करती है और स्केवेंजिग सिस्टम में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की है। एक कमेटी बनाई है और उसमें रकम की भी बात उन्होंने कही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसके लिए कोई प्रावधान उसमें रखा हो, ऐसा मुझे इसमें मालूम नहीं हुआ। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी, अब यह तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसमें भी हम यह तय नहीं कर पाये हैं कि एक व्यक्ति सिर पर मैला ढोता है, उसका फिज़िकल टच मैले से नहीं हो और सिर पर मैला ढोने के बजाय ऐसे इम्प्लीमेंट्स दे दिये जायं जिनकी वजह से उसे कुछ सुविधा हो। वह बेचारा इतना साहस नहीं कर सकता कि कुछ कहे। अगर भंगी आज यह कह दे कि मैं टट्टी नहीं उठाऊंगा तो शायद क्रांति हो जाय, जैसे कहीं एटम बम्ब पड़ गया हो, वैसा लोगों के दिल पर धक्का जैसा लगता है।

तो ऐसा कहने की तो हिम्मत उसमें पैदा नहीं हुई है। वह कहता है कि मैं टट्टी तो उठाऊंगा पर मेरे हाथ बिगड़ते हैं, मेरे सिर पर वह मैला चूता है टोकरी में, तो कम से कम इसकी तो व्यवस्था हो। वह कहे या न कहे, पर आखिर हम सचमुच समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। अगर हमें हर इन्सान को आगे बढ़ने का अवसर देना है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखना चाहिये था कि कम से कम मेहतर लोग हैं, मैं तो यह कहने को तैयार हूँ कि ४४-४५ हरिजनों की जातियां हैं, अगर दूसरों को एक रुपया भी मकान बनाने के लिये नहीं दें तो काम चल सकता है, पर मेहतरों को, जो यह २१ लाख रुपया रखा है उसमें कुछ और बढ़ाइये, कुछ म्युनिसिपैलिटियों से दिलवाइये; पर एक आयोजन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह हो जाय कि म्युनिसिपैलिटियों के जितने मेहतर हैं उनके मकानों की समस्या को हल कर दिया जाय, स्केवेंजिंग सिस्टम में सुधार हो जाय और ऐसे सुधरे हुए तरीकों से काम करें कि उनके हाथ-पैर, शरीर का कोई भी अंग टट्टी से नहीं लगे और वह अपवित्र न हो। अगर ऐसा किया जाता तो यह हमारे लिये संतोष की बात हो सकती थी, पर इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया, इसका हमें बड़ा खेद है। इसमें ज्यादा रुपयों का

Page No.95

(श्री अमृतलाल यादव)

भी सवाल नहीं है। हमारे बजट की योजना में करोड़ों रुपये हैं, पर यह काम तो कुछ लाख से ही हो सकता है। इस ओर राजस्थान सरकार ध्यान दे तो मैं समझूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। जैसे दूसरी अन्य प्रांतीय सरकारों से राजस्थान सरकार अग्रगण्य होने की कोशिश कर रही है और वह अग्रगण्य हो भी रही है उसी प्रकार मेरी यह इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि राजस्थान सरकार इस दिशा में भी सबसे अग्रगण्य हो जाय।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में राजस्थान सरकार ने अग्रगण्य होकर सारे देश में नाम कमाया है, उसी तरह इस कार्य में भी सबसे अग्रगणी होकर नाम कमाये। इस कार्य में करोड़ों रुपया खर्च नहीं होगा, एक छोटी रकम से बहुत बड़ा काम होने की बात है।

इसके बाद कुछ रकम हरिजनों और आदिवासियों के होस्टल्स के लिये रखी गई है। आज यह देखा जाता है कि जब हरिजन अपनी बातें, दिक्कतें और तकलीफें रखने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार का ऐसा वातावरण बनता है कि हरिजन तो अपनी उन सब सुख सुविधाओं को, जो विधान में उन्हें सुख-सुविधाएं दी हैं उनको हमेशा के लिये कायम रखना चाहते हैं, अब उनकी हालत सुधर गई है फिर भी उन सुविधाओं को हमेशा के लिये कायम रखना चाहते हैं; आज आम तौर से यह वातावरण देखने को मिलता है।

मैं जहां तक जानता हूँ हरिजन इस कहने से अब उकता गये हैं, यह हांसली उनके गले में है इससे उनकी गर्दन बोझिल हो गई है और वे नहीं चाहते कि अब इसे और पहने रहें। पर एक बात देखने की है कि इतने लाख रुपये हरिजन होस्टल्स खोलने के लिये रखे, इसकी क्या जरूरत है ? आप अलग हरिजन होस्टल्स मत खोलिये। जितने कॉलेजेज हैं, उन कॉलेजेज के होस्टल्स हैं उन होस्टल्स में ही हरिजन विद्यार्थियों को स्थान दीजिये। अलग होस्टल्स क्यों खोल रहे हैं ? अगर आप हरिजन छात्रों के लिये अलग होस्टल्स खोलेंगे तो अस्पृश्यता और भेदभाव इसी तरह बने रहेंगे। इसलिये अलग होस्टल्स नहीं खोलने चाहिये, जो होस्टल्स अभी हैं उन्हीं में इन छात्रों को स्थान दिया जाना चाहिये। जयपुर का मेडिकल कॉलेज है, महाराजाज कॉलेज है, इनके जो होस्टल्स हैं उनमें राजस्थान के मन्त्रीगण जाकर देखें, इन होस्टल्स में हरिजनों के कितने लड़के हैं। हरिजनों का चांदपोल के बाहर झोंपड़ियों में होस्टल खुला हुआ है। मनु महाराज ने शहरों को बस्ती से दूर, ग्रामों से अलग बाहर जिस प्रकार रहने के लिये स्थान रखे थे आप भी ठीक उसी प्रकार रखना चाहते हैं।

मैं राजस्थान सरकार को नम्रता पूर्वक सुझाव देना चाहता हूँ कि हरिजनों के लिये पृथक् स्कूल्स, होस्टल्स बिल्कुल नहीं खोले जायं, जो सरकारी होस्टल्स और स्कूल्स हैं, कॉलेजेज़ हैं, उन्हीं में इनको स्थान दिया जाय। मैं तो यह चाहता हूँ कि अगर एक होस्टल के एक कमरे में ४ बैड्स हैं तो उस कमरे में दो हरिजन छात्र और दो सवर्ण छात्र रखे जायं और अगर किसी कमरे में दो बैड्स हैं तो उसमें एक हरिजन और एक सवर्ण छात्र को रखा जाय।

(श्री अमृतलाल यादव)

तो इस दिशा में जो रुपया रखा है, उसके लिये मैं राजस्थान सरकार का आभारी हूँ, राजस्थान सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उसने हरिजनों का ध्यान रखा है और रुपयों में उत्तरोतर अधिक प्रोविजन किया है, पर मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा खास लक्ष्य क्या है, इस ओर भी हमें खास तौर से ध्यान रखना होगा। तो जो हमारा खास लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि अलग होस्टल्स न खोले जायं।

मैं मानता हूँ कि यह हमारी राजस्थान सरकार की विशेषता है कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य रखे, राजस्थान सरकार गोल (goal) तक पहुंचने का लक्ष्य पूरा कर रही है, उसी तरह समाज कल्याण की ओर भी हमारा यही लक्ष्य होना चाहिये। इसमें हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम इस प्रकार के प्रयत्न नहीं करें कि अस्पृश्यता और भेदभाव बने रहें, बल्कि हमें इस प्रकार के प्रयत्न करने हैं कि अस्पृश्यता और भेदभाव मिट जायं। इस १० साल में हमें यह लाना है। यह नहीं ला सके तो हमारे लिये, हमारे देश के लिये कहां तक शोभा की बात हो सकती है ? तो मैं बहुत जोरों से राजस्थान सरकार को यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ समाज कल्याण और हरिजन आदिवासी सुधार के लिये रकम रखी है, उसको रख कर इस तरह से खर्च करने की व्यवस्था हो कि जिसमें पृथकता की बात नहीं आये। हरिजनों में भी ऐसे प्रोमिझिंग स्टुडेन्ट्स हो सकते हैं कि उनको मौका मिले, सुविधा मिले तो वे देश के होनहार-नौ-निहाल हो सकते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने उनके लिये विशेष छात्रवृत्तियों का प्रोविजन रखा है; पर दो आने, चार आने की जगह अच्छा प्रोविज़न हो।

इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बात नहीं आई, वह मुझे अखरी है, उस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज हमारा देश सेक्युलरिज्म को मानता है, हमारा राजस्थान प्रान्त भी उसका अंग है। इसमें माइनोरिटी, हरिजन, मुसलमान, आदिवासी आदि रहते हैं, उनके साथ समान बर्ताव का, नौकरी एक खास बात है, एक माध्यम है। नौकरी में साढे बारह प्रतिशत हरिजन आदिवासियों के लिये सुरक्षित स्थान कर दिये हैं, पर इसकी पूर्ति हुई कि नहीं; इसको देखना बहुत आवश्यक है। मैं राजस्थान सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि वह एक कमेटी मुकर्रर करे और देखे कि नौकरियों में जो इनके लिये साढ़े बारह प्रतिशत सुरक्षित स्थान रखे हैं, वह पूरा हुआ है कि नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी है। यह केवल हरिजन आदिवासियों के लिये ही देखना जरूरी नहीं, यह मुस्लिम्स और दूसरों के लिये भी देखना जरूरी है। महिलाओं के लिये भी यह देखना जरूरी है कि उनको प्रोपर रिप्रेजेन्टेशन मिलता है या नहीं। इसी तरह से मुसलमानों के लिये भी देखना जरूरी है, जो लोग सर्विस में हैं आया वे जितने उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में हैं या नहीं। इस बात को भी देखना चाहिये क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और हर एक को समान व्यवहार देने से इसका बहुत बड़ा

(श्री अमृतलाल यादव)

असर पड़ता है। इसके अलावा हमारी सरकार को इस बात को भी देखना जरूरी है कि सर्विसेज़ में जिन जिन लोगों के लिये जो जो लक्ष्य मुकर्रर किये हैं उनकी पाबन्दी होती है या नहीं और इसमें माइनोरिटी कॉम्युनिटीज़ को इन्साफ मिलता है या नहीं ? सरकार को इन माइनोरिटी कॉम्युनिटीज़ के लोगों को इसके लिये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है।

आज–कल हमारे यहां प्रान्तीय सर्विसेज़ के इम्तिहान होते हैं; जैसे आर. ए. एस. आई. ए. एस., सब इन्सपेक्टर्स आदि । मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत से आदिवासी लड़के भी इम्तिहान में बैठते हैं, कई हरिजन भी बैठते हैं। वे रिटन टैस्ट में तो पास हो जाते हैं मगर ओरल इम्तिहान में फैल हो जाते हैं। इसलिये मैं सदन का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि ओरल टैस्ट में उनको फैल कर दिया जाता है। यह क्यों, इस बात को देखने की जरूरत है। उनके लिये पर्सोनेलिटी, वेल मेनर्ड, वेल ड्रैस्ड आदि की बातें कही जाती हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनमें पर्सोनेलिटि व वैल ड्रैस्ड आदि की बात जज लोग बताते हैं और उनको फैल कर देते हैं। मैं यह कहूँगा कि उसकी पर्सोनेलिटी किस तरह से ठीक हो सकती है व किस प्रकार से वह वैल मेनर्ड और वैल ड्रैस्ड हो सकता है ? वह बेचारा भूखा-नंगा गरीब दूर से आया है। अन्डर फैड और अन्डर क्लोथ्ड होते हुए भी किसी तरह से उसने अपनी भुखमरी और गरीबी से लड़ते-लड़ते पढ़ाई की और रिटन टैस्ट पास भी किया है। इस बात को हमें देखना चाहिये कि उसने रिटन टैस्ट पास किया है और पढ़ाई किस हालत में की है। अगर राजस्थान सरकार इस बात को देखेगी तो उसे मालूम होगा कि कितने लोगों ने आई. ए. एस., आर. ए. एस., आर. पी. एस. के लिये एप्लाइ किया और कितनों ने रिटन टैस्ट पास किया और कितने फैल हुए और किस वजह से वे लोग फैल हुए, तो आपको यह सब मालूम होगा कि रिटन टैस्ट में वे पास हुए हैं और ओरल टैस्ट में फैल हुए हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि पी. एस. सी. में इनके लिये होम मिनिस्ट्री के आदेश हैं और इनके लिये प्रोविजन है कि they may consider their cases. उसका भी कोई कन्सीडरेशन हुआ है या नहीं, यह देखने की बात है। इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह सुविधा भी उनको दी जानी चाहिये। अगर यह मिलती रही तो जो रकम हमने उनके लिये रखी है उसका सदुपयोग होगा और वे लोग भी उन्नति करके राजस्थान के गौरव को आगे बढ़ावेंगे और राजस्थान के लिये वह एक गौरव की बात होगी।

इसके अलावा मैं, राजस्थान सरकार ने जो रोड़वेज़ में बसेज़ सर्विस का राष्ट्रीयकरण किया है, हालांकि अभी वह पूर्णरूप से अमल में नहीं आया है उसके लिये राजस्थान सरकार को बधाई देता हूँ। हमें उम्मीद करनी चाहिये कि यह कार्य तेजी से अमल में आएगा।

इसके अलावा हमारे यहां विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य के बारे में दो वर्ष पहले सोचा गया था और उसको पिछले साल से शुरू किया। इसको अब इतना अर्सा हो गया है

(श्री अमृतलाल यादव)

और यह इतना सफल हुआ है कि कई स्टडी टीमें इसको देखने के लिये आई हैं और दूसरे लोगों ने भी इसको स्टडी किया है । हम लोग भी कई स्थानों पर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें सफलता मिली है । मैं राजस्थान सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि इस बार जो पंचायतों के चुनाव हुए वे बड़े शांतिमय तरीकों से हुए और इतने थोड़े समय में जितने अच्छे तरीकों से उनको किया गया है उसके लिये वास्तव में हमारी राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है और इससे ज्यादा बधाई की पात्र इसलिये है कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि जिन पंचायतों के चुनाव सर्व सम्मति से होंगे उनको राजस्थान सरकार अधिक रकम देगी, रुपया भी उधार देगी और दूसरी भी सुविधाएं देगी । इससे राजस्थान सरकार की मंशा यह थी कि चुनावों के समय लोगों में आपस में किसी प्रकार के झगड़े न हों और चुनाव सर्व सम्मति से हों, ताकि कटुता और राग–द्वेष न बढे । जब लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं तो उससे कटुता और राग द्वेष बढ़ता है । इसलिये राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की घोषणा करके यह साबित कर दिया कि यह हमारी वास्तव में जन–कल्याणकारी सरकार है जिसने यह बात रखी और जिसकी वजह से लोगों को एक प्रेरणा मिली और कई जगह हमारे चुनाव सर्व सम्मति से हुए । लोगों ने इस घोषणा का लाभ उठाया ।

इसके अलावा हमारे यहां इसमें क्रांतिकारी चेतना आ रही है ये सब शुभ लक्षण हैं । कुछ जगह झगड़े भी हुए । मगर ज्यादातर चुनाव शांति से संपन्न हुए । राजस्थान की जनता ने कई स्थानों पर ७५ प्रतिशत, ७६ प्रतिशत मत-दान दिये और कई स्थानों पर ९० प्रतिशत से लगाकर ९५ प्रतिशत तक लोगों ने मत दिये । इसलिये राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में क्रांतिकारी कदम उठाया और जिसके लिये शंकाएं और तरह तरह की आपत्तियें उठाई गई थीं उन सब को निर्मूल साबित किया । इसके लिये मैं राजस्थान सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । अगर सरकार जनता के प्रतिनिधियों से मिलजुल कर नहीं चलती, अगर राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में समय समय पर सावधान नहीं रहती और विकास का अवसर नहीं देती और सुविधाएं नहीं देती तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह योजना सफल नहीं होती । मगर जिस तरह से राजस्थान सरकार ने इस योजना को उठाया उससे ज्यादा इसको चलाने में सरकार ने सहयोग दिया । इसके लिये हमारे राष्ट्र नायक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ने राजस्थान के विकेन्द्रीकरण की प्रशंसा की है । उन्होंने ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों की टीम जो आई थी उन्होंने तो यहां तक कहा है, उसकी दो लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा :

"We can only say that Rajasthan may show the way to other States in as much as how the official class has adopted itself without any mental reservation to the changed circumstances and how the people as a whole re acted favourably to the bold undertaking launched in this State a year before."

ये मेरे शब्द नहीं हैं । ये शब्द संसद के माननीय सदस्यों के हैं जिन्होंने राजस्थान के

(श्री अमृतलाल यादव)

विकेन्द्रीकरण के लिये कहा है और हमारे लिये यह बड़ी गर्व की बात है और इसके लिये हमें हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ यह देखने को बात जरूर है और यह देखने में आती है कि आज जो एक नीचे से उठ कर, धरती में से उठ कर जो जनप्रतिनिधि आ रहा है वह चुनावों के सिस्टम से चुन कर आता है उसमें और सरकारी अफसर हैं, सब नहीं, किसी किसी में यह हो सकता है कि वे यह महसूस करते हैं कि उनके अधिकारों पर एक तरह का हनन सा हो रहा है और वे इस बात को महसूस करते हैं कि क्या हम सरपंच, या पंच या जिला परिषद् के प्रमुख के नोकर हैं? कहीं कहीं यह अभाव देखने को आता है। कहीं कहीं प्रमुख और जिलाधीश में झगड़ा हो जाता है; कहीं कहीं प्रधान आदि B. D. O. में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि राजस्थान सरकार इस विषय में भी लगातार ध्यान रखती रहे तो इस दिशा में जितना सरकार ने नाम कमाया है वह न केवल टिकेगा बल्कि जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करेगा।

इसके अलावा मैं राज्यपाल महोदय के भाषण में जो महत्वपूर्ण बात विशेष योग्यता वेतन (स्पेशल मेरिट पे) पर देने का प्रावधान किया गया है उसके लिये राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि एक आदमी को कार्य करने के लिये इन्सेन्टिव होना चाहिये।

इसके अलावा चारों तरफ से यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार है। मैं यह कहूँगा कि भ्रष्टाचार पुकारने वाले यह नहीं सुझाव देते और यह नहीं कहते कि हम अपना यह सुझाव देते हैं कि इस तरह से करने से यह समाप्त हो सकता है और देश की प्रगति हो सकती है।

आज हम सब लोगों को यही सुनने में आता है कि सरकार टैक्स पर टैक्स लगाती है, मगर सिद्धान्त यह है कि "No representation without taxation." इसके लिये पंचायतों को भी टैक्स लगाना है। लेकिन जब टैक्स लगाया जाता है तो यह कहा जाता है कि यह सरकार टैक्स पर टैक्स लगाती जाती है और मंहगाई बढ़ती जाती है। जब यह बात अफसरों को चारों तरफ से सुनने को मिलती है तो वे परेशान हो जाते हैं। इसलिये सरकार ने यह जो स्पेशल मेरिट का प्रोविज़न रखा है इससे यह होगा कि जो लोग अच्छा और इमानदारी से काम करेंगे उनकी सर्विसेज़ एप्रीशियेट होगी। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति के पदक अभी मिले हैं, उसमें हमारी पुलिस के दो अधिकारी थे और हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव हैं उनको भी पद्म श्री की उपाधि मिली है। वह इसलिए नहीं मिली कि वह सरकार के मुख्य सचिव हैं, बल्कि वह इसलिए मिली कि उनकी सेवाओं को एप्रिशियेट किया गया जो कि उन्होंने देश के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार में रह कर की। यह इस बात का द्योतक है कि राज्य कर्मचारियों में भी ऐसे लोग हैं जो देश के विकास के लिए तत्पर हैं और चाहते हैं विकास सच्चे दिल से करें। इसलिए इस प्रकार के लोगों को एक इन्सेन्टिव, एक प्रेरणा राज्य सरकार ने देने के लिए रखा है वह एक खुशी की बात है।

(श्री अमृतलाल यादव)

विशेष टैक्निकल योग्यता वाले ५५ साल के व्यक्तियों के रिटायरमेन्ट की बात थी, उस को ५८ साल और जरूरत पड़ने पर ६० साल कर दी है। मैं राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में सावधान करना चाहता हूँ कि इसका सदुपयोग हो, यह देखें कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो जाय। आज हमारे देश में और हमारे प्रान्त में टैक्निकल शिक्षा बढ़ रही है। यदि हमको एडवर्टाइज़मेन्ट से उस व्यक्ति से अधिक योग्य व्यक्ति मिल जाय तो उस बुढे व्यक्ति को ५५ साल और ५८ साल से अधिक रखने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी जिन्दगी में अधिक कमा लिया है। जो एक नया नौजवान है, पढ़—लिख कर आया है, जिसके बीबी—बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई है, उसने यदि विशेष योग्यता प्राप्त की है तो उसको मौका मिलना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ यह जरूर निश्चय हो कि ऐसे व्यक्ति की यदि आवश्यकता हो और जिसको दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस नहीं किया जा सकता हो तो उसको रखा जाना चाहिये। यह प्रोविज़न जो किया गया है वह अच्छा है कुल मिला कर, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह बात भी राजस्थान सरकार के नोटिस में लाना चाहता था।

शिक्षा का मोटा सवाल हमारे सामने आता है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। यह बात सही है कि जो मैं यह शिक्षा क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हेतु कह रहा हूँ वह बमुकाबले दूसरे प्रान्तों के नहीं कह रहा हूँ। लेकिन राजस्थान में पांच साल पहले की स्थिति के मुकाबले कहता हूँ। पहले कन्या को पढ़ाना उतना महत्व नहीं रखता था और उनको पढ़ने के लिये भी नहीं भेजा जाता था। राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की कि अधिक से अधिक कन्याओं को भी शिक्षा मिले।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति महोदय, वक्ता महोदय यहां पढ़ते पढ़ते पीछे के पन्ने पलट रहे हैं और यह स्थिति रही तो काफी समय लग जायगा....

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय, मुझे समय की सीमा भी मालूम है, मैं जल्दी ही खत्म करूंगा और जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे अपनी बात कहने का हक है। माननीय सदस्य मुझे सहूलियत देंगे कि मैं जल्दी ही खत्म करूं।

तो मैं शिक्षा के लिए कह रहा था। ६ प्रतिशत से बढ़ कर १७ प्रतिशत तक स्कूल जाने वाली कन्याओं का पर्सेन्टेज बढ़ा है। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि जब लड़का पढ़ता है तो एक लड़का ही सुधरता है लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो एक घर की जगह दो घर सुधरते हैं। कन्याओं को पढ़ाने का राजस्थान सरकार ने जो ध्यान दिया है वह श्लाघनीय है, लेकिन इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

पोलीटैक्निक, दो इन्जीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और खोलने के लिए प्रावधान है किन्तु पोलोटैक्निक एवं अन्य शिक्षणों के लिए छोटे—मोटे विद्यालय और खोलेंगे और खुले हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वे कम साधनों और कम खर्चे में खुलते हैं। उनका उपयोग आज

(श्री अमृतलाल यादव)

होता है। उनमें नौजवान अधिक काम कर सकते हैं। अलग अलग जगहों में अधिक खोलें यह राजस्थान सरकार से मेरा आग्रह है।

कुल मिला कर माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में काम किये हैं और खास कर इस साल में काम किये हैं और जिनके बारे में हमारे सामने राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भी उल्लेख किया है उन अचीवमेन्ट्स के बारे में, मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है और मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उन लक्ष्यों को पूरा किया गया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च के लिए जो रकम रखी है उसको उसी उत्साह से कायम रखेगी। जो स्पिरिट है उसको कायम रखते हुए राजस्थान सरकार ने जो लक्ष्य रखे हैं समाजवादी समाज की रचना के और देश और हमारे प्रान्त से गरीबी को मिटाने के, उनको पूरा किया है। मैं राजस्थान सरकार को और राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण किया उसके लिए बधाई देते हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : I think the time is over.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अभी दो–तीन मिनिट बाकी हैं, क्यों नहीं उनका उपयोग किया जाय ?

एक माननीय सदस्य : अगली बार बोलने का वे अपना राइट रिजर्व करना चाहते हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान विधान सभा में हर बार हर सेशन में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। यह अभिभाषण अब राज्यपाल महोदय करते हैं और उससे पहले राजप्रमुख महोदय करते थे; दोनों के आने–जाने और बोलने–करने में और नीति निर्धारण और भाषण देने में सिवाय पर्सोनेलिटीज़, व्यक्तियों के बदलने के और कोई अन्तर पड़ा हो, यह मैं नहीं मानता हूँ। विधान सभा सम्भवत: राजस्थान की भाग्य निर्णायक है और यह सच है कि राज्यपाल या राजप्रमुख के अभिभाषण में कोई नयी बात होगी; लेकिन नयी बात न होकर यह तो केवल एक ढर्रा बनता जा रहा है, नवीनता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसमें आकर्षण भी नहीं है, वह आप स्वयं ही देख रहे हैं। उनकी कितनी रुचि थी और अब बहस में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों में भी कितनी रुचि है, यह एक स्वयम् सिद्ध बात है।

जहां तक मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरा यह ख्याल है कि यहां पर राज्यपाल के लिए हमारी असेम्बली में काफी कहा गया था और विधान सभा की पी. एस. सी. ने भी सिफारिश की थी और कहा था और यह निर्विरोध रूप से कहा था कि यह संस्था है वह हमारे एक्सचेकर के लिए बर्डन है और यह नहीं कह सकता कि कोई नयी तरक्की हुई हो राज्यपाल की नियुक्ति और भाषणों के द्वारा।

उन तथ्यों को देखते हुए यदि कोई

(श्री तनसिंह)

नवीनता होती तो मैं कुछ कह सकता था। अब यह ऐसा सधा–सधाया भाषण है जिसमें बहुत सी बातें हैं। पहली बात, जिसका सबसे पहले उल्लेख किया गया है, बेलेन्स ऑफ बजट का। मेरा निवेदन है कि बजट की स्थिति राजस्थान में इतनी पोलम–पोल में है कि सरकार के घाटे का बजट बचत का बजट बन जाता है और बचत का बजट घाटे का बन जाता है। डिमान्ड्स में अधिकांश सरेन्डर होती हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह तो अर्थ मंत्रीजी की करामात है।

श्री तनसिंह : पहले पहल मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ वह है हमारी अपनी आमदनी और खर्चे का....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The time is up, Sir.

श्री सभापति (श्री रामप्रसाद लड्ढा): Time is over now. We now adjourn to meet on 27th Febuary, 1961 at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बज कर २ मिनट पर, २७ फरवरी, १९६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिये, स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
उद्योग प्रावैधिक प्रशिक्षण केन्द्रों में हरिजनों को प्रशिक्षण की सुविधायें।	२	केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में जयपुर शहर में गिरफ्तार-शुदा व्यक्ति।	
ग्रामों में मकानों पर लगाये जाने वाले टीन के नम्बर।		महाराजाज कॉलेज, जयपुरमें केमिस्ट्री के लेक्चरार श्री त्री. सी. त्रैराठी की नियुक्ति।	
स्कूलों व कॉलेजों में अनुशासन पद्धति की व्यवस्था।		पंचायत मोटेर, तहसील नोहर, द्वारा विभाग में बजट पेश नहीं किया जाना।	
पंचायत समिति नादोती, मुख्यालय बामनवास द्वारा तकावी की धन-राशि का दुरुपयोग।		अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों द्वारा स्पेशल सेक्रेटरी, नियुक्ति विभाग को प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही।	
भादरा में स्पेशल टाइप थर्ड क्लास लॉक-अप का निर्माण कार्य।		समाज कल्याण विभाग में आदि-वासी एवं हरिजन जाति के नियुक्त किये गये व्यक्ति।	
ग्राम गंडाल (सवाई माधोपुर) के स्कूल भवन का निर्माण।		हाई स्कूल की गृह विज्ञान व्यव-हारिक परीक्षा।	
धौलपुर क्षेत्रान्तर्गत पार्वती नदी का मछली पकड़ने का ठेका।		सोजत के पावटा चौक में युवक द्वारा आत्म-हत्या।	
राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, धौलपुर में अध्यापिकाओं का अभाव।		इन्सपेक्टोरेट, जयपुर-पूर्व के क्राफ्ट प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक।	

झुंझुनूं सिनेमाघर के पास वाले हरिजनों के मोहल्ले के कुंए की मरम्मत हेतु प्रदत्त धन राशि का दुरुपयोग।

सहकारी सम्बन्धित नीति के अनुसार सेवा सहकारी समितियों का गठन।

भिलाड़ा तहसील के पीपाड़ ग्राम में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की मांग।

ग्राम धोबलाई (आमेर) की संस्कृत पाठशाला।

रानी विकास खण्ड में पशु-चिकित्सालय खोलने की मांग।

सी० आई० डी० की महिला पुलिस।

भरतपुर में स्थापित किया जाने वाला जिला पुस्तकालय।

बीकानेर शहर के कॉलेजों में वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षायें खोला जाना।

कोटपुतली के स्कूल भवनों का निर्माण विभाग के सुपुर्द करना।

हिन्दी तथा संस्कृत परीक्षाओं को राज्य सेवा हेतु दी गई मान्यतायें।

गृह मन्त्री के समक्ष डकैतों द्वारा आत्म-समर्पण।

उनियारा स्थित गांधी पुस्तकालय।

खानपुर हाई स्कूल में फर्नीचर का अभाव।

२—सदस्य की मृत्यु पर शोक प्रकट ६५

स्वर्गीय श्री सज्जनसिंह, सदस्य, विधान सभा, के असामयिक निधन पर सदन के नेता तथा श्री रघुवीरसिंह जावली ने शोक प्रकट किया। माननीय अध्यक्ष ने भी अपनी तथा सदन की ओर से संवेदना प्रकट की। तत्पश्चात् सदस्यों ने दो मिनट खड़े होकर मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा सदन की कार्यवाही आध घंटे के लिये स्थगित की गई।

सभा की कार्यवाही १२-५५ बजे पुनः प्रारम्भ हुई

३—औचित्य प्रश्न ६८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचा-

लन की नियमावली के नियम २९४ के अन्तर्गत यह औचित्य प्रश्न उठाया कि:—

(१) क्या राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद १७४ (१) के अन्तर्गत दी गई आज्ञा का अविलंघन किया जा सकता था, जब कि उनकी आज्ञा दिनांक २०-१२-६० के अनुसार विधान सभा के सदस्य २२ फरवरी, १९६१ को प्रातः ११ बजे सवाई मानसिंह टाउन हाल में उपस्थित हो गये थे ?

(२) क्या सत्रावसान का आदेश जारी किये बिना संविधान की धाराओं के अन्तर्गत विधान सभा का अधिवेशन बुलाने का दूसरा आदेश दिया जा सकता है ?

(३) क्या राजभवन में आयोजित बैठक वैधानिक है ?

(४) क्या राज्यपाल के अभिभाषण को अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा जाना संविधान के अनुच्छेद १७६ (१) के अनुकूल है ?

(५) अगर अध्यक्ष महोदय द्वारा पढे जाने के कारण राज्यपाल के अभिभाषण को संविधान के अनुच्छेद १७५ के अन्तर्गत माना जाय तो क्या संविधान के अनुच्छेद १७६ (१) की पूर्ति किये बिना अनुच्छेद १७६ (२) के अन्तर्गत इस पर सदन में वाद-विवाद वैधानिक है ?

(६) क्या ऐसी स्थिति में सदन की आज की बैठक वैधानिक है ? इस विषय पर ९ सदस्यों के अतिरिक्त विधि मंत्री एवं एडवोकेट जनरल ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

अध्यक्ष महोदय ने श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के उपरोक्त प्रश्न को अस्वीकार करते हुए सदन को यह सूचित किया कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही की गई है वह संविधान के अनुकूल है।

४–सभापति-तालिका १३२

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम ९ के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्य सभापति तालिका के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किये गये:—

(१) श्री आबिद अली।

स्कम्भ स्कम्भ

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(३) श्री रामप्रसाद लड्ढा।

(४) श्री बी० एन० जोशी।

५–सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण १३३

सचिव, विधान सभा, ने दिनांक २३ फरवरी, १९६१ को दिए गए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण १३३

सचिव, विधान सभा, ने गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, सदन की मेज पर रखा:—

वे विधेयक, जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है:—

1. The Rajasthan Land Reforms and Resumption of jagirs (Thirteenth Amendment) Bill, 1960.

२. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६०

3. The Rajasthan Housing Schemes (Land Acquisition) Bill, 1960.

4. The Essential Commodities (Rajasthan Amendment) Bill, 1960.

5. The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1960.

वे विधेयक, जिन पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है:—

1. The Rajasthan Animal Diseases Bill, 1960.

2. The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill, 1960.

3. The Jaipur Municipality Administration (Temporary Provisions) Bill, 1960.

4. The Rajasthan Agricu-

ltural Land Utilisation (Amendment) Bill, 1960.

5. The Rajasthan Land Revenue and Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1959.

6. The Rajasthan Pensions (Amendment) Bill, 1960.

7. The Rajasthan Holdings and Consclidation Operation Validating Bill, 1960.

8. The Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition (Amendment) Bill, 1960.

9. The Rajasthan Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1960.

10. The Rajasthan Prisoners Bill, 1960.

11. The Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill, 1960.

अध्यादेश १३५

निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये:—

(१) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १०, १६६०),

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या ६, १६६०),

(३) राजस्थान पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या ११, १६६०),

(४) राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १२, १६६०),

(५) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १३, १६६०),

(६) राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १५, १६६०),

(७) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १८, १६६०),

(८) राजस्थान पंचायत (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १६६०

(अध्यादेश संख्या १६, १६६०),

(६) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १४, १६६०),

(१०) मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १७, १६६०),

(११) राजस्थान निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या ८, १६६०),

(१२) राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या १६, १६६०),

(१३) राजस्थान टिनेंसी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या २१, १६६०)

(१४) राजस्थान म्युनिसिपल कर वैधकरण अध्यादेश, १६६० (अध्यादेश संख्या २०, १६६०), तथा

(१५) पाली नगरपालिका के प्रशासन की नियुक्ति वैधकरण अध्यादेश, १६६१ (अध्यादेश संख्या १, १६६१)।

नियम १३७

निम्नांकित नियम सदन की मेज पर रखे गये:—

(१) होम (ब) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (७) ।१। एच. बी.। जी. आर. ।१।५६, दिनांक १४ अक्टूबर, १६६० जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम १६५१ के नियम १०७, १०८, १०६ व ११० में संशोधन किये गये हैं, तथा,

(२) होम (बी-१) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) (१४) एच. बी. जी. आर. १।६० दिनांक १६ अगस्त, १६६० जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज (डेवलपमेंट) नियम, १६६० प्रकाशित किए गए हैं।

(यह अधिसूचना गत सत्र में दिनांक ८ सितम्बर, १६६० को सदन की मेज पर रखी गई थी निन्तु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी कियमों के नियम १६६ (२) के अनुसार उल्लिखित कालावधि पूरी

न होने के कारण इसे पुनः सदन की मेज पर रखा गया) ।

६–कार्य सलाहकार–समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १३७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, ने कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee) के अठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

७–विधायी कार्य–शासकीय विधेयक

निम्नांकित विधेयक पुरः स्थापित किए गए:— १३८

(१) राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन तथा विस्तार) विधेयक, १९६१,

(२) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६१ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित),

(३) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६१,

(४) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१,

(५) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६१ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित),

(६) राजस्थान निष्क्रान्त-हित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६१, (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित),

(७) राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६१,

(८) मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६१, (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित),

(९) राजस्थान मोटर गाड़ी कर (संशोधन) विधेयक, १९६१,

(१०) राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १९६१, (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित),

(११) राजस्थान कसर भौम उत्पादन विधेयक, १९६१,

(१२) पाली नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १९६१, (अध्यादेश

जारी करने के कारणों के विवरण सहित), तथा

(१३) राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १९६१ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित)।

८–कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार १४१

निम्नांकित प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"।

९–राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद–विवाद १४१

(१) श्री बृजमोहनलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा, ने राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक २३ फरवरी, १९६१ को दिए गये अभिभाषण पर निम्नलिखित शब्दों में धन्य-वाद-प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक विधान सभा के समक्ष दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

(२) श्री अमृतलाल यादव, सदस्य विधान सभा ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री तनसिंह उपरोक्त प्रस्ताव पर अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे सोमवार दिनांक २७ फरवरी, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६१ की कार्य–सूची

१. मारवाड़ विवाह–निधि प्रशासक विधेयक, १९६० (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)।

२. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर देखिये)

LIST SHOWING CENTRES DIRECTLY RUN BY THE INDUSTRIES DEPARTMENT

S. No.	Name of Place	Distt.	No. of entres.	No. of ctrainees.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Beawar	Ajmer	2	29	
2.	Bikaner	Bikaner	1	9	
3.	Sikar	Sikar	1	11	
4.	Kotah	Kotah	1	18	
5.	Ajmer	Ajmer	3	21	
6.	Tonk	Tonk	1	20	
7.	Jodhpur	Jodhpur	2	15	
8.	Jaipur	Jaipur	2	17 + 11	
9.	Abu Road	Sirohi	1	Not admitted so for	
			14	140 + 11=151	

LIST SHOWING CENTRES RUN BY VARIOUS PANCHAYAT SAMITIES

1	2	3	4	5	6
1.	Jobner	Jaipur	7		
2.	Bandikui	,,	5		
3.	Phagi	,,	4		
4.	Jaipur	,,	6		
5.	Sanganer	,,	4		
6.	Govindgarh	,,	4		
7.	Bassi	,,	4		
8.	Bairath	,,	5		
9.	Sikrai	,,	2		
10.	Shahpura	,,	4		
11.	Udaipurvati	Jhunjhunu	4		
12.	Surajgarh	,,	3		
13.	Chirawa	,,	4		
14.	Nawalgarh	,,	4		
15.	Neem Ka Thana	Sikar	4		
16.	Lachmangarh	,,	4		
17.	Sri Madhopur	,,	5		
18.	Danta Ramgarh	,,	4		
19.	Nadoti	Sawai Madhopur	4		
20.	Todabhim	,,	4		
21.	Karauli	,,	4		
22.	Mahuya	,,	5		
23.	Gangapur	,,	4		
24.	Sawaimadhopur	,,	5		

1	2	3	4	5	6
25.	Hindaun	Sawai Madhopur	5		
26.	Malpura	Tonk	4		
27.	Tonk	,,	3		
28.	Toda Raisingh	,,	3		
29.	Pisangan	Ajmer	11		
30.	Bhinai	,,	5		
31.	Srinagar	,,	5		
32.	Kishangarh	,,	4		
33.	Masuda	,,	4		
34.	Kekri	,,	5		
35.	Jawaja	,,	2		
36.	Tanagazi	Alwar	4		
37.	Tijara	,,	4		
38.	Rajgarh	,,	2		
39.	Bansur	,,	1		
40.	Kishangarh Bas	,,	3		
41.	Govindgarh	,,	4		
42.	Mandawar	,,	3		
43.	Kotkasim	,,	5		
44.	Rajakhera	Bharatpur	4		
45.	Baseri	,,	3		
46.	Rupbas	,,	5		
47.	Nagarpahari	,,	4		
48.	Nadbai	,,	4		
49.	Kumbher	,,	4		
50.	Jodhpur	Jodhpur	5		

1	2	3	4	5	6
51.	Bhopalgarh	Jodhpur	4		
52.	Osian	,,	3		
53.	Bilara	,,	4		
54.	Sankara	Jaisalmer	5		
55.	Bhinmal	Jalore	3		
56.	Ahore	,,	6		
57.	Sagla	,,	4		
58.	Sanchore	,,	3		
59.	Shiv	Barmer	4		
60.	Siwana	,,	5		
61.	Balotra	,,	6		
62.	Guimlan	,,	1		
63.	Makrana	Nagaur	3		
64.	Kuchaman	,,	4		
65.	Laduu	,,	3		
66.	Degana	,,	5		
67.	Deedwana	,,	4		
68.	Jayal	,,	5		
69.	Sojat	Pali	4		
70.	Raipur	,,	5		
71.	Desuri	,,	6		
72.	Rani	,,	3		
73.	Kharchi	,,	4		
74.	Sumerpur	,,	5		
75.	Bali	,,	7		
76.	Abu road	Sirohi	5		

1	2	3	4	5	6
77.	Pindwara	Sirohi	5		
78.	Sirohi	,,	5		
79.	Relmagra	Udaipur	2		
80.	Gogunda	,,	7		
81.	Dhariwad	,,	5		
82.	Kotra	,,	5		
83.	Amet	,,	6		
84.	Kumbalgarh	,,	3		
85.	Girwa	,,	4		
86.	Khamnor	,,	5		
87.	Mavli	,,	3		
88.	Rajsamand	,,	5		
89.	Badgaon	Udaipur	5		
90.	Gogunda	,,	–		
91.	Bhindar	,,	1		
92.	Sagwara	Dungarpur	3		
93.	Aspur	,,	3		
94.	Simalwara	,,	3		
95.	Dungarpur	,,	4		
96.	Bi chwara	,,	2		
97.	Kapasin	Chittorgarh	5		
98.	Nimbahera	,,	5		
99.	Chittorgarh	,,	5		
100.	Pratapgarh	,,	4		
101.	Beagun	,,	3		

1	2	3	4	5	6
102.	Bashmi	Cittorgarh	5		
103.	Kushalgar	Banswara	5		
104.	Garhi	,,	4		
105.	Ghatol	,,	5		
106.	Bagidora	,,	3		
107.	Bhindar	,,	1		
108.	Mandal	Bhilwara	2		
109.	Asind	,,	1		
110.	Kotri	,,	5		
111.	Jahajpur	,,	5		
112.	Mandalgarh	,,	5		
113.	Shahpura	,,	5		
114.	Itawa	Kotah	2		
115.	Shahbad	,,	4		
116.	Atru	,,	3		
117.	Baran	,,	4		
118.	Antah	,,	7		
119.	Ladpura	,,	5		
120.	Hindoli	Bundi	4		
121.	Talera (Bundi)	,,	5		
122.	Khanpur	Jhalawar	4		
123.	Jhalarapatan	,,	4		
124.	Manoharthana	,,	4		
125.	Nokha	Bikaner	4		
126.	Kolayat	,,	4		

1	2	3	4	5	6
127.	Padampur	Ganganagar	4		
128.	Suratgarh	,,	2		
129.	Raisinghnagar	,,	6		
130.	Hanumangarh	,,	3		
131.	SriKaranpur	,,	5		
132.	Rajgarh	Churu	4		
133.	Sardarshahar	,,	6		
134.	Dungargarh	,,	3		
135.	Pisagan	Ajmer	3		
136.	Kalwar	Jaipur	1		
137.	Kharthal	Alwar	1		
138.	Bhinmal	Jalore	1		
139.	Kanota	Jaipur	1		
140.	Kekri	Ajmer	1		
141.	Kundanpura	Jaipur	1		
142.	Bassi	,,	1		
143.	Bhinai	Ajmer	1		
144.	Jawaja	,,	1		

Total:- 563 centres

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति नादौती द्वारा तकावी के रूप में वितरित की गई धनराशि की सूची।

क्र० सं०	नाम व्यक्ति जिसको रकम दी गई	कार्य जिनके लिये दी गई	रकम
१	२	३	४
१.	श्री भौंरीलाल पुत्र श्री हजारीलाल शर्मा, बरनाला—तहसील बामनवास	बैल खरीदने हेतु	५००)
२.	श्री धीस्या टीकाराम पुत्र श्री रतनलाल मीना—बामनवास—पट्टी कलां	,, ,, ,,	८००)
३.	श्री नाराना पुत्र भोला मीना—भीलापाड़ा तहसील नादौती	,, ,, ,,	८००)
४.	श्री किशोरीलाल पुत्र श्री रामचन्द मीना—फुलवाड़ा—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	८००)
५.	श्री भवीचन्द पुत्र श्री भोलू मीना, नादौती—तहसील नादौती	,, ,, ,,	४००)
६.	श्री लाला पुत्र श्री रामफूल मीना, बामनवास पट्टी कलाँ—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	१०००)
७.	श्री फूलचन्द पुत्र किशनलाल मीना, पट्टी कलाँ बामनवास—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	८००)
८.	श्री बंजरगा पुत्र भोरया मीना, बामनवास पट्टी कलाँ—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	४००)
९.	श्री किशोरीलाल पुत्र श्री खेमचन्द मीना—बामनवास पट्टीकलाँ—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	८००)

१	२	३	४
१०.	श्री अब्दुल रहमान पुत्र कादरबख्श मुसलमान—तहसील बामनवास	बैल खरीदने हेतु	२५०)
११.	श्री माचल पुत्र श्री सांवलिया मीना, बामनवास पट्टीकलाँ—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	१,०००)
१२.	श्री मंगल पुत्र श्री चन्द्र भीला बागौर, तहसील नादौती	,, ,, ,,	४००)
१३.	श्री जगन्नाथ पुत्र श्री रामचन्द ब्राह्मण, पट्टी कलाँ—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	५००)
१४.	श्री सांवल्या पुत्र श्री नानगा भीला, बामनवास पट्टी कलाँ—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	३००)
१५.	श्री जौहरिया पुत्र श्री देवीचन्द भीला बरदाला—तहसील नादौती	,, ,, ,,	२५०)
१६.	श्री जैनारायण पुत्र श्री भूरया मीना, बानौर—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	४००)
१७.	श्री जैनारायण पुत्र श्री श्योबख्श गुजर पिपलाई—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	५००)
१८.	श्री अहमद पुत्र श्री श्वाला मुसलमान पिपलाई—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	३००)
१९.	श्री भौरया पुत्र श्री परसादी रेगर, लिवाली, तहसील बामनवास	,, ,, ,,	२००)
२०.	श्री रामसहाय, हरसहाय पुत्र श्री मांगीलाल ब्राह्मण—लिवाली—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	२००)
२१.	श्री भोला पुत्र कास्या—रेगर—लिवाली तहसील बामनवास	,, ,, ,,	२००)
२२.	श्री रामसुख पुत्र श्री शाशगा रेगर, लिवाली	,, ,, ,,	२००)

१	२	३	४
२३.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री बजरंगलाल ब्राह्मण—बरनाला—तहसील बामनवास	बैल खरीदने हेतु	२००)
२४.	श्री किशनलाल पुत्र श्री भौंरीलाल ब्राह्मण बरनाला तहसील बामनवास	,, ,, ,,	२००)
२५.	श्री जैनारायण पुत्र श्री काना चौकीदार बरनाला तहसील बामनवास	,, ,, ,,	२००)
२६.	श्री शिवल्या पुत्र गगोल्या मीना बरदाला तहसील नादौती	,, ,, ,,	२५०)
२७.	श्री कल्या पुत्र मोरकलाल मीना बरदाला तहसील नादौती	,, ,, ,,	३००)
			योग: १२१५०)
२८.	श्री सुरज्या पुत्र श्री सैदा भीला नादौली त०	मेड़ बन्दी हेतु	४००)
२९.	श्री प्रभुलाल पुत्र श्री महादेवा ब्राह्मण भांवरा तहसील नादौती	,, ,, ,,	४००)
३०.	श्री हफीजखां पुत्र गफूरखां मुसलमान पट्टी कलां बामनवास तहसील बामनवास	,, ,, ,,	१०००)
३१.	श्री किशोरीलाल पुत्र गणेशनारायण ब्राह्मण—शहर—तहसील नादौती	,, ,, ,,	१०००)
३२.	श्री प्रभुदयाल पुत्र रामसहाय मिश्र ब्राह्मण—लिवाली—तहसील बामनवास	,, ,, ,,	५००)
३३.	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री बन्सीधर ब्राह्मण लिवाली तहसील बामनवास	,, ,, ,,	५००)
			योग: ३८००)

१	२	३	४
३४.	श्री मदनलाल पुत्र श्री जिन्सी मीना सोप, तहसील नादौती	बांध बनवाने हेतु	१५००)
३५.	श्री नत्थुसिंह पुत्र ठौदूसिंह राजपूत शहर तहसील नादौती	,, ,, ,,	३०००)
३६.	श्री राज पुत्र काल्या भीला ग्राम कैमा तहसील नादौती	,, ,, ,,	१५००)
३७.	श्री सुखजी पुत्र भौंरया मीना बानौर तहसील बामनवास	,, ,, ,,	५००)
३८.	श्री केशरीलाल पुत्र वालाबख्श महजाह लिवाली तहसील बामनवास	,, ,, ,,	५००)
३९.	श्री गजानन्द पुत्र श्री बंशीधर ब्राह्मण लिवाली, तहसील बामनवास	,, ,, ,,	८००)
४०.	श्री शंकर, बिरंजी,मूल्या, रमा पुत्र श्री भौरया जैवाराम, नदा, बल्ला, मीनायन बिछोछ तहसील, बामनवास	,, ,, ,,	१०००)
४१.	श्री मोतीलाल पुत्र मूलचन्द महाजन बरनाला, तहसील बामनवास	,, ,, ,,	१०००)
४२.	श्री रामभरोसी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शहर तहसील नादौती	,, ,, ,,	१०००)

योग: १०८००)

कुल योग:—२६,७५०)

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों व उनमें से आदिवासी तथा हरिजन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूची

क्रमांक	सन्	पदों की कुल संख्या राजपत्रित	अन्य	कुल संख्या आदिवासी एवं अनुसूचित जातियों की राजपत्रित	अन्य कर्मचारी
१.	१९५७–५८	१८	५८	७–७६१	११० ११०
२.	१०५८–५९	१८	९२९	९–४७१	१३० १३१
३.	१९५९–६०	१८	९९१	१०–०९२	१९९ २०१

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर देखिये)

१. महाराजा बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर ।
२. दरबार बहुद्देशीय – – – जयपुर ।
३. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर ।
४. – – – पुरानी बस्ती, जयपुर ।
५. – – – सिकराय ।
६. – – – लुया ।
७. – – – बस्सी ।
८. – – – भान्डारेज ।
९. – – – सांगानेर ।
१०. – – – बगरू ।
११. बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र (एस० टी० सी०) परसराम द्वारा ।
१२. – – – – गोनेर ।
१३. – – – – सागांनेर ।
१४. महाराजा बेसिक मॉडल मिडल स्कूल, जयपुर ।
१५. बेसिक माध्यमिक मिडिल स्कूल, जयपुर ।
१६. बेसिक प्राइमरी स्कूल–मुरली मनोहरजी जयपुर ।
१७. – – – – बान्दरी का नासिक ।
१८. – – – – कली का कोठा ।
१९. – – – – दवाखाना ।
२०. – – – – हथरोई ।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर देखिये)

निम्नलिखित स्कूल निर्माण विभाग की लिस्ट में हैं:—

१. उच्चत्तर माध्यमिक शाला, पावटा।

२. एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल, पावटा।

३. उच्च शाला, कोटपुतलो।

निम्नलिखित स्कूल निर्माण विभाग को लिस्ट में नहीं हैं :—

१. उच्चत्तर माध्यमिक शाला, कोठी।

२. माध्यमिक शाला, नारहेडा।

३. — — सुंदरपुरा।

४. — — प्रागपुरा।

५. — — गोनेडा।

६. — — भामरू।

७. — — बड नगर।

८. — — राजनीता।

शहरी क्षेत्र की निम्नलिखित प्राथमिक शालाएं निर्माण विभाग की लिस्ट में नहीं हैं।

१. प्राथमिक शाला बूजा हेडा।

२. — — बासडी।

३. — — बडा बास।

४. — — कोटपुतली।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 'A')

ORDER

No. F. 4 (17) G A/A/60 DATED 31. 10. 60

Sub: Recognition to different Hindi Exams. conducted by various Educational Organisations.

The Government of Rajasthan have, for purpose of employment under them, decided to recognise the following different Hindi examinations conducted by various Educational Organisations for the standard of Hindi as indicated against each.

It is further clarified that the recognition of the different Hindi Examinations conducted by these Organisations has been accorded only in regard to the standard of Hindi prescribed in the equivalent Examinations and it will not be treated as equivalent to full fledged certificate and/or Degree of the Examinations to which they have been equated:—

S. No.	Name of the Organisation	Name of the Examinations recognised.	Standard of Hindi prescribed in the equivalent examination.	Remarks.
1	2	3	4	5
1.	Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.	Prathma Madhyaya	Metric B. A.	(i) the Examination men-

1	2	3	4	5
		(Visharad) Uttama (Sahitya Rattan)	Higher than B. A. but not equivalent to M. A.	tioned in column 2 conducted upto the end of the year 1960 by all the organisation mentioned in column 1 have been recognised.
2.	Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha.	Parichaya Kovid Ratna	Matric Inter B. A.	
3.	Prayag Mahila Vidyapeeth, Allahabad.	Vidushi Saraswati	Inter B. A.	
4.	Hindi Vidyapith, Deoghar.	Praveshika Sahityabhushan Sahityalankar	Matric. Inter B. A.	
5.	Travancore Hindi Prachar Sabha. Trivendrum.	Pravesh Bhhoshan	Matric Inter.	(ii) Recognition to the examinations in respect of the Organisations from Serial No. 1 to 13 has been accorded

1	2	3	4	5
				for a further period of three years i. e. upto the end of the year 1963. Thereafter the position will be reviewed.
6.	Assam Rashtrabhasha Prachar Samiti, Gauhati.	Prabodh Visharad	Matric Inter.	
7.	Hindi Prachar Sabha, Hayderabad.	Visharad Bhushan Vidwan	Matric Inter B. A.	(iii) Recognition to examinations conducted by the Gujrat Vidyapeeth, Ahmedabad (Serial No. 13) has been accorded in respect of only those candidates 'who answered the question papers in the examinations through the Devanagari Script and the Vidyapeeth should mention this fact clearly in the Certificates and Diplomas in futu-

1	2	3	4	5
				re. As regards the Diplomas already issued the candidates should.get a Certificate from the Vidyapeeth that they passed the Examinations through the medium of Devanagari Script.
8.	Bombay Hindi Vidyapeeth, Bombay.	Uttama B hasha Ratna Sahitya Sudhakar	Matric Inter B. A.	
9.	Maharashtra Rashtrabhasha Sabha, Poona.	Prabodh Pravin Pandit	Matric Inter B. A.	
10.	Manipur Hindi Parishad, Imphal.	Prabodh Visharad	Matri Inter	
11.	Akhil Bhartiya Hindi Parishad, Agra.	Parangat	B. A.	
12.	Mysore Hindi Prachar Parishad Bangalore.	Pragesh Uttama Ratna	Matric Inter B. A.	
13.	Gujrat Vieyapeeth Ahmedabad. -	Tisri Vinit Sevak	Matric Inter B. A.	

परिशिष्ट

1	2	3	4	5
14.	Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras.	–Praveshika Visharad Praveen	Matric Inter B. A.	(iv) Recognition for a further period beyond the year 1960 to the examinations conducted by the Dakshin Bharat Hindi Prachar sabha, Madras and Hindustani Prachar Sabha, Bombay (S. Nos. 14 & 15) respectively is under consideration of Government.
15.	Hindustani Prachar Sabha, Bombay.	Qabil Vidwan	Matric Inter	

By order,
(B. Mehta)
Chief Secretary to Government.

FOLLOWING ARE THE FURTHER HINDI & SANSKRIT EXAMINATIONS WHICH HAVE BEEN RECOGNISED BY THE RAJASTHAN GOVERNMENT FOR PURPOSE OF EMPLOYMENT UNDER VARIOUS ORDERS ISSUED BY THEM.

S. No.	Name of the Organisation.	Name of the examination recognised.	Standard of Hindi/Sanskrit prescribed in the equivalent examination.	Remarks.
1	2	3	4	5
1.	Mahila Vidyapith, Allahbad.	Vidya Vinodini.	Matric	If advance English has been taken as one of the optional subjects and the full examination has been taken together in not more than two comperatments within two years of each other or a candidate has passed it with High School Exam., in English only passed under Regulation 7. Chapter XIII of the Regulations of the Uttar Pradesh Board of High School & Intermediate education.
2.	Tilak Maharashtra Vidya Peeth, Poona.	1. Pravesh. 2. Prathama Pariksha. 3. Visharada (Vangmoya Visharada). 4. Sastra-Visharada. 5. Vyapara Visharada. 6. Parangata (Vangmoya Parangats)	Matric. Ist yr. in Arts. B. A. B. Sc. B. Com. M. A.	

1	2	3	4	5
3.	Hindi Vidhya Peeth, Ratangarh.	Parchaya.	Middle.	

SANSKRIT EXAMINATIONS.

1. Praveshika. Mátric.
2. Madhayama Inter. & Upadhaya.
3. Shastri. B. A.
4. Acharya. M. A.

OFFICE OF THE DIRECTOR OE EDUCATION, RAJASTHAN
BIKANER

ORDER.

In pursuance of the Rajasthan Government order under Education Secretary's letter No. C/17 (23) Edu/1052 dated 11-4-54 to this office untrained teachers who have put in at least 10 years efficient service as teacher and 5 years service after passing the Basic Examination on which they claim benefit of trained teachers grade upto the extent of 25% of the vacancies in the trained Teachers grade.

The following action is to be taken to implement the Government order:—

1. Upgrading to the trained teachers grade may be done of all teachers who have put in ten years experience as teacher in Government service, out of which 5 years should be in the grade with reference to which the trained grade is to be given. All such teachers must possess the Basic qualifications of the grade on which they claim benefit of trained teachers grade. No experience put in private service is to be considered for this purpose.

2. Upgrading shoull be done on the basis of seniority to be determined from the date of appointment or promotion in the relevant grade. Persons who can be given promotions must have good record of service.

3. Upgrading of the above category of teachers as mentioned under clause one above should be recurring affairs from 1st. July each succeeding year, but only in case of those teachers who have joined service before 1954 till further orders.

4. The officers at the various level should implement the orders on the above basis according to their competance and case not falling within their competence be referred for necessary orders to the next higher authority.

5. The officers are requested kindly to give priority to these cases as to complete the upgrading on the above basis by the 15th July, 1958 and send the list of upgrading teachers with full particulars to this for information, intimating the number of posts remaining vacant after such upgrading in varures grados.

6. The percentage of 25% for upgrading of such teachers is to be calculated on the vacancies on 1st July each year plus the casual vacancies filled up by promotion.

7. Cases of teachers of Inter Colleges and the other institutions under the direct charge of this office whose seniority is maintained by the Dy. Director and Asstt. Director of Education (w) are to be considered by them. The Heads of such institutions should send the cases of their teachers giving full particulars to them for consideration by 15th June, 1958.

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर देखिये)

आत्म-समर्पण किये गये डाकुओं की सूची :

१. रेशम पुत्र अमर मोहम्मद मुसलमान सा० देवीकोट थाना फतेहगढ़ जिला जैसलमेर। इसकी मु० नं० १ दिनांक २५-१-५६ धारा ३६५-३६७-३४२ थाना फतेहगढ़ व अपराध मु० नं० १ दिनांक १३-१-६० धारा ३०७ भा० द० सं० रामगढ़ में आवश्यकता थी।

२. बादलिया उर्फ यारमोहम्मद पुत्र खमिसा मुसलमान सा० जोरनादा थाना शो जिला बाडमेर। इसकी अपराध नं० ३ दिनांक १८-१- ५६ धारा ३६५ ३६५ थाना रामगढ़ व मु० नं० ३ दिनांक २२-११-५६ धारा ३६५, ३६५ थाना फालसोद में आवश्यकता थी।

३. किशनसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत सा० झीझीयाली थाना फतेहगढ़ जिला जैसलमेर इसकी मु० नं० ६ दिनांक १३-११-५५ धारा ३८० भादस थाना जैसलमेर।

   २. मु० नं० २ दिनांक २३-३-५६ धारा ३०७, ४२६ थाना फतेहगढ़

   ३. मु० नं० ५ दिनांक १-५-५६ धारा ३०७, ३०२ थाना फतेहगढ़

   ४. मु० नं० १३ दिनांक १३-४-५५ धारा ३८० थाना जैसलमेर-एवम्

   ५. मु० नं० १ दिनांक ६-३-६० धारा ३०७ थाना साम में आवश्यकता थी।

४. सांगसिंह पुत्र कालसिंह नाटी राजपूत सा० झीझीयाली फतेहगढ़ जिला जैसलमेर की अपराध नं० १ दिनांक ८-३-५६ धारा ३०७ भा० द० स० थाना फतेहगढ़।

   २. अपराध २ दिनांक २३-३-५६ धारा ३०७ भा० द० स० थाना फतेहगढ़

   ३. मुकदमा नं० २ दिनांक १५-१-५८ धारा ३०७ भा० द० स० थाना फतेहगढ़

   ४. मुकदमा नं० ५ दिनांक १-५-५६ धारा ३०७ ३०२ भा० द० स० थाना फतेहगढ़

Page No.135

५. मुकदमा नं० ८ दिनांक १७–५–५६ धारा ३७६ भा० द० स० थाना फतेहगढ़

६. मुकदमा नं० ७ दिनांक १४–५–५६ धारा ३७६ भा० द० स० थाना फतेहगढ़

७. मुकदमा नं० १ दिनांक ६–३–६० धारा ३०७ भा० दं० स० थाना फतेहगढ़

८. मुकदमा नं० १८ दिनांक १४–१–५६ धारा ३७६ भा० द० स० थाना जैसलमेर

९. मुकदमा नं० ५ दिनांक १३–४–५६ धारा ३८० भा० द० स० थाना जैसलमेर

१०. मुकदमा नं० १३ दिनांक १३–४–५५ धारा ३८० भा० दं० स० थाना जैसलमेर में आवश्यकता थी।

५. मीगूडा पुत्र लासा मोहम्मडन गंज, सा० कोडासर थाना फतेहगढ़ जिला जैसलमेर। इसकी मुकदमा नं० ५ दिनांक २२–११–५६ धारा ३६५ भा० द० स० थाना फालसोद : जोधपुर: में आवश्यकता थी।

६. रतनसिंह पुत्र बहादुरसिंह उर्फ थोंकलसिंह राजपूत भाटी सा० मटिना थाना नाकडा, जिला जैसलमेर। इसकी मु० नं० २, सन् १९४५ अन्तर्गत धारा ३७६ भा० द० स०, थाना गिरान, जिला बाडमेर में आवश्यकता थी।

७. कल्यानसिंह पुत्र केसरसिंह उर्फ ईदासिंह राजपूत भाटी सा०. मटिना थाना सांकडा जिला जैसलमेर। इसकी मुकदमा नं० २० दिनांक ७–१–४५,धारा ३७६भा०द०-स०, थाना गिडान : बाडमेर : में आवश्यकता थी।

८. अमरसिंह पुत्र जवाहरसिंह राजपूत भाटी सा० डूंगरी थाना फतेहगढ़ जिला जैसलमेर की मुकदमा नं० ३ दिनांक ३–५–५८ अन्तर्गत धारा, ३०७ ३८६ भा० द० स०, थाना गिराव एवम् मुकदमा नं० २ दिनांक १६–२–५६ अन्तर्गत धारा २६५ भा० द० स०, थाना गिराव में आवश्यकता थी।

९. अनूपसिंह पुत्र दलीपसिंह भाटी सा०रामगढ़, थाना संकरा जिला जैसलमेर। इसकी मुकदमा नं० ५ दिनांक १७–२–५८ अन्तर्गत धारा ३७६, २१५ भा० द० स० थाना बालोतरा में आवश्यकता थी।

१०. रावतसिंह पुत्र पहाड़सिंह राजपूत भाटी सा० रामगढ़,थाना संकडा,जिला जैसलमेर।

इसकी मुकदमा नं० दिनांक ८–१–६० अन्तर्गत धारा ३७६ भा० द० स० थाना मांडली में आवश्यकता थी।

११. भीखा पुत्र सामिया दरोगा सा० रामगढ़, थाना सांकडा जिला जैसलमेर की मुकदमा नं० १ दिनांक १८–१–६० धारा ३७६ भा० द० स० थाना मांडली में आवश्यकता थी।

१२. कंधारसिंह उर्फ भंवरसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत भाटी सा० राजगढ़ थाना साकडा जिला जैसलमेर की मुकदमा नं० १ दिनांक १८–१–६० धारा ३७६ भा० द०-स०, थाना संकरा (जैसलमेर) में आवश्यकता थी।

१३. राजसिंह पुत्र कुसला भील सा० भटियारा थाना गिरान जिला बाडमेर की मुकदमा नं०७ दिनांक १७–४–५८ धारा ४३७ भा० दं० स० थाना गिडान में आवश्यकता थी।

१४. दौलतसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत सा० दाता, थाना बाडमेर की मुकदमा नं० १५ दिनांक १६–४–५६ धारा ३७६ भा० दं० स०, थाना गुडामालानी में आवश्यकता थी।

१५. तारा पु० अचला वज़ीर सा० दांता जिला बाडमेर की० मुकदमा नं० १५ दिनांक १६–४–५६ धारा ३०७ भा० द० स०, थाना गुडामलानी में आवश्यकता थी।

१६. माधा पुत्र रनजीता राजपूत उर्फ नचोरसिंह सा० मेरदिया थाना बाडमेर मुकदमा नं १५ दिनांक १६–४–५६ धारा ३७६ भा० द० स० गुडामालानी थाना में आवश्यकता थी।

१७. बगातया पुत्र सनवाना मोहम्मडन सा० नुरोय का पीर थाना गिरात्र जिला बाडमेर की मुकदमा ६ दिनांक १६–४–५६ धारा ३०७ भा० दं० स० थाना गिरात्र में आवश्यकता थी।

१८. रमजुखान पुत्र कालूखां मुसलमान सा० चिरानावासी, थाना जम्बा जिला जोधपुर की मुकदमा नं० १ दिनांक २७–३–५६ धारा ३६५, ३६६ भा० द० स० थाना दियातरा में आवश्यकता थी।

परिशिष्ट ८

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

१. विधान सभा के इस नये सत्र में आपका एक बार पुनः स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। हम ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब कि दूसरी योजना की अवधि करीब करीब समाप्त हो ही रही है। अतः मैं इस अवसर पर आपके सामने उन महत्वपूर्ण कामयाबियों में से कुछेक का संक्षेप में वर्णन करूंगा जो इस अवधि में हमने हासिल की हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जिक्र करूंगा।

२. जब कि भारत–संघ के अन्य राज्य वास्तव में पहली योजना को कार्यान्वित करने में व्यस्त थे, हम, इस राज्य में एक दृढ़ प्रशासनिक ढांचा संगठित करने, बजट में संतुलन लाने तथा शांति और व्यवस्था की विषम स्थिति, जैसी कि उस समय थी को हल करने में लगे हुये थे। अतः इस राज्य के लिये इसकी दूसरी योजना वास्तविक अर्थ में पहली योजना ही थी। पहली पंचवर्षीय योजना की कमी को पूरा करने के लिये अगली दो या तीन योजनाओं को और भी अधिक महत्वाकांक्षी होना ही होगा। इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, जिसकी मुख्य विशेषता, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर आर्थिक सीमाओं के भीतर रहते हुए, योजना तैयार करना था।

३. राज्य के ८० प्रतिशत से भी अधिक लोग या तो खेती करते हैं या जो खेती करते हैं उन पर आश्रित हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र की ५० प्रतिशत आबादी अधिकतर अपने पशु धन पर जीवन–निर्वाह करती है। अतः यह स्वाभाविक था कि दूसरी योजना के प्रस्तावों में सिंचाई तथा पशुपालन सम्बन्धी स्कीमों और खेती की पैदावार के लिये भूमि के बहतर उपयोग की व्यवस्था को खास महत्व दिया जाय। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, सिंचाई और छोटे उद्योगों के परस्पर सम्बद्ध एकीकृत प्रोग्राम बनाये गये जिनका अभिप्राय अधिक रोजगार व अधिक उत्पादन हासिल करने के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करना था ताकि किसान की सच्ची आमदनी बढ़ाई जा सके। राजस्थान की बिजली योजना, जिसका आधार मुख्यतया भाकरा तथा चम्बल योजनाओं से पैदा होने वाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर का विकास था, हमारे कृषि योजनाओं के लिए अवलम्ब होने के साथ साथ राज्य की औद्योगिक उन्नति में भी सहायक सिद्ध होगी, ऐसी आशा थी। सड़क–निर्माण–कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के विकास के लिये प्रयाप्त प्रावधान रखे गये थे।

४. यह संतोष की बात है कि सरकार ने जनता के तथा इस सदन में जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से, न्यूनाधिक रूप से न केवल समस्त वास्तविक लक्ष्यों को करीब प्राप्त ही कर लिया है, बल्कि वह ऐसी सुदृढ़ नींव डालने में भी सफल हुई है जिस पर आगामी

दो या तीन योजना—काल में समृद्धि एवं खुशहाली का भवन खड़ा किया जा सकता है ।

५. योजना आयोग की सिफारिश के अनुसरण में भूमि सुधार और तत्सम्बन्धी कानून बनाये गये हैं जिनका अभिप्राय खेती की पैदावार में होने वाली उन बाधाओं को दूर करना है जो प्राचीन भू—व्यवस्था के कारण होती हैं । अभिप्राय यह है कि यथासंभव शीघ्र कृषि भूमि के सम्बन्ध में एक ऐसी अर्थ—व्यवस्था कायम की जाय जिसमें कार्य—कुशलता तथा पैदावार का स्तर बहुत ऊंचा हो । विश्वास के साथ यह आशा है कि खेती के प्रबन्ध के लिए तथा अन्य आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए, जिन पर कि ग्रामीण जनता का कल्याण निर्भर है, गांव ही मुख्य इकाई बन जाये ।

६. योजना काल के अंत में अनाज की अतिरिक्त पैदावार ८.१२ लाख टन के लक्ष्य के स्थान में करीब १२ लाख टन होगी । इसके अलावा तिलहन की अतिरिक्त पैदावार, जो विदेशी मुद्रा की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है, ७६,००० टन होगी जब कि योजना में उसके लिए ४०,००० टन का अनुमान किया गया था । इस वृद्धि के खास कारण खेती के सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग, अधिक भूमि की सिंचाई व भूमि—विकास हैं । अकृष्ट भूमि के बड़े क्षेत्र में खेती हो सकने के दो मुख्य कारण ये हैं कि एक तो मध्यवर्तियों को हटा दिया गया और दूसरे काश्तकारों को भू—धारणाधिकार के बारे में निश्चितता प्रदान कर दी गई है । भूमि—हीन व्यक्तियों को जिनमें बड़ी संख्या हरिजनों की है, भूमि देने पर विशेष जोर दिया गया । पाली जिले में घनीभूत कृषि का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । आशा है कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जो अनुभव प्राप्त होगा उससे राज्य के अन्य भागों में कृषि—पैदावार बढ़ने में मदद मिलेगी ।

७. पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य से पशु—महामारी रोग को निर्मूल करने पर जोर दिया गया था । बीकानेर डिविज़न की संपूर्ण पशु—संख्या इस कार्यक्रम में ली जा चुकी है । जयपुर डिविज़न में इस स्कीम के अन्तर्गत काम किया जा रहा है । भेड़ बकरियों में फैलने वाली संदिग्ध तथा ऐसी बीमारियां, जिनका निदान नहीं हुआ है, पर काबू पाने के लिये एक "रोग अनुसंधान स्कीम" भी चालू की गई है ।

८. सिंचाई की जो परियोजनाएं इस अवधि में पूरी हो चुकी हैं उनमें कोटा बैरेज, जिससे सिंचाई भी शुरू हो गई है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है । राजस्थान नहर का निर्माण-कार्य संतोषप्रद हालत में किया जा रहा है और उस क्षेत्र के विकास के लिये एक मास्टर प्लान बनाया जा चुका है । इस क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल उपलब्ध होने पर एक और बड़ा कृषि फार्म कायम किया जायगा । कोटा बांध का निर्माण—कार्य आगामी योजना काल में शुरू किया जावेगा । इस प्रोजेक्ट से राज्य की विद्युत शक्ति और भी बढ़ जावेगी ।

९. सहकारिता क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या, जो दूसरे योजनाकाल के प्रारंभ में ६,९१६ थी, अब १५,७६७ हो जायेगी । उनके सदस्यों की संख्या २.३ लाख से बढ़कर

Page No.139

७,६७,००० हो गई है। उनकी मिश्रित शेअर–पूंजी २६.६७ करोड़ रुपये है। योजना काल के अन्त में उनमें ४० प्रतिशत गांव और २७ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सम्मिलित कर लिये जावेंगे, जब कि प्रारंभ में केवल ३० प्रतिशत गांव और १५ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को ही शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था।

१०. औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं आरंभ करने में जो रुकावट विद्युत शक्ति की कमी के कारण पहले थी, वह इस काल में भी बनी रही। फिर भी छोटे पैमाने के उद्योगों, हस्त–शिल्पों और खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास में सराहनीय प्रगति हुई है।

११. हाथ करघे के कपड़े और खादी के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है। दोनों का कुल उत्पादन १०८.३२ लाख गज से बढ़ कर १४०.४० लाख गज हो गया। ऊनी खादी के उत्पादन में लगभग ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

१२. स्वदेशी कॉटन टैक्सटाइल मिल्स, उदयपुर और नाइलन फैक्ट्री, कोटा के निर्माण-कार्य में संतोषप्रद प्रगति हो रही है। सरकार ने भीलवाड़ा और ब्यावर में स्थित जिन दो टैक्सटाइल मिलों को अपने हाथ में लिया था उनके व्यवसाय में लाभ होने लग गया है। इससे दोनों मिलों के श्रमिकों को काफी फायदा हुआ है।

१३. छोटे उद्योगों के विकास के लिए छोटे उद्योगपतियों को ऋण दिये जाने, आधुनिक औजारों और उपकरणों के प्रयोग में कारीगरों को प्रशिक्षण देने तथा विद्युत-शक्ति से युक्त फैक्ट्री-शैडों की व्यवस्था करने की मुख्य योजनाएं बनाई गई थीं। औद्योगिक बस्तियों की योजना के कारण कई नई वस्तुओं के निर्माण के लिये नये यूनिट कायम हो गये हैं।

१४. डीडवाना में सोडियम सल्फेट बनाने का जो प्लान्ट लगाने की तजवीज थी वह शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा जिसमें २० टन सोडियम सल्फेट प्रतिदिन तैयार होगा। मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उदयपुर में जिंक स्मेल्टर की स्थापना के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और आशा है कि निर्माण-कार्य जल्दी ही शुरु हो जायेगा। इससे, बाई प्रोडक्ट्स के रूप में गंधक और केडमियम के अतिरिक्त प्रति वर्ष १५,००० टन जस्ते का और १२,००० टन सीसे के लिये और कन्सेन्ट्रेट का उत्पादन होगा। पलाना लिग्नाइट प्रोजेक्ट तथा डूंगरपुर जिले में मन्डाओं की पाल में फ्लूरोस्पार प्रोजेक्ट को सार्वजनिक (राज्य सरकार) क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है। देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह भी शामिल कर लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत खेतड़ी के पास एक कॉपर स्मेल्टर स्थापित किया जाय।

१५. बड़े और मध्यम पैमाने के बहुत सारे नये उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं, जिनमें कैलशियम क्लोराइड तथा पी० वी० सी० पाउडर, एक्सट्रजन प्रेस,

बी० आई० आर० केबल्स, छापने और लिखने के कागज, और सेनी-वर्स्टेड वूलन यार्न के उद्योग, तथा तीन टैक्सटाइल मिलें सम्मिलित हैं। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, जयपुर, धौलपुर ग्लास वर्क्स, उदयपुर डिस्टिलरी और मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जयपुर को विस्तार के लिये भी लाइसेंस दिये गये हैं। अन्य निर्माणकारी उद्योगों, जैसे कि माइल्ड स्टील, हाई टेन्शन वायर, स्ट्रा-बोर्ड, सीमेंट, एस्बैस्टास, सीमेंट के नल और दो चीनी को फैक्ट्रियों के लिये लाइसेंस दिये जाने के वास्ते राज्य सरकार द्वारा कई आवेदन-पत्रों पर सिफारिश की गई है। हनुमानगढ़ में एक फर्टीलाइजर फैक्ट्री की स्थापना के लिये शीघ्र ही लाइसेंस दिया जाने वाला है।

१६. सहकारी समितियों या ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियों द्वारा सहायता-प्राप्त औद्योगिक बस्तियों की योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। इसी प्रकार, फंक्शनल एस्टेट्स की योजना का भी आरंभ किया गया है। रेडियो कॉम्पोनेंट हिस्सों के निर्माण में विशिष्टता प्राप्त करने के लिये एक ऐसी एस्टेट के लिए मंजूरी दे दी गई है।

१७. इस अवधि में खनिज-उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। १९५६ में ३.५९ करोड़ रुपये के मूल्य के कुल उत्पादन को तुलना में १९६० में उत्पादन ६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक हुआ है।

१८. इससे यह पता चलेगा कि द्वितीय योजना काल में राज्य के द्रुत और बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की नींव रखी जा चुकी है।

१९. अन्य विकास क्षेत्रों में प्रगति संतोषप्रद रही। बिजल—शक्ति के विकास में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ रुकावटें आई हैं; तथापि यह संतोष की बात है कि इस वर्ष में बिजली शक्ति के विकास में स्थिति बदल गई है। स्टीम तथा डीज़ल के बारे में जो हमारे लक्ष्य थे वे न केवल पूरे कर लिए गये हैं बल्कि हम उनसे आगे बढ़ गये हैं। भाकरा से प्राप्त हुई शक्ति अब भाकरा क्षेत्र में काम में ली जा रही है और चम्बल के प्रथम चरण से प्राप्त शक्ति कोटा, झालावाड़ और बूंदी जिलों में उपयोग में लाई जा रही है। आशा की जाती है कि आगामी वर्ष में चम्बल जल-विद्युत अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर जिलों को उपलब्ध कर दी जायगी।

२०. शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का विशेष उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है। एक अध्यापक वाले ७,००० से भी अधिक नये प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं; ६,५००से भी अधिक अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई है; १७६ मिडिल स्कूलों को सैकन्डरी स्कूलों में और ५१ हाई स्कूलों को हायर सैकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है। १९५५-५६ में ५ डिग्री कॉलेज थे जिनके स्थान पर अब ४२ कॉलेज हो जायेंगे। स्कूलों में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के ५.५ लाख से भी अधिक बच्चे भर्ती किये गये जब कि योजना का लक्ष्य ४.३ लाख बच्चों की भर्ती करना था। इस प्रकार योजना—काल के अन्त तक स्कूलों में बच्चों की संख्या

१२ लाख से कुछ अधिक हो जायेगी। स्कूल जाने वाले इस आयु—वर्ग के बच्चों का प्रतिशत योजना-काल के प्रारंभ में २४.१ प्रतिशत की तुलना में ४६.६ हो जायेगा।

२१. लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रौढ़ अध्यापिकाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संक्षिप्त पाठ्य-क्रम आरंभ किये गये।। प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को उत्साहित करने के लिए १,००० से अधिक ग्राम साथिनों की नियुक्ति की गई। स्कूल जाने की आयु वाली लड़कियों के प्रवेश का प्रतिशत ६ प्रतिशत से बढ़ कर १७ प्रतिशत हो गया। हालांकि स्कूल जाने वाली लड़कियों का सम्पूर्ण प्रतिशत सन्तोषजनक नहीं है, तो भी हमारे राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, यह वृद्धि एक महत्वपूर्ण सफलता है।

२२. प्रावैधिक शिक्षा की दिशा में राज्य में, छः पोलीटैक्नीक, दो इंजीनियरिंग कॉलेज जिनमें सिविल, मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग शिक्षण की सुविधाए हैं, तीन कृषि कॉलेज और दो आयुर्वेद कॉलेज होंगे। इनमें से कुछेक संस्थाए उसी अवधि में आरम्भ कर दी गई थी जिनका कि पुनर्विलोकन किया जा रहा है और कुछेक में प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्टाफ बढ़ाया गया था तथा उन्हें उच्च—स्तर की संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया था। आगामी योजना-काल में दो मैडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है।

२३. राज्य में अस्पतालों तथा औषधालयों को जिस हद तक उच्च स्तर की संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया गया है, उसके फलस्वरूप प्रति १० लाख जन—संख्या के लिए पलंगों तथा संस्थाओं के अखिल भारतीय औसत आंकड़ों से हमारे यहां का औसत अधिक हो गया है। भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए २० अस्पताल अथवा औषधालयों की औसत के मुकाबले हमारे राज्य में ऐसी संस्थाए ३४ हैं और प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए पलंगों की औसत ४०६ है जब कि पलंगों की अखिल भारतीय औसत प्रति दस लाख के लिए ३६० है। किन्तु सरकार सजग है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी काफी करना बाकी है।

२४. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित योजनाओं में सन्तोषप्रद प्रगति हुई है। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों में सरसरी आर्थिक सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि कुल क्षेत्र जिसमें फसल बोई गई है पिछले आठ वर्षों में ६० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है; गेहूँ की फसल ३५० प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र में की गई है और प्रति एकड़ उपज ८० प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। सिंचाई क्षेत्र भी ४५ प्रतिशत से ऊपर बढ़ गया है। इस सर्वे के दौरान में, भौतिक सफलताओं के अलावा, अच्छे और सक्रिय जीवन के महत्व के प्रति लोगों में उतरोत्तर बढ़ती हुई सजगता पाई गई। हाली अथवा सागड़ी प्रथा जो कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रचलित थी करीब करीब विलुप्त हो गई है; किन्तु कुछेक ऐसे मामले नोटिस में आए जहां कुछ अनीतिवान लोग अनपढ़ जनजाति

के लोगों को हाली व सागड़ी के रूप में नौकर रख कर उनका शोषण करते हुए पाये गये। इसीलिए राज्य में हाली तथा सागड़ी प्रथाओं का उन्मूलन करने के एक लिए विधेयक प्रस्तुत करने का निश्चय किया है।

२५. समाज कल्याण विभाग द्वारा ४४ सरकारी होस्टल चलाये जा रहे हैं जिनमें अनुसूचित आदिम जातियों के लगभग १,००० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। २६७ विशेष छात्रवृत्तियां, ऐसे विद्यार्थियों को दी जा रही हैं जो सुस्थापित शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी योजना काल के अन्त तक अनुसूचित जातियों के मैट्रिक से नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले ७३,०६४ विद्यार्थियों को १५.०८ लाख रुपये और मैट्रिक से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले १,६४१ विद्यार्थियों को ७.३२ लाख रुपये छात्रवृत्ति रूप में दिये जा चुकेंगे। इस विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये १३ होस्टल भी चलाये जा रहे हैं।

२६. सड़कों सम्बन्धी योजनाओं पर होने वाले व्यय का अनुमान ६६० लाख रुपया है जब कि योजना में ६४१ लाख रुपया की तजवीज की गई थी चूंकि खर्चे में वृद्धि हो गई है इसलिए वास्तविक लक्ष्यों में लगभग १५ प्रतिशत कमी हो जायेगी।

२७. समग्र प्लानिंग का ध्येय ऐसे व्यक्तियों को जो बेरोजगार हैं तथा जिन्हें पूरा रोजगार नहीं मिला हुआ है, रोजगार दिलाना और राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। प्लानिंग कमीशन के लेबर एम्प्लॉयमेंट डिविजन ने जो अध्ययन किया है उससे ज्ञात हुआ है कि राजस्थान में दूसरी योजना के प्रारंभ में ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जो बेरोजगार थे १.८६ लाख थी। दूसरी योजना में अनुमानतः ४ लाख अधिक व्यक्तियों को काम दिलाये जाने की योजना थी जिसके मुकाबले में इस अवधि में २.१० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। उपर्युक्त अध्ययन के अनुसार १.२५ लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा। इस प्रकार कृषि से भिन्न सैक्टरों में कुल ३.४२ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला, ऐसा अनुमान है। इस प्रकार दूसरी योजना अवधि में ३.६० लाख अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सका; अर्थात् हम राज्य में श्रमिकों की बढ़ी हुई संख्या को काम दिलाने में सफल हुए हैं और यह स्थिति देश के शेष भाग की स्थिति के मुकाबले में अच्छी है क्योंकि वहां द्वितीय योजना के अन्त में बेरोजगारी बढ़ जाने की संभावना है।

२८. नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, जो कि इस राज्य का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कर रही है, ने राज्य की अनुमानित आय का हिसाब लगाया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्वयं राज्य की शुद्ध आय ४५०.३० करोड़ रुपया आंकी गई है। अनुमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह आय बढ़ कर ५४६.६५ करोड़ हो जायेगी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय २५६.०० से बढ़ कर २७८.०० रु० हो

जायेगी। इसका अर्थ यह होगा कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय में १.४ प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के होने पर भी राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय जो कि अनुमानतः ३०५ रु० है से २७ रु० कम रहेगी। किन्तु इस पांच वर्ष की अवधि में किये गये नियोजन के फलस्वरूप यह अन्तर १०.२ प्रतिशत से घट कर ८.६ रह जायेगा।

२९. जनता की स्थानीय स्टेट्यूटरी संस्थाओं को सत्ता सौंप देने का साहसिक तथा दूरदर्शितापूर्ण निर्णय फलप्रद सिद्ध हुआ है। न्यूनाधिक रूप में यह कहा जा सकता है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों ने इन नई संस्थाओं में अपना उत्तरदायित्व आत्म-विश्वास और निष्ठा के साथ संभाला। जनता के प्रतिनिधियों और राज्य कर्मचारियों के बीच जो सम्बन्ध कायम हो रहे हैं वे इन संस्थाओं के उज्ज्वल भविष्य के द्योतक हैं। बावजूद इसके कि इन स्थानीय संस्थाओं को पंचायतों के पुनर्गठन तथा ग्राम चुनावों के कारण करीब ६ महीने ही काम करने का पूरा मौका मिला, जिस थोड़े समय में इन संस्थाओं ने काम किया उसके दौरान विकास कार्यों में सर्वत्र उन्नति हुई है।

३०. हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में राज्य में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तजुर्बा उस समय किया गया जब कि राज्य की कुल ग्रामीण जनता ने ७,३९५ ग्राम पंचायतों के लिये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। समाज निर्णय के इस महान् प्रयोग में जनता ने जिस विशाल पैमाने पर भाग लिया उसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इन स्थानीय संस्थाओं के लिए लगभग ८३ लाख ग्रामीण निर्वाचकों ने करीब ७४,००० प्रतिनिधि चुने। मोटे रूप में प्रतिनिधियों और निर्वाचकों का अनुपात १:११० है जो कि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के उतना निकट कहा जा सकता है जिसका वर्तमान परिस्थितियों में अनुमान किया जा सकता है।

३१. इतने बड़े पैमाने पर चुनावों का कराया जाना शासन के लिये कोई सामान्य काम नहीं था, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि सारी ग्राम पंचायतों के चुनाव एक महीने के ही भीतर कराये गये। इसका वास्तव में राज्य प्रशासन पर असाधारण भार पड़ा और यह तथ्य कि ७,३९५ पंचायतों के चुनावों में केवल ३३ स्थानों पर चुनाव स्थगित करने पड़े, उस कार्य-कुशलता का प्रमाण है जिससे ये चुनाव कराये गये। जिन व्यक्तियों ने इस कार्य में भाग लिया वे प्रशंसा के पात्र हैं।

३२. मतदाताओं ने चुनावों में बड़े संयम से व्यवहार किया और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में बड़ी ही दिलचस्पी ली। औसतन ७०-७५ प्रतिशत मत दिये गये। कुछ स्थानों पर तो मतदान शत प्रतिशत हुआ।

३३. विधि एवं व्यवस्था की स्थिति वर्ष भर संतोषप्रद रही। पुलिस ने राज्य के सक्रिय डाकुओं के १० संगठित गिरोहों में से ८ का अन्त कर दिया। १९६ डाकुओं को गिरफ्तार

किया गया, १२ गोली के शिकार हुए और २८ ने आत्म-समर्पण कर दिया। अपराधों को रोकने तथा उनका पता लगाने की दिशा में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है।

३४. इस वर्ष श्रमिकों और मालिकों के सम्बन्ध ज्यादातर सौहार्दपूर्ण रहे। भीलवाड़ा और ब्यावर में कपड़े की दो मिलों के चलने से श्रमिकवर्ग को भी राहत मिली, जिसकी कि बहुत आवश्यकता थी।

३५. अपर्याप्त वर्षा और विशेषतः १९६० के सितम्बर मास में वर्षा न होने के परिणामस्वरूप राज्य के कुछ भागों में खरीफ की फसल नहीं हो सकी। इसका परिणाम यह भी हुआ कि कई जिलों से, विशेषतः नागौर, जोधपुर और पाली जिलों से, काफी अधिक संख्या में पशुओं को दूसरे स्थानों पर ले जाना पड़ा। उन रास्तों पर, जिनका परम्परागत रूप से पशुओं को लाने–ले जाने के लिए अनुसरण किया जाता है, चारे की सप्लाई का आवश्यक प्रबन्ध किया गया। सरकार ने १३ जिलों के ३,८४६ गांवों को कमी वाले गांव घोषित कर दिया है और सहायता के उपाय भी कर दिये हैं।

३६. अब मैं आगामी वित्त वर्ष से प्रारम्भ होने वाली तीसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में जो प्रगति हुई है उसका उल्लेख करूंगा। गत सत्र के दौरान योजना की रूप–रेखा पर विचार करने का आपको एक अवसर मिला था। तब से योजना के प्रारूप पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालयों के मध्य योजना के प्रारूप पर विचार–विमर्श हुआ है। अब यह करीब करीब तैयार हो चुका है और योजना के प्रस्तावों पर इस सत्र में आप विचार-विमर्श करेंगे। योजना आयोग ने अधिकतम सीमा २३६ करोड़ रु० की निश्चित की है जो प्रति व्यक्ति १४७.५ रु० आती है। कृषि-उत्पादन के अलावा ऐसी स्थियां पैदा करने पर जोर दिया गया है जो राज्य के द्रुत औद्योगीकरण,—विशेषकर बिजल के विकास—के लिए सहायक हों, प्रस्ताव तैयार करते समय शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे पिछड़ेपन और पीने के लिए पानी की सप्लाई की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। योजना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ऐसी स्थिति कायम करना है जिसमें रुपया लगाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बन जायें।

३७. हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना लोक–स्तर से निर्मित की गई है। सभी पंचायत समितियों ने अपनी योजनायें पंचायतों और कुछ मामलों में ग्राम सभाओं की भी सलाह से तैयार की है। इस प्रकार स्थानीय संस्थायें अपनी मुख्य आवश्यकतायें–व्यय करने के लिए अपेक्षित अनुमानित धन–राशि सहित—सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकी हैं।

३८. तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रशासनिक और टैक्नीकल आवश्यकताओं को समझ कर विद्यालयों सम्बन्धी तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य सविधायें बढ़ाने के लिए कार्य-

वाही की जा चुकी है और तीसरी योजना में भी इसकी आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है। राज्य के समस्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए हाल ही में एक समिति बना दी गई है। सहकारिता के संपूर्ण क्षेत्र का सिंहावलोकन करने के लिए राज्य समिति भी स्थापित की गई है। भिन्न भिन्न टैक्नीकल संस्थाओं की प्रगति में आने वाले गति-अवरोधों को दूर करने के लिए गवर्निंग कौन्सिलें स्थापित की जा रही हैं।

३६. सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि १५०) रु०, १००) रु० और ५०) रु० प्रति माह विशेष-योग्यता-वेतन (Special merit pay) प्रदान करके राज्य में टैक्नीकल, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाय। यह योग्यता-वेतन उन व्यक्तियों को दिया जायगा जो विशेष योग्यता का ऐसा कोई मौलिक कार्य या महत्वपूर्ण अनुसंधान-कार्य करें जिससे विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि में योगदान मिले। यह योग्यता-वेतन एक समिति की सिफारिश पर दिया जायगा जो सरकार द्वारा नियमों के अधीन नियुक्त की जायगी। समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें से दो उस विषय के विशेषज्ञ होंगे जिससे कि सरकारी कर्मचारी का कार्य सम्बन्ध रखता है। टैक्नीकल और अन्य कालेजों में योग्यता-प्राप्त वरिष्ठ अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिये किन्हीं परिस्थितियों में ५८ वर्ष की आयु तक पुनः सेवायोजन को सामान्य नीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। विशेष दशाओं में पुनः सेवायोजन ६० वर्ष की आयु तक किया जायगा।

४०. इन पांच वर्षों में अपनाई गई नीतियों और राज्य के लोगों द्वारा इतनी अधिक मात्रा में दिये गये योगदान से जो कामयाबियां हमें मिलीं हैं उनसे प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं और इससे उसमें आर्थिक तथा सामाजिक तुष्टि का संचार हुआ है। हमारे सामने जो कार्य आगे करने को हैं वे बहुत बड़े हैं और उनको करने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्प, त्याग और अनुशासन तथा सम्मिलित-प्रयास की आवश्यकता है। ऐसा करने पर ही तीसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना सम्भव हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि हमारी महान् जन-शक्ति का उपयोग राज्य के निर्माण और एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसके कि लिए हम वचन-बद्ध हैं, अधिकाधिक मात्रा में किया जाता रहेगा।

४१. मैं कामना करता हूँ कि सदन में आप अपने विचार-विमर्श में पूर्ण सफल हों।

शुद्धि–पत्र

(शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२	२	Hours	Hour
२	१४	कर किस	कर कि किस
२४	२	विधा मभान	विधान सभा
२५	६	में कही	में कहीं
२६	१८	इसक किसने	इसकी किसने
३८	१	चका २	कक्षा २
४७	१६	नष्ट नहों	नष्ट नहीं
५०	२१	अटेम्प्टटू	अटेम्प्ट टू
५४	१६	स्थिति	स्थित
५७	१६ व २७	श्री अपनूसिंह	श्री अनूपसिंह
६२	२२	प्रात	प्राप्त
६३	अन्तिम सेर	नोकर भिल	नौकरी मिल
६५	२१	श्रद्धांजलियां	श्रद्धाजलियां
६६	शीर्षक	श्रद्धालिञ्जयां	श्रद्धाजलियां
६७	अन्तिम सेर	बहेत	बहुत
६८	१०	स्थागित हुई	स्थगित हुई
६९	३१	Constilution	Constitution
९५	४–५	इकट्ठ होना और बैठेने का	इकट्ठे होना और बैठने का
९६	अन्तिम पंक्ति	गर्वनर	गवर्नर
१११	१	महाधिवक्ता	महाविवक्ता
११३	शीर्ष	कासीवाल	कासलीवाल
११८	२३	an dAdress	an Address
१२८	२०	अजभेर	अजमेर
१३७	६	रक्के गये	रखे गये
१३७-१३८–१३९ व १४०	शीर्षक	फरवरी, ६०	फरवरी, ६१
१५०	३१	इपमें	इसमें
१५१	१८	सावसेज	सर्विसेज़
१५३	११	इस और	इस ओर
१५८	१२	खेरती	खेती

१	२	३	४
१६६	६	मिला का जीर्णाद्धार	मिलों का जीर्णोद्धार
१७२	१५	मदूरज़	मज़दूर
१८४	६	क्य कि	क्योंकि
,,	२०	क सहायता	की सहायता
१६८	१६	हगी	होंगी
,,	२४	वह । इसलिये	वह इसलिए
१६६	१६	प्रात	प्राप्त
२०१	अन्तिम से४	(बामेडर)	बाड़मेर
२१६	अन्तिम से२	कियमों	नियमों
	पंक्ति ६,		
२२१	कॉलम संख्या ४ व ५	entres ctrainees	Centres trainees
२२६	कॉलम ३, पंक्ति १	Cittorgarh	Chittorgarh
,,	कॉलम २, पंक्ति २	Kushalgar	Kushalgarh
२३३	५	उक्चतर	उच्चत्तर
२३८	कॉलम २, पंक्ति १–२	Uttama B hasha	Uttama Bhasha
,,	कॉलम ४, पंक्ति ७	Matri	Matric
२४२	अन्तिम	Grados	Grades
२४६	१६ व१८	भा. द. स.	भा. दं. सं.
२४८	अन्तिम से२	योजनाक-ल	योजना काल
२४६	८	हाथ करघे	हाथ-करघे
२५०	१८	बिजल-शक्ति	बिजली-शक्ति
२५१	अन्तिम से२	विलुत	विलुप्त
२५२	२	के एक लिए	के लिए एक

अनुपूरक शुद्धि–पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख पृष्ट	६	विधेयकों सदन	विधेयकों को सदन
,,	१२	वे अट्ठारहवें	के अट्ठारहवें
१६	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
३३	१७	मिध	मिर्धा
३५	२०	Condtions	Conditions